विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii
भाग – अ		
अध्याय – 1		
राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यपद्धति पर विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक संरचना	1.2	2
पंचायती राज संस्थाओं की कार्यपद्धति	1.3	2
लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.4	4
लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया	1.5	6
लोकपाल	1.6	6
सामाजिक अंकेक्षण	1.7	7
वित्तीय प्रतिवेदित मामले	1.8	7
अध्याय – 2		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा निर्माण कार्य	2.1	11
योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा	2.2	31
अध्याय – 3		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं किया जाना	3.1	45
अवशेष दावों एवं अग्रिमों का असमायोजन	3.1.1	45
भाग – ब		
अध्याय – 4		
राज्य में नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यपद्धति पर विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	4.1	47
नगरीय स्थानीय निकायों का संगठनात्मक संरचना	4.2	49
नगरीय स्थानीय निकायों की कार्यपद्धति	4.3	49
लेखापरीक्षा व्यवस्था	4.4	51
लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया	4.5	52
लोकपाल	4.6	52
मुख्य लेखा अधिकारी की नियुक्ति	4.7	53
वित्तीय प्रतिवेदित मामले	4.8	53
अध्याय – 5		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	5.1	57
अध्याय – 6		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं किया जाना	6.1	71
विशिष्टियों से कम मानक के कार्य का क्रियान्वयन	6.1.1	71
अनियमित व्यय	6.1.2	72
कार्यों का अनियमित विखंडन	6.1.3	73
दूरदर्शिता/प्रशासनिक नियंत्रण की विफलता	6.2	74
निष्फल व्यय	6.2.1	74

परिशिष्ट

परिशिष्ट क्र.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.1.1	योजनाओं के वार्षिक आवंटन एवं व्यय का विवरण	2.1.1, 2.1.4	77
2.1.2	चयनित जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों का विवरण	2.1.4	78
2.1.3	टी.एफ.सी.जी. योजना के अंतर्गत आवंटन एवं आवंटन से स्वीकृत कार्यों का विवरण	2.1.7.1	78
2.1.4	नमूना जाँच जिलों में टी.एफ.सी.जी. योजना के कार्यों हेतु उपयोग न किए जाने के कारण राशि के अवरोधन का विवरण	2.1.7.1	79
2.1.5	कार्यों के अप्रारंभ रहने के कारण एम.जी.यू. योजना की निधि के अवरोधन का विवरण	2.1.8.1, 2.1.8.3	80
2.1.6	तेरहवें वित्त आयोग अनुदान योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण	2.1.8.1, 2.1.8.4, 2.1.8.5	82
2.1.7	जी.जी.पी.एफ.डब्ल्यू. योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधि तथा ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए व्यय का विवरण	2.1.8.1	83
2.1.8	एम.जे.एस. योजना के अंतर्गत पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों का विवरण	2.1.8.2 से 2.1.8.5	84
2.1.9	कार्यों हेतु उपयोग न किए जाने के कारण एम.जे. एस. योजना की निधि के अवरोधन का विवरण	2.1.8.3	84
2.2.1	चयनित ग्राम पंचायतों की सूची	2.2.5	85
2.2.2	सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा सत्यापित नहीं किए गए कार्यों/व्ययों का विवरण	2.2.8.5	86
2.2.3	ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा देयक/बीजक सत्यापित नहीं किये गये ग्राम पंचायतों का विवरण	2.2.8.6	87
2.2.4	सामाजिक लेखापरीक्षा की सूचना के संबंध में साक्ष्य संधारित नहीं किये गये ग्राम पंचायतों का विवरण	2.2.9.1	88
2.2.5	अपर्याप्त कोरम के साथ सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा संचालित किये गये ग्राम पंचायतों का विवरण	2.2.9.2	89
2.2.6	सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा में पंचायत सदस्यों के भाग नहीं लिए जाने का विवरण	2.2.9.6	90
2.2.7	सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा में उपस्थित पंचायत सदस्यों का विवरण	2.2.9.6	90
3.1	सरपंचों के लंबित अग्रिम राशि के असमायोजित रहने को दर्शाने वाला विवरण	3.1.1	91
5.1.1	संगठनात्मक संरचना पर ढ़ाँचाचित्र	5.1.2	91
5.1.2	नमूना जांच के सात जिलों में अवधि 2010–15 के दौरान निधि की उपलब्धता एवं व्यय की स्थिति	5.1.6.1	92
5.1.3	31.3.2015 की स्थिति में डूडावार अंतशेष की विवरण	5.1.6.1	93
5.1.4	वर्ष 2010–15 के दौरान केन्द्रीय अंश जारी करने में विलंब की विवरण	5.1.6.2	94

5.1.5	वर्ष 2010–15 के दौरान राज्यांश जारी करने में विलंब की विवरण	5.1.6.2	94
5.1.6	वर्ष 2010–15 के दौरान हितग्राही समावेशन हेतु यूसेप के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियां	5.1.8.1	94
5.1.7	यूसेप के अन्तर्गत वर्ष 2010–15 हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धि	5.1.8.1	95
5.1.8	यू.डब्ल्यु.एस.पी. (लक्ष्य एवं उपलब्धि)	5.1.8.2	95
5.1.9	यू.डब्ल्यु.एस.पी. के अन्तर्गत वर्ष 2010–15 हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धि	5.1.8.2	96
5.1.10	स्टेप–अप के अन्तर्गत वर्ष 2010–15 हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धि	5.1.8.3	96
5.1.11	चयनित सात जिलों में स्टेप–अप के अन्तर्गत वर्ष 2010–15 हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धियां	5.1.8.3	97
5.1.12	यू.डब्ल्यु.ई.पी. के अन्तर्गत वर्ष 2010–15 हेतु चयनित सात जिलों की लक्ष्य एवं उपलब्धियां	5.1.8.4	98
5.1.13	यू.सी.डी.एन. घटक के अधीन वर्ष 2010–15 के दौरान लक्ष्य एवं उपलब्धियां	5.1.8.5	99
5.1.14	चयनित सात जिलों में यू.सी.डी.एन. के अन्तर्गत वर्ष 2010–15 हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धि	5.1.8.5	99
6.1	निर्माण कार्यों के विखंडन का विवरण	6.1.3	100

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 अंतर्गत मार्च 2015 को समाप्त हुये वर्ष के लिए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य के पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों सहित संबंधित विभागों के लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

वर्ष 2014–15 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा में प्रकाश में आये प्रकरणों के साथ–साथ वैसे प्रकरण, जो पूर्व वर्षो में प्रकाश में आये, परन्तु विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके, आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों कें अनुरूप लेखापरीक्षा संपन्न किया गया है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन के छः अध्याय हैं। पहले एवं चौथे अध्याय में क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यपद्धति, जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों पर विहंगावलोकन शामिल है। दुसरे अध्याय में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 'पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा निर्माण कार्य' पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं 'योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा' पर बृहत कंडिका तथा पाँचवें अध्याय में नगरीय स्थानीय निकायों से संबंधित 'स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना' पर बृहत कंडिका शामिल है। तीसरे एवं छठे अध्याय में क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं के एक एवं नगरीय स्थानीय निकायों के चार अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकायें शामिल हैं।

लेखापरीक्षा के नमूने सांख्यिकी नमूना पद्धति के निष्कर्ष के आधार पर लिये गये है। उल्लेखित निष्पादन लेखापरीक्षा एवं बृहत कंडिकाओं में विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रणाली अपनाई गयी है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा अनुशंसायें शासन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की गयी है। इस विहंगावलोकन में लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों का सार प्रस्तुत किया गया है।

1. पंचायती राज संस्थाओं के कार्यपद्धति, जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों पर विहंगावलोकन

लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व का संधारण नहीं किया जा रहा था। वर्ष 2013–14 से 2014–15 के दौरान आवंटित निधियों के विरूद्ध बचत 23 प्रतिशत से 29 प्रतिशत तक रहा था। वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि में राज्य के स्वयं के कर राजस्व से पंचायती राज संस्थाओं हेतु राशि ₹ 218.93 करोड़ की निधि का कम हस्तांतरण हुआ था।

(कंडिका 1.1 से 1.8)

2. निष्पादन लेखापरीक्षा (पंचायती राज संस्थायें)

2.1 पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा निर्माण कार्य

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की गतिविधियों का नियमन छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। पंचायतों के कार्यों का निष्पादन, अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत किया जाता है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन के परिणामस्वरूप, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के 29 कार्य पंचायतों के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा 13 निर्माण संबंधी योजनाओं के अंतर्गत सड़क, भवन, नाली, तालाब, बाजार चबूतरा, शौचालय आदि का निर्माण जैसे कार्य किए जा रहे थे। 13 में से चार योजनाओं का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु किया गया। इसमें मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना (एम.जी.यू.वाई.), तेरहवें वित्त आयोग अनुदान (टी.एफ.सी.जी.), मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजना (एम.जे.एस.वाई.) तथा मूलभूत कार्यों हेतु ग्राम पंचायतों को अनुदान को लिया गया।

नमूना जाँच के चार योजनाओं में कुल जारी आवंटन ₹ 3,480.78 करोड़ था, जो कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित 13 निर्माण कार्य योजनाओं हेतु जारी कुल आवंटन का 35.96 प्रतिशत था। चार चयनित योजनाओं के संबंध में 45 प्रतिशत तक बचत था। तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत ₹ 449.70 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 2.1.7. तथा 2.1.7.2)

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल ₹ 25.91 करोड़ की निधि का व्यपवर्तन हुआ जो कि अनुचित वित्तीय प्रबंधन को इंगित करता है।

(कंडिका 2.1.7.3)

प्रशासकीय स्वीकृति के अभाव, कार्यों के अप्रारंभ रहने तथा कार्यों के निरसन के प्रकरण के परिणामस्वरूप ₹ 273.59 करोड़ की निधि अवरूद्ध रह गई।

(कंडिका 2.1.7.1, 2.1.8.1 तथा 2.1.8.3)

तेरहवें वित्त आयोग अनुदान योजना के 70 प्रतिशत घटक के अंतर्गत, ग्राम पंचायतों के द्वारा बिना किसी प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के कार्यों का निष्पादन किया गया। इसके अतिरिक्त, निष्पादित कार्यों के माप भी अभिलिखित नहीं किए गए।

(कंडिका 2.1.8.1, 2.1.8.4 तथा 2.1.8.5)

2.2 योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा पर बृहत कंडिका

भारत सरकार ने भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श से 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) स्कीमों की लेखापरीक्षा नियम, 2011' शीर्षक पर सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए नियमों और विनियमों का एक ढ़ाँचा तैयार किया। छत्तीसगढ़ शासन (जी.ओ.सी.जी.) ने सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में सामाजिक अंकेक्षण इकाई (एस.ए.यू.) का गठन (सितंबर 2013) किया। सामाजिक अंकेक्षण इकाई का मुख्य उद्देश्य ग्राम सभा के क्षमताओं का विकास करना, मजदूरों में मनरेगा के अंतर्गत अपने अधिकारों और हकदारियों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना एवं अभिलेखों और कार्यस्थलों के सत्यापन को सुगम बनाना है। लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा नीचे किए गए हैं:

राज्य को मनरेगा योजना के लिए वर्ष 2013–15 के दौरान ₹ 3270.28 करोड़ प्राप्त हुये जिसका एक प्रतिशत अर्थात् ₹ 32.70 करोड़ सामाजिक लेखापरीक्षा पर व्यय के लिए आवंटित किया जाना था। इसके विरूद्ध केवल ₹ तीन करोड़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई को आवंटित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए ₹ 29.70 करोड़ का आवंटन नहीं हुआ।

(कंडिका 2.2.7)

सामाजिक अंकेक्षण इकाई को प्रति छः माह में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक कैलेण्डर तैयार करना था। वर्ष 2014–15 के दौरान 9734 ग्राम पंचायतों में 19468 सामाजिक लेखापरीक्षा के प्रावधान के विरूद्ध केवल 1566 (आठ प्रतिशत) सामाजिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई और वर्ष 2014–15 में 1056 (पांच प्रतिशत) की सामाजिक लेखापरीक्षा केवल एक बार की गयी जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक लेखापरीक्षा की योजना बनाने में 92 प्रतिशत और वास्तविक रूप से सामाजिक लेखापरीक्षा किये जाने में 95 प्रतिशत तक की कमी हुई। इस कमी का मुख्य कारण सामाजिक अंकेक्षण इकाई के स्वीकृत पदों में से 11 से 69 प्रतिशत का रिक्त होना था।

(कंडिका 2.2.8.1 और 2.2.8.2)

सम्पूर्ण अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया जाना, जिला कार्यक्रम समन्वयक (डी.पी.सी.) और निर्वाचित पंचायत सदस्यों की अनुपस्थिति, वीडियो रिकॉर्डिंग या दीवाल लेखन नहीं किया जाना, ग्रामीणों की अपर्याप्त भागीदारी, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव एवं सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को वेबसाइट पर अपलोडिंग नहीं किया जाना जैसे कई तत्वों की कमी का सामना सामाजिक लेखापरीक्षा को करना पड़ा।

(कंडिका 2.2.8 और 2.2.9)

सामाजिक लेखापरीक्षा के पश्चात् डी.पी.सी. द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई किया जाना है और राज्य शासन सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। तथापि, संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई को इंगित करते हुये जानकारी/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।

(कंडिका 2.2.10.4)

3. अनुपालन लेखापरीक्षा (पंचायती राज संस्थायें)

जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुच्छेद 92 (1) तथा (2) के पालन में दोषी सरपंचों से अवशेष बकाया के समयानुसार वसूली अथवा समायोजन में तत्परता की कमी के परिणामस्वरूप राशि ₹ 34.31 लाख अग्रिम असमायोजित रहा।

(कंडिका 3.1.1)

4. नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यपद्धति, जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों पर विहंगावलोकन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (यू.ए.डी.डी.) द्वारा नगरीय स्थानीय निकाय क्षेत्रों के उन्नयन के लिए जनसंख्या के अलावा अन्य मापदण्ड तय नहीं किये गये थे। लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। यू.ए.डी.डी. द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व प्राप्ति के आंकड़ों का संधारण उचित प्रकार से नहीं किया गया। वर्ष 2010–2015 की अवधि के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा आवंटित निधि का 16 से 33 प्रतिशत तक पर्याप्त राशि बचत किया गया था।

(कंडिका 4.1 से 4.8)

5. बृहत कंडिका (नगरीय स्थानीय निकायों)

5.1 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना पर बृहत कंडिका

भारत सरकार ने स्व–रोजगार उद्यम स्थापना को प्रोत्साहित करने अथवा मजदूरी रोजगार के प्रावधान द्वारा शहरी बेरोजगार अथवा अल्प–रोजगार गरीब को लाभप्रद रोजगार प्रदाय करने 'स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना' (एस.जे.एस.आर.वाई.) प्रस्तुत (दिसम्बर 1997) किया।

एस.जे.एस.आर.वाई. के पाँच घटक नामतः शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूसेप), शहरी महिला स्व–सहायता कार्यक्रम (यू.डब्ल्यू.एस.पी.), शहरी गरीबों के मध्य रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (स्टेप–अप), शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू.डब्ल्यू.ई.पी.) एवं शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (यू.सी.डी.एन.) है।

लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा नीचे किए गए हैं:

अवधि 2010–15 के दौरान में राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के पास कुल उपलब्ध निधि ₹ 99.53 करोड़ में से ₹ 90.84 करोड़ को अंतिम व्यय के रूप में दर्शाया गया था। जबकि, कुल प्राप्ति का 44 प्रतिशत राशि ₹ 37.79 करोड़ का उपयोग नहीं किया जा सका तथा सूडा एवं जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) के बैंक खातों में रखी थी। केन्द्रांश एवं सापेक्ष राज्यांश 36 से 364 दिवस के विलंब से प्राप्त हुए थे। एस.जे.एस.आर.वाई. निधि राशि ₹ 3.63 करोड़ का दूसरी योजनाओं में व्यपवर्तन भी पाया गया था।

(कंडिका 5.1.6.1(i) और 5.1.6.3)

घर–घर जाकर हितग्राहियों के चिन्हांकन हेतु सर्वेक्षण नहीं किया गया था। शहरी गरीब उपशमन येाजना तथा मलिन बस्ती विकास योजनाएं नहीं बनाये गये थे। विभिन्न घटकों अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति 11 से 89 प्रतिशत के बीच रही।

(कंडिका 5.1.7.1 और 5.1.7.2)

यूसेप घटक अंतर्गत बैंकों ने उन हितग्राहियों को ऋण दिए, जिनके पास ऋण पुनर्भुगतान की क्षमता थी। यू.डब्ल्यु.एस.पी. (ऋण/अनुदान) घटक अंतर्गत 6,096 स्व–सहायता समूहों के लक्ष्य के विपरीत, केवल 973 (16 प्रतिशत) को अनुदान दिये गये थे। आगे, स्टेप–अप घटक अंतर्गत यद्यपि हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान किये गये थे परंतु न तो रोजगार नियोजन और न ही वित्तीय सहायता प्रदान किया गया था। अतः, योजना घटकों के मूल उद्देश्य पर्याप्त रूप से नहीं किये गये थे।

(कंडिका 5.1.8.1(ii), 5.1.8.2 और 5.1.8.3)

6. अनुपालन लेखापरीक्षा (नगरीय स्थानीय निकायों)

नगरीय स्थानीय निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा में नियमों और विनियमों के अनुपालन नहीं किये जाने तथा प्रशासनिक नियंत्रण की विफलता से संबंधित कमियाँ उजागर हुई, जो आगे के कंडिकाओं में व्यापक उद्देश्य के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये हैं।

रायपुर नगरपालिक निगम के मेयर–इन–कॉंसिल द्वारा प्राक्कलन तैयार करने के लिए न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड का पालन न करने की स्थिति में नाला निमार्ण पर लागत ₹ 50.70 लाख के कार्य विशिष्टियों से कम मानक का क्रियान्वयन किया जाना।

(कंडिका 6.1.1)

नगरपालिक परिषद बलौदा बाजार अंतर्गत तकनीकी स्वीकृति एवं अतिक्रमण रहित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना मॉडल नाला निर्माण किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में राशि ₹ 28.32 लाख का अनियमित व्यय पाया गया।

(कंडिका 6.1.2)

लेखापरीक्षा में आयुक्त, रायपुर नगरपालिक निगम द्वारा लागत ₹ 8.72 करोड़ के पाँच निर्माण कार्यों को सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति से बचने के लिए 57 कार्यों प्रत्येक ₹ 20 लाख से कम में अनियमित विखंडन किया जाना पाया गया।

(कंडिका 6.1.3)

नगरपालिकाओं द्वारा उपयोग की व्यवहार्यता का पता लगाये बिना ट्रक माउंटेड रोड स्वीपींग मशीन के क्रय के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के एकतरफा निर्णय लेने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 2.38 करोड़ का निष्फल व्यय।

(कंडिका 6.2.1)

भाग – अ

अध्याय – एक

पंचायती राज संस्थाओं के कार्यपद्धति, जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों पर विहंगावलोकन

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यपद्धति पर विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

सबसे निचले स्तर पर स्वायत्ता को बढ़ावा देने और ग्राम सभा से जुड़े विभिन्न विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं पहचान करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 लागू किया गया। संविधान के अनुच्छेद 243 (जी) के प्रावधानों के अधीन राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हो और ऐसे किसी विधि में पंचायतों को अधिकारों एवं शक्तियों के हस्तांतरण हेतु समुचित प्रावधान विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिये।

मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 द्वारा राज्य में पंचायती राज संस्थाओं हेतु त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की गयी थी, जो कि जनवरी 1994 से अस्तित्व में आयी और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात् 7 जून 2001 को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के रूप में अपनाया गया।

1.1.1 पंचायती राज संस्थाओं का वर्गीकरण

पंचायती राज संस्थाएं तीन स्तरों में नामतः जिला स्तर पर जिला पंचायत, खण्ड स्तर पर जनपद पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत में वर्गीकृत है। नये राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात् वर्ष 2007 में जिलों की संख्या 16 से बढ़कर 18 हो गयी थी। पुनः, वर्ष 2011 में 09 जिलों का गठन हुआ था। मार्च 2014 तक 27 जिलों में से मात्र 18 जिलों में 18 जिला पंचायत कार्य कर रहे थे। यद्यपि, वर्ष 2014–15 के दौरान नौ और जिला पंचायतों ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। वर्तमान में राज्य में 27 जिला पंचायत, 146 जनपद पंचायत तथा 10971 ग्राम पंचायत हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में सामान्य जानकारी नीचे तालिका 1.1 मे दी गयी हैः

तालिका 1.1ः राज्य के संबंध में सामान्य जानकारी

विवरण	इकाई	राज्य के आंकड़े	सम्पूर्ण देश के आंकड़े
जनसंख्या	करोड़	2.55	121.08
देश की जनसंख्या में हिस्सा	प्रतिशत	2.11	100
ग्रामीण जनसंख्या	करोड़	1.96	83.37
ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा	प्रतिशत	76.86	68.86
साक्षरता दर	प्रतिशत	70.3	73
ग्रामीण साक्षरता दर	प्रतिशत	66	67.8
लिंगानुपात (स्त्री प्रति हजार पुरूष)	अनुपात	991/1000	943/1000
ग्रामीण लिंगानुपात (स्त्री प्रति हजार पुरूष)	अनुपात	1001/1000	949/1000
जिला पंचायत	संख्या	27	543
जनपद पंचायत	संख्या	146	6087
ग्राम पंचायत	संख्या	10971	239432

स्रोतः जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े, 13वें वित्त आयोग एवं पंचायत संचालनालय, रायपुर द्वारा प्रदत्त आंकड़े

ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के लिये पिछला आम चुनाव जनवरी

और फरवरी 2015 के दौरान कराया गया। 2011 जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 2.55 करोड़ था, जिसमें से 1.96 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत हैं, जो कुल जनसंख्या का 76.86 प्रतिशत है। ग्राम पंचायतों का जनसंख्यावार वर्गीकरण नीचे **तालिका 1.2** में दिया गया है:

तालिका 1.2: ग्राम पंचायतों का जनसंख्यावार वर्गीकरण

स.क्र.	विवरण	ग्राम पंचायतों की संख्या
1	1,000 तक	459
2	1,001 से 2,000	7616
3	2,001 से 3,000	2114
4	3,001 से 4,000	496
5	4,000 से अधिक	286
योग		**10971**

स्रोतः पंचायत संचालनालय द्वारा प्रदत्त आंकड़े

1.2 पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक संरचना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के प्रशासनिक नियंत्रण अंतर्गत पंचायती राज संस्थाएं हैं। पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासन के संचालन हेतु कार्यपालिक/प्रशासनिक के साथ–साथ निर्वाचित निकायों के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उसके अंतर्गत अधिनियम तथा नियम/उपनियम बनाये गये हैं। राज्य, जिला, जनपद एवं ग्राम स्तर पर प्रशासन के लिए संगठनात्मक संरचना नीचे दिया गया है:

पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक संरचना

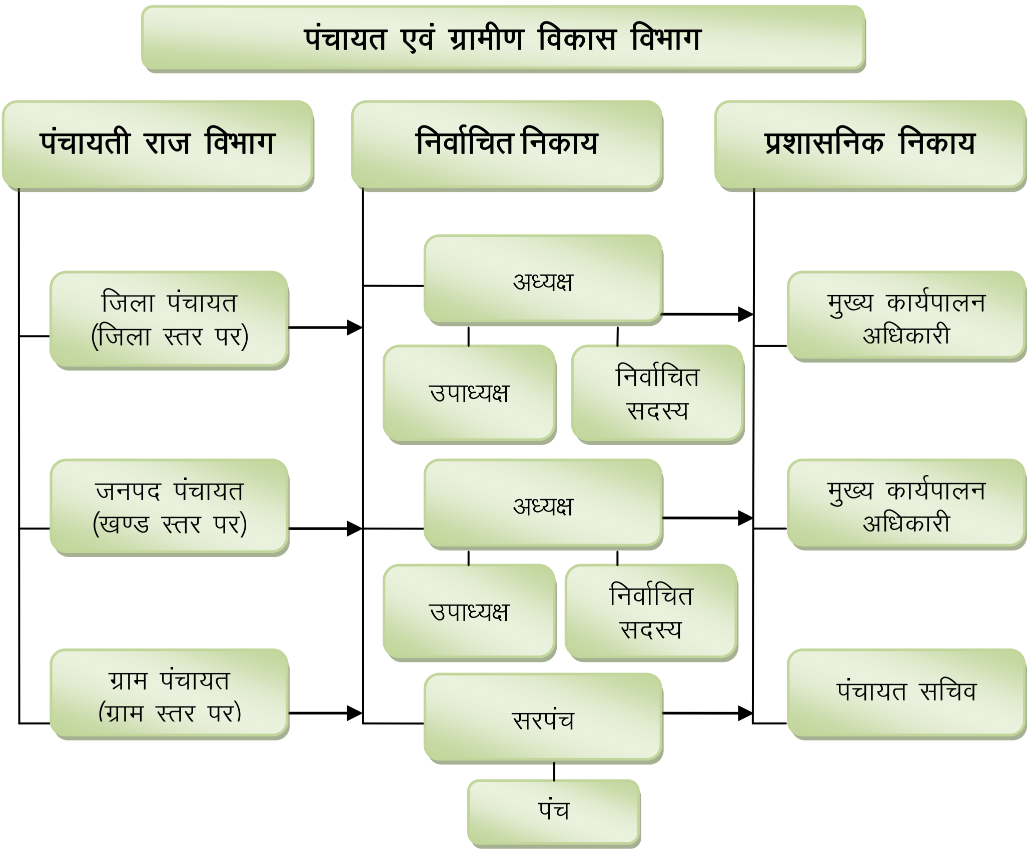

1.3 पंचायती राज संस्थाओं की कार्यपद्धति

सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने एवं आर्थिक विकास से संबंधित कृत्यों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने के उद्देश्य से जिला पंचायतों, जनपद पचायातों तथा ग्राम

पंचायतों के क्रियाकलापों का उल्लेख राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ पंचायत राज अधिनियम (सी.जी.पी.आर.ए.) 1993 (अधिनियम) की धारा 52, 50 तथा 49 के अंतर्गत किया गया है। पुनः पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों को अधिनियम की धारा 54 से 68 तक के अंतर्गत वर्णित किया गया है। अधोलिखित कंडिकाओं में इनका सारांश दिया गया है:

1.3.1 जिला स्तर पर पंचायत का प्रथम स्तर जिला पंचायत है। अधिनियम की धारा 29 के अनुसार प्रत्येक जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों, जो एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष चुनने के लिए सशक्त (धारा 32) होते हैं, से मिलकर बनेगा। अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत अध्यक्ष जिला पंचायत के संकल्प के क्रियाकलापों, राज्य शासन द्वारा जारी सभी निर्देशों एवं जिला पंचायत को सौंपे गए सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा। वह अभिलेखों एवं पंजियों के उचित रखरखाव, अधिकृत भुगतान, चेक निर्गत एवं प्रतिदाय आदि सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आगे, धारा 69 (3) में कहा गया है कि राज्य शासन प्रत्येक जिला पंचायत के लिए एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) को नियुक्त करेगा तथा एक या अधिक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है, जो ऐसे कृत्यों एवं ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जैसा सी.ई.ओ. द्वारा उसे सौंपा जाए। सी.ई.ओ. प्रशासनिक प्रमुख होता है और लोक स्वास्थ्य, लोक निर्माण, ग्रामीण यांत्रिकी आदि विभाग उसके सहायक होते हैं। सी.ई.ओ. जिला पंचायत, जिला पंचायत के सभी क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण, जिला पंचायत के संकल्प के लिए कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होता है। वह जिला पंचायत निधि से राशि आहरण एवं संवितरण हेतु अधिकृत होता है जैसा कि इस संबंध में वित्तीय नियम में है।

सी.ई.ओ. जिला पंचायत, जिला के योजनाबद्ध विकास और संसाधनों के उपयोग के लिए बजट तैयार करने, जिला के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक योजना तैयार करने एवं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों के समन्वय, मूल्यांकन और निगरानी करने, केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के लिये केन्द्र या राज्य सरकार से प्राप्त निधियों का निर्दिष्ट मापदंड के अनुसार विनियोजन करने का भी उत्तरदायित्व सी.ई.ओ. जिला पंचायत का है।

1.3.2 खण्ड स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का माध्यमिक स्तर जनपद पंचायत है। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों, जो एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष चुनने के लिए सशक्त (धारा 25) होते हैं, से मिलकर बनेगा। अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत अध्यक्ष जनपद पंचायत के संकल्प के क्रियाकलापों, राज्य शासन द्वारा जारी सभी निर्देशों एवं जनपद पंचायत को सौंपे गए सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा। वह अभिलेखों एवं पंजियों के उचित रखरखाव, अधिकृत भुगतान, चैक निर्गत एवं प्रतिदाय आदि सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आगे, धारा 69 (2) में कहा गया है कि राज्य शासन प्रत्येक जनपद पंचायत के लिए प्रशासनिक प्रमुख के रूप में एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) को नियुक्त करेगा तथा एक या अधिक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है, जो ऐसे कृत्यों एवं ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जैसा सी.ई.ओ. द्वारा उसे सौंपा जाए। खण्ड विस्तार अधिकारी, लेखा अधिकारी, तकनीकी कर्मचारी यथा सहायक यंत्री तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारी जनपद पंचायत के सहायक होंगें। सी.ई.ओ. जनपद पंचायत, जनपद पंचायत के सभी क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण, जनपद

पंचायत के संकल्प के क्रियान्वयन के लिए कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होता है। वह जनपद पंचायत निधि से राशि आहरण एवं संवितरण हेतु अधिकृत होता है जैसा कि इस संबंध में वित्तीय नियम में है।

जनपद पंचायत का अपना राजस्व स्रोत अल्पतम होता है एवं वे जिला पंचायत से प्राप्त होने वाले ब्लॉक अनुदान पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। विकास कार्यों को जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन एवं मत्स्यपालन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा, सहकारी कार्य आदि के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का उत्तरदायित्व है।

1.3.3 सबसे निचले स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंतिम स्तर ग्राम पंचायत है। अधिनियम की धारा 13 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत एक सरपंच एवं निर्वाचित पंचों से मिलकर बनेगा। अधिनियम की धारा 17 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार सरपंच निर्वाचित होते हैं। अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत सरपंच ग्राम पंचायत के संकल्प के क्रियाकलापों, राज्य शासन द्वारा जारी सभी निर्देशों एवं ग्राम पंचायत को सौंपे गए सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा। वह अभिलेखों एवं पंजियों के उचित रखरखाव, अधिकृत भुगतान, चैक निर्गत एवं प्रतिदाय आदि सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आगे, अधिनियम की धारा 69 में प्रावधान है कि राज्य शासन या विहित प्राधिकारी एक ग्राम पंचायत या दो अथवा अधिक ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक सचिव नियुक्त कर सकता है। ग्राम पंचायत (सचिव का कृत्य एवं शक्तियाँ) नियम 1990 के अनुसार, ग्राम पंचायत की बैठकें और ग्राम सभा आयोजित करना एवं कार्यवाही अभिलेखित करना, ग्राम पंचायत के कार्यपद्धति को विनियमित करना, ग्राम पंचायत के सभी कार्यालयीन अभिलेखों का संधारण करना, ग्राम पंचायत का वार्षिक योजना तैयार करना, आय एवं व्यय का आकलन करना, ग्राम पंचायत के कर, फीस तथा अन्य बकाया वसूल करने का दायित्व ग्राम पंचायत के सचिव का है।

सफाई एवं स्वच्छता बनाये रखना, जल संसाधनों का अनुरक्षण एवं रखरखाव, बिजली एवं ग्रामीण सड़क सम्पर्क, युवा कल्याण को बढ़ावा देना, परिवार कल्याण एवं खेल गतिविधियाँ, समाज कल्याण के कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना एवं राज्य सरकार, जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा सौंपे गये अन्य कोई कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत का सचिव उत्तरदायी है।

1.4 लेखापरीक्षा व्यवस्था

1.4.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा (डी.एल.एफ.ए.) स्थानीय निकायों के लेखाओं का प्राथमिक लेखापरीक्षक (सांविधिक लेखापरीक्षक) होता है। राज्य में स्थानीय प्राधिकारियों के प्रबंधन अथवा नियंत्रण के तहत् स्थानीय निधियों का लेखापरीक्षा विनियमित करने एवं प्रावधान बनाने के लिए छत्तीसगढ़ स्थानीय संपरीक्षा अधिनियम 1973 अधिनियमित किया गया था।

अगस्त 2015 की स्थिति में, पंचायती राज संस्थाओं के वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि से संबंधित, डी.एल.एफ.ए. के निरीक्षण प्रतिवेदनों में 1.63 लाख लेखापरीक्षा आपत्तियाँ लंबित थी। डी.एल.एफ.ए. के लंबित आपत्तियों का विवरण नीचे **तालिका 1.3** में दिया गया है:

तालिका 1.3: डी.एल.एफ.ए. के लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान ली गयी आपत्ति	निराकृत आपत्तियों की संख्या	लंबित रहे आपत्तियों की संख्या
1	2010–11	115493	10359	175	125677
2	2011–12	125677	9473	203	134947
3	2012–13	134947	6318	92	141173
4	2013–14	141173	8095	1671	147597
5	2014–15	147597	18569	3060	163106

स्रोतः निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा प्रदत्त आंकड़े

इंगित किये जाने पर संचालक, पंचायत संचालनालय ने बताया (अक्टूबर 2015) कि निरीक्षण प्रतिवेदन सीधे संबंधित इकाईयों को प्रेषित किये जा रहे थे तथा इस संबंध में संचालनालय को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। जिसके अनुश्रवण नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या में वृद्धि होती रही। लंबित आपत्तियों के निराकरण हेतु संचालनालय द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। जिला पंचायत तथा जिला अंकेक्षकों को लंबित आपत्तियों के निराकरण हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। इसके लिए दो शिविरों को भी आयोजित किया गया था। आगे, यह बताया गया कि लंबित आपत्तियों के निराकरण हेतु भविष्य में शिविर आयोजित किये जायेंगें।

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए डी.एल.एफ.ए. का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिसम्बर 2014 में राज्य विधानमंडल में रखी गयी थी।

1.4.2 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा किया था कि पंचायतों के सभी स्तरों की लेखापरीक्षा एवं लेखाओं के उचित रखरखाव पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करने का दायित्व भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) को सौंपें जाने चाहिए। तेरहवें वित्त आयोग ने भी अनुशंसा किया था कि समस्त स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर के लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण (टी.जी.एस.) का दायित्व सी.ए.जी. को सौंपी जानी चाहिए तथा उसके वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ–साथ संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा (डी.एल.एफ.ए.) का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष अवश्य रखी जानी चाहिए। चौदहवें वित्त आयोग ने भी अनुशंसा किया था कि सी.ए.जी. द्वारा स्थानीय निकायों के लेखाओं के रखरखाव में सुधार एवं उनके लेखापरीक्षा तथा टी.जी.एस. व्यवस्था के संबंध में पिछले वित्त आयोगों द्वारा की गयी पहल को जारी रखा जाए।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सी.ए.जी. (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा का दायित्व सौंपा (अक्टुबर 2011) गया था। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के विनियम 152 के साथ सौंपे गये दायित्व के अधीन स्थानीय निकायों में सुदृढ़ वित्तीय लोक प्रबंधन तथा जवाबदेही के प्रयोजन हेतु स्थानीय निकायों के प्राथमिक लेखापरीक्षक नामतः डी.एल.एफ.ए. को उपयुक्त तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण उपलब्ध कराता है।

डी.एल.एफ.ए. वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करेगा, संविधियों के अनुसार लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया का पालन करेगा, निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.) की प्रतियाँ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित करेगा तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के विनियम 152 में निर्धारित अन्य शर्तों का पालन करेगा।

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा टी.जी.एस. के प्रभावकारिता पर पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा के संचालन के

लिये लेखापरीक्षा योजना बनाने एवं लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली पर डी.एल.एफ.ए. के कर्मचारी वर्ग के लिये चार[1] सफल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। डी.एल.एफ.ए. ने जून 2014 से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.) की प्रतियाँ अग्रेषित करना आरम्भ किया था। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा नवम्बर 2015 तक 764 आई.आर. प्राप्त किये गये। आगे, टी.जी.एस. अंतर्गत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए डी.एल.एफ.ए. एवं महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के मध्य एक संयुक्त बैठक (अक्टुबर 2015) हुआ था। मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए डी.एल.एफ.ए. का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं वर्ष 2013–14 के लिए सी.ए.जी. का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल में क्रमशः दिसंबर 2014 एवं जुलाई 2015 रखी गयी।

1.5 लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया

टी.जी.एस. व्यवस्था के अनुसार महालेखाकार के लेखापरीक्षा आपत्तियों का निराकरण डी.एल.एफ.ए. द्वारा उसी प्रकार किया जायेगा, जैसा कि वह अपने स्वयं के प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा आपत्तियों के लिये करते हैं।

महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों में नवम्बर 2015 की स्थिति में वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि से संबंधित 1864 आपत्तियाँ लंबित थी। महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों के लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण नीचे **तालिका 1.4** में दिया गया है:

तालिका 1.4: महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

स. क्र.	वित्तीय वर्ष	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	वर्ष के दौरान ली गयी आपत्ति	निराकृत आपत्तियों की संख्या	लंबित आपत्तियों की संख्या
1	2010–11	15	111	00	111
2	2011–12	09	84	05	79
3	2012–13	71	434	09	425
4	2013–14	103	624	01	623
5	2014–15	121	626	00	626
लंबित आपत्तियों की कुल संख्या (नवम्बर 2015 की स्थिति में)					**1864**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग ने महालेखाकार द्वारा लिए गये लेखापरीक्षा आपत्तियों के निराकरण के लिए कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाया था। पिछले पाँच वर्षों (2010–15) के दौरान 319 पंचायती राज संस्थाओं के लेखापरीक्षण में कुल 1877 आपत्तियाँ उजागर हुई, जबकि विभाग द्वारा केवल 15 आपत्तियों का निराकरण किया गया था, जो कि विभाग द्वारा लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों के निराकरण में खराब निगरानी एवं पर्यवेक्षण के कमी को इंगित करता है।

जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामले

जवाबदेही क्रियाविधि

1.6 लोकपाल

तेरहवें वित्त आयोग के कंडिका 10.66 में संबंधित राज्य, पंचायत एवं नगरपालिका अधिनियम के संसोधन द्वारा स्थानीय निकायों के लिए एक अलग लोकपाल के गठन का प्रावधान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने मंत्रियों, संसदीय सचिवों, लोक सेवकों आदि एवं उनसे

[1] जूलाई 2013, मई 2014, नवंबर 2014 एवं मार्च 2015

संबंधित मामलों के विरूद्ध आरोपों के जाँच हेतु कुछ प्राधिकारियों के नियुक्ति एवं कृत्यों के लिए प्रावधान करते हुए एक अध्यादेश 'छत्तीसगढ़ लोक आयोग अध्यादेश 2002' प्रस्थापित किया था। इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना नवम्बर 2002 में प्रकाशित हुआ था।

स्थानीय निकायों को भी लोक आयोग के दायरे में लाया गया है।

1.7 सामाजिक अंकेक्षण

छत्तीसगढ़ में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन (सितम्बर 2013) एक स्वतंत्र संस्था के रूप में इस प्रकार किया गया था कि यह राज्य में शासन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बने।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा इंदिरा आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

1.8 वित्तीय प्रतिवेदित मामले

1.8.1 राजस्व के स्रोत

पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व प्राप्ति के मुख्यतः दो स्रोत, शासकीय अनुदान और स्वयं का राजस्व है। शासकीय अनुदानों में राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुशंसा पर जारी निधि तथा विभिन्न केन्द्र प्रायोजित/केन्द्र और राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिये हस्तांतरित भारत सरकार और राज्य का अंश। पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व स्रोतों में स्वयं के कर राजस्व एवं गैर–कर राजस्व सम्मिलित है। हमने पाया कि राज्य स्तर पर विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व का कोई आंकड़ा संकलित नहीं किया गया था। अतः विभाग के पास पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व प्राप्ति की कोई जानकारी नहीं थी।

राज्य स्तर पर पंचायत के राजस्व प्राप्तियों का संधारण नहीं किये जाने के मामले को 'पंचायतों की प्राप्तियाँ' (ए.टी.आई.आर. 2013–14) के निष्पादन लेखापरीक्षा में चर्चा किया गया था, जिसमें यह आश्वासन दिया गया कि राज्य स्तर पर आंकड़ों के संग्रहण के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगें। जबकि यह मुद्दा यथावत रहा।

1.8.2 बजट आवंटन एवं व्यय

योजनाओं का केन्द्रांश तथा केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान सहित, राज्य सरकार द्वारा बजट के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के लिये आवंटित निधि (राज्य का कर राजस्व का हिस्सा, योजना निधि और अनुदान आदि) का विवरण निम्न **तालिका 1.5** में दिया गया हैः

तालिका 1.5 निधियों के आवंटन और व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वर्ष	बजटीय आवंटन			व्यय			बचत (प्रतिशत में)
		आयोजना	आयोजनेत्तर	योग	आयोजना	आयोजनेत्तर	योग	
1	2010–11	674.55	432.27	1106.82	655.49	347.96	1003.45	103.37 (9)
2	2011–12	806.15	647.46	1453.61	780.96	617.28	1398.24	55.37 (4)
3	2012–13	1123.04	867.97	1991.01	995.70	782.49	1778.19	212.82 (11)
4	2013–14	1224.97	979.72	2204.69	772.66	798.30	1570.96	633.73 (29)
5	2014–15	1642.73	1071.79	2714.52	1262.84	836.82	2099.66	614.86 (23)
योग		**5471.44**	**3999.21**	**9470.65**	**4467.65**	**3382.85**	**7850.50**	–

स्रोतः पंचायत संचालनालय, रायपुर द्वारा प्रदत्त आंकड़े

वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान कुल आवंटित राशि ₹ 9471 करोड़ के विरूद्ध पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राशि ₹ 7851 करोड़ का व्यय किया गया। आवंटित निधि में से 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान क्रमशः 29 प्रतिशत एवं 23 प्रतिशत की अधिकतम बचत हुई थी। विभाग द्वारा बचत के कारण नहीं बताये गये।

1.8.3 अनुदान का कम हस्तांतरण

प्रथम राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी.) के अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2009 में कार्यवाही प्रतिवेदन (ए.टी.आर.) लाया गया। ए.टी.आर. के अनुसार, प्रथम वित्त आयोग द्वारा अवधि 2007–12 के लिये अनुशंसित 6.62 प्रतिशत के विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 4.79 प्रतिशत हिस्सेदारी सौंपने हेतु स्वीकृति दी गयी। द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा अवधि 2012–17 के लिये पंचायती राज संस्था हेतु राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6.15 प्रतिशत हिस्सा हस्तांतरित करने की अनुशंसा की गयी थी। पंचायती राज संस्थाओं के लिये राज्य बजट के माध्यम से 2010–11 से 2014–15 के दौरान जारी की गयी अनुदान की स्थिति नीचे **तालिका 1.6** में दी गयी हैः

तालिका 1.6: राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व एवं पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुदान के हस्तांतरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व की राशि	स्वयं कर राजस्व से जारी की जाने वाली हिस्सेदारी की राशि		पंचायती राज संस्थाओं को स्वयं कर राजस्व (एस.एफ.सी. अनुदानों) से जारी की गयी हिस्सेदारी की राशि	कमी (–)/अधिक(+) (कमी का प्रतिशत)
		निर्धारित प्रतिशत	राशि		
1	2	3	4	5	6
2010–11	7874.62	4.79	377.19	270.00	(–) 107.19 (28)
2011–12	9269.29	4.79	444.00	330.00	(–) 114.00 (26)
2012–13	10829.46	6.15	666.01	666.25	(+) 0.24
2013–14	12424.28	6.15	764.09	783.00	(+) 18.91
2014–15	14225.90	6.15	874.89	858.00	(–) 16.89 (2)
योग	**54623.55**	–	**3126.18**	**2907.25**	**218.93**

स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि एस.एफ.सी. के अनुशंसा के अनुसार राज्य के स्वयं के कर राजस्व से पंचायती राज संस्थाओं हेतु निधि का हस्तांतरण पूर्ण रूप से नहीं किया गया था। 2010–12 तथा 2014–15 की अवधि में राशि ₹ 238.08 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ था। जबकि, वर्ष 2012–13 से 2013–14 के दौरान निर्धारित सीमा से राशि ₹ 19.15 करोड़ अतिरिक्त निधि का हस्तांतरण हुआ था। अतः, 2010–11 से 2014–15 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुदान के हस्तांतरण में राशि ₹ 218.93 करोड़ की शुद्ध कमी पायी गयी। विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं हेतु निधियों के कम हस्तांतरण के लिये कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

1.8.4 तेरहवें वित्त आयोग अनुदान

तेरहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) के अनुशंसा पर भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा 2010–11 से 2014–15 के दौरान ₹ 1520.32 करोड़ जारी किये गये, जिसमें से मार्च 2015 तक ₹ 1058.10 करोड़ (70 प्रतिशत) खर्च किया गया था। टी.एफ.सी. अनुदान के पिछले पाँच वर्षों के आवंटन एवं व्यय का विवरण नीचे **तालिका 1.7** में दिया गया हैः

तालिका 1.7: टी.एफ.सी. अनुदान के आवंटन एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वित्तीय वर्ष	आवंटन			व्यय	बचत (प्रतिशत में)
		मूल अनुदान	निष्पादन अनुदान	योग		
1	2010–11	170.55	00	170.55	151.82	18.73 (11)
2	2011–12	217.96	104.93	322.89	261.55	61.34 (19)
3	2012–13	242.60	126.89	369.49	274.55	94.94 (26)
4	2013–14	276.63	242.47	519.10	279.47	239.63 (46)
5	2014–15	138.29	00	138.29	90.71	47.58 (34)
योग		**1046.03**	**474.29**	**1520.32**	**1058.10**	**462.22 (30)**

स्रोतः पंचायत संचालनालय, रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सम्पूर्ण टी.एफ.सी. अनुदान को खर्च नहीं किया जा सका एवं अवधि 2010–15 के दौरान 11 से 46 प्रतिशत तक बचत हुई।

1.8.5 बजट अंगीकरण एवं लेखा प्रारूप

ग्यारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर उचित नियंत्रण एवं बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पर डेटाबेस और बजट एवं लेखा तैयार करने के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रारूप निर्धारित (2002) किये गये थे। पुनः, इन प्रारूपों को जमीनी स्तर पर अंगीकरण के लिए आसान (2007) बनाया गया था, नामतः (i) मासिक/वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान लेखे; (ii) समेकित विवरण के प्रारूप; (iii) मासिक मिलान विवरण के प्रारूप; (iv) प्राप्य एवं देय के प्रारूप; (v) अचल संपत्ति के प्रारूप; (vi) चल संपत्ति के प्रारूप; (vii) इनवेंटरी पंजी के प्रारूप; तथा (viii) मांग, संग्रहण एवं अवशेष के प्रारूप। इस संबंध में, राज्य द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पर डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ (2011–12) तथा लागू करने हेतु प्रियासॉफ्ट, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गई थी, अंतर्गत स्टेट मॉडल एकॉउंटिंग सिस्टम कमेटी (एस.एम.सी.) का गठन किया गया था।

विभाग ने बताया कि 27 में से 18 जिला पंचायतों, सभी 146 जनपद पंचायतों एवं 10971 में से 9734 ग्राम पंचायतों द्वारा प्रियासॉफ्ट के प्रथम तीन प्रारूपों के लिए आंकड़े प्रविष्टि करना प्रारंभ कर लिया गया है। यद्यपि यह भी बताया गया कि आंकड़े किसी कार्यालयीन उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किये गये।

अध्याय – दो

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

2.1 पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा निर्माण कार्य

कार्यकारी सारांश

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) की गतिविधियों का नियमन छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। पंचायतों के कार्यों का निष्पादन, अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत किया जाता है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के परिणामस्वरूप, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के सभी 29 कार्य (संविधान की 11वीं अनुसूची) पंचायतों के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

वर्तमान में राज्य में कुल 27 जिला पंचायतों, 146 जनपद पंचायतों एवं 10971 ग्राम पंचायतों का गठन स्व–शासन की इकाई के रूप में किया गया है। निष्पादन लेखापरीक्षा में चार योजनाओं यथा मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, तेंरहवें वित्त आयोग अनुदान, मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजना तथा मूलभूत कार्यों हेतु ग्राम पंचायतों को अनुदान को लिया गया। लेखापरीक्षा के दौरान पाये गए प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण निम्नानुसार हैः

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत को उनके अधीन निष्पादित किये जाने वाले कार्यों की वार्षिक योजना तैयार कर उसे जनपद पंचायत की वार्षिक योजना में समाहित करने हेतु निर्धारित समयावधि में जनपद पंचायत को तथा अंततः जनपद पंचायतों के वार्षिक योजनाओं को जिला पंचायत योजना में समाकलन हेतु प्रस्तुत किया जाना होता है। तथापि नमूना जाँच जिलों में कार्ययोजना के निर्माण के विभिन्न चरणों में कमियाँ देखी गईं।

(कंडिका 2.1.6)

नमूना जाँच के चार योजनाओं में कुल जारी आवंटन ₹ 3,480.78 करोड़ था, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में क्रियान्वित 13 निर्माण कार्य योजनाओं हेतु जारी कुल आवंटन का 35.96 प्रतिशत था। चार चयनित योजनाओं के संबंध में 45 प्रतिशत तक बचत था। तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत ₹ 449.70 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 2.1.7. तथा 2.1.7.2)

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल ₹ 25.91 करोड़ की निधि का व्यपवर्तन हुआ जो कि अनुचित वित्तीय प्रबंधन को इंगित करता है।

(कंडिका 2.1.7.3)

तेरहवें वित्त आयोग अनुदान (टी.एफ.सी.जी.) के अंतर्गत अनुदान पर अर्जित ब्याज को अतिरिक्त संसाधन माना जाना चाहिए था। चूंकि अर्जित ब्याज अतिरिक्त संसाधन था, विभाग को धन व्यय करने हेतु योजना तैयार करना था। समीक्षा में यह पाया गया कि 2010–15 के दौरान टी.एफ.सी.जी. की निधि पर ₹ 2.99 करोड़ अर्जित ब्याज का उपयोग किसी कार्य हेतु नहीं किया गया तथा यह बैंक में निष्क्रिय रखा रहा।

(कंडिका 2.1.7.5)

प्रशासकीय स्वीकृति के अभाव, स्वीकृत कार्य के अप्रारंभ रहने तथा स्वीकृति के उपरांत कार्यों के निरसन के परिणामस्वरूप ₹ 273.59 करोड़ की निधि अवरूद्ध रह गई।

(कंडिका 2.1.7.1, 2.1.8.1 तथा 2.1.8.3)

छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य की लागत के 50 प्रतिशत का भुगतान कंक्रीट क्यूब के प्रथम परीक्षण के संतोषजनक

परिणाम प्राप्त करने के उपरांत तथा अंतिम भुगतान द्वितीय परीक्षण के संतोषजनक परिणाम के उपरांत किया जाना था। तथापि, किसी परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना ही पूर्ण भुगतान के दृष्टांत देखे गए, जो कि अनियमित था।

(कंडिका 2.1.8.4 तथा 2.1.8.5)

टी.एफ.सी.जी. योजना के 70 प्रतिशत घटक के अंतर्गत, ग्राम पंचायतों के द्वारा बिना किसी प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के कार्यों का निष्पादन किया गया। इसके अतिरिक्त, निष्पादित कार्यों के माप भी अभिलिखित नहीं किए गए।

(कंडिका 2.1.8.1, 2.1.8.4 तथा 2.1.8.5)

2.1.1. प्रस्तावना

भारत के संविधान के 73वें संशोधन के परिणामस्वरूप, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के 29 कार्य पंचायतों के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

छत्तीसगढ़ में 27 जिला पंचायतें, 146 जनपद पंचायतें तथा 10971 ग्राम पंचायतें[1] हैं। पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के द्वारा 13 निर्माण संबंधी योजनाओं के अंतर्गत सड़क, भवन, नाली, तालाब, बाजार चबूतरा, शौचालय आदि का निर्माण जैसे कार्य किए जा रहे थे **(परिशिष्ट 2.1.1)**। 13 में से चार योजनाओं का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना (एम.जी.यू.वाई.) का प्रारंभ वर्ष 2006–07 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग, रायपुर तथा जांजगीर–चांपा जिलों की ग्राम पंचायतों में अधोसंरचना के विकास हेतु किया गया। इसमें सम्मिलित कार्य आंगनबाड़ी भवन, सामुदायिक भवन, सीमेंट कंक्रीट सड़क, उचित मूल्य की दुकानों का निर्माण इत्यादि हैं।

तेरहवें वित्त आयोग अनुदान (टी.एफ.सी.जी.) का उद्देश्य ग्रामों एवं स्कूलों में बुनियादी सेवाओं, अधोसंरचना विकास तथा सिविक आवश्यकताओं जैसे जन शौचालय, जल निकास प्रणाली तथा पेयजल सुविधाओं का सृजन करना है।

मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजना (एम.जे.एस.वाई.) का प्रारंभ जनपद पंचायत के लिए मूलभूत सुविधाओं के निर्वहन करने हेतु, जनपद पंचायत को सक्षम एवं आत्मनिर्भर कर योग्य बनाने हेतु किया गया था। योजना के अंतर्गत, जनपद पंचायत को उनके अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास एंव सामाजिक न्याय के सुदृढ़ीकरण हेतु अनाबद्ध निधि प्रदान की जाती है। इसमें सामुदायिक भवन, सीमेंट कंक्रीट सड़क, जलनिकास प्रणाली आदि का निर्माण कार्य सम्मिलित है।

मूलभूत कार्यो हेतु ग्राम पंचायतों को अनुदान (जी.जी.पी.एफ.डब्ल्यू.) की संरचना ग्रामों की स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम सभा के अनुमोदन से मूलभूत कार्यों के निष्पादन हेतु किया गया है। योजना के अंतर्गत भवनों के मरम्मत एवं संधारण, प्रचलित नलकूपों में पम्प लगाने, हैण्डपम्पों के निकट नाली निर्माण आदि के कार्य किए जाते हैं।

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जिला पंचायत/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सी.ई.ओ.) एवं ग्राम पंचायत के सचिवों के द्वारा उनके वित्तीय प्राधिकार के आधार पर प्रदान की जाती है तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आर.ई.एस.) निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

---

[1] जून 2015 में निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारंभ किए जाने के समय, 18 जिला पंचायत, 146 जनपद पंचायत तथा 9717 ग्राम पंचायत थीं।

2.1.2 संगठनात्मक संरचना

पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग (पी.आर.डी.डी.), छत्तीसगढ़ शासन का शासन स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव शीर्षस्थ होता है। पी.आर.आई. की संगठनात्मक संरचना जिला, विकासखंड एंव ग्राम स्तर पर क्रमशः जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत के रूप में त्री–स्तरीय व्यवस्था है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत के कार्यकारी प्रमुख क्रमशः मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) जिला पंचायत, सी.ई.ओ. जनपद पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत होते हैं। कार्यों का निष्पादन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है।

2.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था किः

- निर्माण कार्यों के चयन एवं निष्पादन हेतु उचित योजना एवं प्राथमिकता थी;
- निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु प्रदत्त निधियों का उपयोग कुशलता एवं मितव्ययता से तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन मापदण्डों के अनुरूप किया गया;
- निधियों की उत्कृष्ट उपयोगिता एंव कार्यों की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु कार्यों के अनुश्रवण एवं समन्वय की उचित व्यवस्था थी; तथा
- गुणवत्ता नियंत्रण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था अस्तित्व में थी तथा यह प्रभावी थी।

2.1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य पर निष्पादन लेखापरीक्षा मई 2015 से सितम्बर 2015 के दौरान किया गया तथा 2010–11 से 2014–15 की अवधि सम्मिलित थी। संचालक, पंचायत विभाग (डी.पी.डी.) के अभिलेखों के अतिरिक्त, 18 जिला पंचायतों में से पांच, 67 जनपद पंचायतों (पांच नमूना जाँच जिला पंचायत के अधीन) में से सात तथा 636 ग्राम पंचायतों (सात नमूना जाँच जनपद पंचायत के अधीन) में से 31 ग्राम पंचायतों **(परिशिष्ट 2.1.2)** के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। व्यय के आधार पर 13 योजनाओं में से चार योजनाओं **(परिशिष्ट 2.1.1)** का चयन किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं पद्धति पर चर्चा करने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, पी.आर.डी.डी. के साथ आगम बैठक का आयोजन (जुलाई 2015) किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव, पी.आर.डी.डी. के साथ निर्गम बैठक का आयोजन जनवरी 2016 में किया गया तथा प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में यथोचित सम्मिलित किया गया है।

2.1.5 लेखापरीक्षा का मापदण्ड

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को निम्न मापदण्डों के विरूद्ध परखा गयाः

- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम;
- योजनाओं के दिशानिर्देश;
- क्रियान्वयन विभागों/अभिकरणों की नियमावली; तथा
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.), प्रस्ताव, स्वीकृतियाँ तथा निष्पादन से संबंधित अन्य अभिलेख।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.6 योजना

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम (सी.जी.पी.आर.ए.) 1993 के अनुसार ग्राम पंचायत को उनके अधीन निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की वार्षिक योजना तैयार कर जनपद पंचायत के वार्षिक योजनाओं के साथ समाकलन करने हेतु निर्धारित समय में जनपद पंचायत को प्रस्तुत करना चाहिए। सी.जी.पी.आर.ए. 1993 यह भी प्रावधान करता है कि जनपद पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं को समेकित कर तैयार किए गए वार्षिक योजनाओं को जिला पंचायत योजना के साथ समाकलन करने हेतु निर्धारित अवधि में जिला पंचायत को प्रस्तुत करना चाहिए। जिला पंचायत का यह दायित्व होता है कि वह जिले की वार्षिक योजना बनाए तथा पंचायतों को हस्तांतारित विषयों के संबंध में वार्षिक योजना का समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि:

2.1.6.1 मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना

पी.आर.आई. द्वारा कोई वार्षिक योजना नहीं बनायी गयी थी

योजना के अंतर्गत किसी भी चयनित जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत के द्वारा 2010–11 से 2013–14 के दौरान वार्षिक योजना नहीं बनाया गया। ग्राम पंचायत के द्वारा सीमेंट कंक्रीट सड़क, निर्मला घाट, मुक्तिधाम, आंगनबाड़ी भवन, कांजी हाउस, ग्राम पंचायत भवन सह उचित मूल्य दुकान तथा सामुदायिक भवन जैसे निर्माण कार्यों का निष्पादन, वार्षिक योजना तैयार किए बिना ही विधायिका/जिला पंचायत/जनपद पंचायत के चयनित सदस्यों की अनुशंसा पर किया गया।

2.1.6.2 तेरहवें वित्त आयोग अनुदान योजना

टी.एफ.सी.जी. योजना के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक वर्ष, जिला पंचायत एव जनपद पंचायत के प्रकरण में सामान्य सभा तथा ग्राम पंचायत के प्रकरण में ग्राम सभा के अनुमोदन से, जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत को वार्षिक योजना तैयार करना चाहिए। प्रत्येक कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए तथा निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु तकनीकी सहायता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आर.ई.एस.) प्रदान करेगा।

तथापि, नमूना जाँच किए गए पांच जिला पंचायतों, सात जनपद पंचायतों तथा 31 ग्राम पंचायतों में यह देखा गया कि 2010–15 के दौरान जिला पंचायत बस्तर, जिला पंचायत रायपुर तथा जनपद पंचायत कोण्डागांव को छोड़कर किसी जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत के द्वारा कार्ययोजना नहीं बनाया गया। कार्यों का निष्पादन जिला पंचायत की सामान्य सभा बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर किया गया तथा सात नमूना जाँच किए गए जनपद पंचायतों में न तो कार्यों के निष्पादन के पूर्व जनपद पंचायत की सामान्य सभा द्वारा कार्यों को अनुमोदित किया गया, न ही उनके द्वारा कार्ययोजना बनाया गया। नमूना जाँच किए गए ग्राम पंचायतों के संबंध में यद्यपि कार्यों का निष्पादन ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात् किया गया परन्तु 2010–15 के दौरान उनके द्वारा कार्ययोजना नहीं बनाया गया।

शासन ने निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए कहा कि कार्ययोजना बनाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

2.1.6.3 मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजना

एम.जे.एस. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में कार्ययोजना बनाया जाकर जनपद पंचायत की सामान्य सभा द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। योजना

के अंतर्गत डी.पी.डी. से राशि प्राप्त होने पर जिला पंचायत उसे जनपद पंचायत को विमुक्त करता है। कार्यों का निष्पादन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है।

नमूना जाँच किए गए जनपद पंचायत की समीक्षा में यह पाया गया कि यद्यपि नमूना जाँच के जनपद पंचायत में विभिन्न कार्यों का निष्पादन किया गया परन्तु उनके द्वारा कार्ययोजना नहीं बनाया गया।

शासन ने निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए कहा कि कार्ययोजना बनाने के निर्देश के साथ योजना को पुनः लागू किया जाएगा।

2.1.6.4 मूलभूत कार्यों हेतु ग्राम पंचायतों को अनुदान

पूर्व **कंडिका 2.1.6** में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा ने यह देखा कि:

यद्यपि ग्राम पंचायतों के द्वारा कार्यों का चयन एवं निष्पादन ग्राम सभा के अनुमोदन से किया गया परन्तु ग्राम पंचायतों के द्वारा वार्षिक योजना नहीं बनाई गई।

अनुशंसा

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पी.आर.आई. के द्वारा वार्षिक योजनाएं बनाई जानी चाहिए।

2.1.7 वित्तीय प्रबंधन

एम.जी.यू. योजना के अंतर्गत राशि डी.पी.डी. से जिला पंचायत, जिला पंचायत से जनपद पंचायत तथा जनपद पंचायत से ग्राम पंचायत को विमुक्त की गई। डी.पी.डी. से राशि प्राप्त होने पर जिला पंचायत प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत जनपद पंचायत को विमुक्त करता है, जिसे जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत को विमुक्त किया जाता है। अनुगामी किस्तें जनपद पंचायत के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् विमुक्त की जाती हैं।

टी.एफ.सी.जी. योजना के अंतर्गत राशि का वितरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत को 70:20:10 के अनुपात से किया जाता है। राशि के प्राप्त होने पर जिला पंचायत स्वयं का 10 प्रतिशत अंश रखकर जनपद पंचायत (20 प्रतिशत) तथा ग्राम पंचायत (70 प्रतिशत) अंश का वितरण कार्यों के निष्पादन हेतु करता है। तथापि, कार्यों का निष्पादन ग्राम पंचायत स्तर पर होता है।

योजनाओं की उपलब्ध निधि का विभाग पूर्ण उपयोग नहीं कर सका

एम.जे.एस. योजना के अंतर्गत ₹ एक करोड़ की अनाबद्ध निधि का हस्तांतरण डी.पी.डी. से जिला पंचायत, जिला पंचायत से जनपद पंचायत तथा अंततः ग्राम पंचायत को किया जाता है। जी.जी.पी.एफ.डब्ल्यू. योजना के अंतर्गत डी.पी.डी. से जिला पंचायत तथा जिला पंचायत से सीधे संबंधित ग्राम पंचायत को मूलभूत कार्यों के निष्पादन हेतु राशि विमुक्त की जाती है।

2010–15 के दौरान चयनित योजनाओं के आवंटन एवं व्यय की स्थिति इस प्रकार है:

तालिका 2.1.1: 2010–15 के दौरान चयनित योजनाओं के आवंटन एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	चयनित योजनाओं का नाम							
	मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना		13 वें वित्त आयोग अनुदान		मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजना		मूलभूत कार्यों हेतु ग्राम पंचायत को अनुदान	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2010–11	75.00	55.72	170.55	151.82	0.00	0.00	150.00	150.00
2011–12	105.00	70.53	322.89	261.55	0.00	0.00	150.00	150.00
2012–13	104.71	53.98	369.49	274.55	146.00	86.57	233.00	233.00
2013–14	104.75	35.48	519.09	279.47	146.00	107.33	300.00	300.00
2014–15	0.00	0.00	138.30	90.71	146.00	54.76	300.00	300.00
योग	**389.46**	**215.71 (55)**	**1520.32**	**1058.10 (70)**	**438.00**	**248.66 (57)**	**1133.00**	**1133.00 (100)**

स्रोतः संचालक, पंचायत विभाग, छ.ग. शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी (कोष्टक में अंकित आंकड़े योजना में आवंटन के विरूद्ध व्यय के प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं)

नमूना जाँच की चार योजनाओं हेतु जारी कुल आवंटन ₹ 3,480.78 करोड़ था, जो कि 13 निर्माण संबंधी योजनाओं हेतु जारी कुल आवंटन का 35.96 प्रतिशत था।

तालिका 2.1.1 से स्पष्ट है कि 2010–15 के दौरान चार चयनित योजनाओं के अधीन विभाग कुल आवंटन का मात्र 55, 70 तथा 57 प्रतिशत ही व्यय कर सका। तथापि, जी.जी.पी.एफ.डब्ल्यू. योजना के अंतर्गत विमुक्त की गयी राशि को ही वास्तविक व्यय के स्थान पर व्यय माना गया। इसके परिणामस्वरूप 30 से 45 प्रतिशत राशि की बचत हुई। कार्यों को स्वीकृत न किये जाने, अपूर्ण कार्य, कार्यों के निरसन तथा स्वीकृत कार्यों के अप्रारंभ रहने के कारण बचत हुआ।

शासन ने निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया तथा इस संबंध में निर्देश प्रसारित करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। आगे यह भी कहा गया कि एम.जी.यू. योजना वर्ष 2013–14 से बंद हो गई है अतएव आवंटित राशि अनुपयोगी रह गई। टी.एफ.सी.जी. तथा एम.जे.एस. योजना के अंतर्गत, अंतिम किस्त के उपयोग न किए जाने के कारण बचत हुई। टी.एफ.सी.जी. तथा एम.जे.एस. योजना से संबंधित उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि संपूर्ण लेखापरीक्षा अवधि में बचत देखा गया।

2.1.7.1 निधि के उपयोग न किए जाने के कारण राशि ₹ 262.61 करोड़ अवरूद्ध रहना

निधियों के उपयोग न किये जाने के कारण राशि का अवरोधन

डी.पी.डी. में टी.एफ.सी.जी. के अभिलेखों की समीक्षा में यह देखा गया कि 2010–15 की अवधि में जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों के द्वारा ₹ 1,520.32 करोड़ की कुल प्राप्त राशि के विरूद्ध ₹ 1,257.71 करोड़ की लागत के कार्य स्वीकृत किए गए। परिणामस्वरूप, जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों के पास ₹ 262.61 करोड़ (17 प्रतिशत) की निधि छः माह से चार वर्ष तक बैंक खातों में अनुपयोगी रखी हुई है **(परिशिष्ट 2.1.3)**।

नमूना जाँच किये गये चार जिला पंचायतों में ₹ 564.43 करोड़ की राशि की उपलब्धता के विरूद्ध ₹ 430.11 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए। इसके परिणामस्वरूप 2010–15 के दौरान ₹ 134.32 करोड़ (24 प्रतिशत) की निधि अवरूद्ध हो गई **(परिशिष्ट 2.1.4)**।

शासन ने निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया।

2.1.7.2 टी.एफ.सी.जी. योजना के अंतर्गत राशि ₹ 449.70 करोड़ की कम प्राप्ति

अभिलेखों की समीक्षा में यह पाया गया कि टी.एफ.सी.जी. योजना के विभिन्न घटकों से संबंधित ₹ 449.70 करोड़ छत्तीसगढ़ शासन को प्राप्त नहीं हुए। इसमें कम प्राप्ति का 66 प्रतिशत निष्पादन अनुदान से संबंधित था। इसमें ₹ 151.91 करोड़ बुनियादी अनुदान तथा ₹ 297.79 करोड़ निष्पादन अनुदान सम्मिलित था।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में शासन के द्वारा यह उत्तर दिया गया कि डी.पी.डी. को राशि सीधे प्राप्त नहीं हुई अतएव उनकी तरफ से कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। उत्तर

मान्य नहीं हैं क्योंकि डी.पी.डी. को राशि की कम प्राप्ति के कारण ज्ञात कर उसके निराकरण हेतु उचित कार्यवाही करना था।

2.1.7.3 ₹ 25.91 करोड़ की राशि का अनियमित व्यपवर्तन

₹ 25.91 करोड़ की निधि का अनियमित व्यपवर्तन

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के अनुसार, जिस प्रयोजन हेतु अनुदान दिया गया है वह उसी मद में व्यय किया गया, यह देखने का दायित्व उस विभागाध्यक्ष का है, जिसमें अनुदान स्वीकृत किया गया था।

डी.पी.डी. के अभिलेखों की समीक्षा में यह देखा गया कि राज्य के ग्राम पंचायतों के छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के प्रति लंबित विद्युत देयकों का भुगतान करने हेतु एम.जे.एस. योजना की निधि से ₹ 20.71 करोड़ का, वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए, अनियमित व्यपवर्तन (मार्च 2015) किया गया। इसके अतिरिक्त, जिला पंचायत जांजगीर–चांपा में ₹ 5.20 करोड़ का व्यपवर्तन (अक्टूबर 2014) अंशदायी पेंशन योजना के भुगतान हेतु किया गया। तथापि, ₹ 5.20 करोड़ का समायोजन (अक्टूबर 2014) एम.जे.यू. योजना से पुनः व्यपवर्तन कर किया गया। इसका नियमितिकरण दिसंबर 2015 की स्थिति तक नहीं किया गया था।

शासन ने निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में विद्युत देयकों के भुगतान हेतु राशि के व्यपवर्तन संबंधी लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया। तथापि, व्यपवर्तन के नियमितिकरण के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2.1.7.4 जी.जी.पी.एफ.डब्ल्यू. योजना के अंतर्गत ₹ 1,133 करोड़ के प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत न किया जाना

यू.सी. एवं प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत न किया जाना

डी.पी.डी. के आवंटन आदेश तथा जिला पंचायतों के द्वारा ग्राम पंचायतों को राशि जारी करने संबंधी पत्र के अनुसार, ग्राम पंचायत को प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रगति प्रतिवेदन जनपद पंचायत को प्रस्तुत करना चाहिए तथा इसके पश्चात् जनपद पंचायत द्वारा जिला पंचायत को जिसे अंततः जिला पंचायत द्वारा डी.पी.डी. को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सी.ई.ओ. जिला पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र डी.पी.डी. को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत करना चाहिए।

समीक्षा में यह पाया गया कि जी.जी.पी.एफ.डब्ल्यू. योजना के अंतर्गत कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन जिला पंचायतों से प्राप्त नहीं किया गया तथा राशि ₹ 1,133 करोड़ के यू.सी. वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत नहीं किए गए।

शासन ने निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए कहा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु निर्देश प्रसारित किए जाएंगे। तथापि, इस हेतु समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया।

2.1.7.5 बैंक से अर्जित ब्याज की राशि का अनुपयोगी रहना

एम.जे.एस. योजना तथा जी.जी.पी.एफ.डब्ल्यू. योजना के दिशानिर्देश में अर्जित ब्याज की राशि के उपयोग हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

नमूना जाँच किये गये जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत के अभिलेखों के जाँच में यह पाया गया कि टी.एफ.सी.जी. योजना की निधि पर चार जिला पंचायतों तथा तीन जनपद पंचायतों में 2010–15 के दौरान अर्जित ₹ 2.99 करोड़ ब्याज की राशि का उपयोग किसी कार्य हेतु नहीं किया गया तथा यह बैंक में निष्क्रिय रखी रही। इसी तरह रायपुर, जांजगीर–चांपा तथा सरगुजा जिलों के तीन जिला पंचायतों में जी.जी.पी.एफ.डब्ल्यू. योजना की निधि पर ₹ 1.18 करोड़ की अर्जित ब्याज एवं जांजगीर–चांपा तथा सरगुजा जिले के दो जिला पंचायत में एम.जे.एस. योजना की

निधि पर अर्जित ₹ 1.44 करोड़ के ब्याज की राशि का उपयोग किसी कार्य हेतु नहीं किया गया तथा यह बैंक में निष्क्रिय रखी रही।

शासन ने निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए कहा कि अर्जित ब्याज को निधि का अतिरिक्त स्रोत माना जाएगा एवं इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रसारित किए जायेंगें।

अनुशंसाएं

शासन को बचत कम करने हेतु निधि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए, निधि पर अर्जित ब्याज के उपयोग हेतु दिशानिर्देश जारी करना चाहिए तथा क्रियान्वयन एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करना चाहिए।

2.1.8 योजना का क्रियान्वयन

2.1.8.1 जिला पंचायत रायपुर

जिला पंचायत रायपुर में 15 जनपद पंचायत तथा 1351 ग्राम पंचायत सम्मिलित है। इसमें से हमने निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु दो जनपद पंचायतों तथा 10 ग्राम पंचायतों का चयन किया **(परिशिष्ट 2.1.2)**। जिला पंचायत रायपुर में निर्माण हेतु 5693 कार्य स्वीकृत किए गए जिनमें से 1540 कार्य अपूर्ण थे।

मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना

अपूर्ण कार्य

सी.ई.ओ., जिला पंचायत के आदेशानुसार निर्माण कार्यों के लिए एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायत होंगे। जिला पंचायत द्वारा जारी किए गये प्रशासकीय स्वीकृति (ए.ए.) में कार्यों को पूर्ण करने हेतु नियत अवधि तीन माह से छः माह उल्लेखित की गई थी।

सी.ई.ओ., जिला पंचायत रायपुर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2010–11 से 2013–14 के मध्य स्वीकृत 5411 कार्यों में से 1540 (28 प्रतिशत) कार्य, मार्च 2015 की स्थिति में, एक से चार वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी अपूर्ण थे, जिसका विवरण **तालिका 2.1.2** में दिया गया हैं।

तालिका 2.1.2: जिला पंचायत, रायपुर में स्वीकृत, पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों का विवरण

वर्ष	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत कार्यो के विरूद्ध प्राप्त राशि (₹ करोड़ में)	स्वीकृत कार्यो पर किया गया व्यय (₹ करोड़ में)	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य
2010–11	762	22.68	20.08	497	265 (35)
2011–12	1817	31.45	29.18	1552	265 (15)
2012–13	1216	32.52	28.79	929	287 (24)
2013–14	1616	43.47	34.09	893	723 (45)
योग	**5411**	**130.12**	**112.14**	**3871**	**1540 (28)**

स्रोतः– सी.ई.ओ., जिला पंचायत रायपुर के द्वारा प्रदाय की गई जानकारी (कोष्टक में आंकड़े प्रतिशत को इंगित करते है)

तालिका 2.1.2 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2010–14 में अपूर्ण कार्यों का प्रतिशत 15 से 45 तक था। कार्य अपूर्ण रहने का कारण स्थल परिवर्तन, स्थल की अनुपलब्धता, चुनाव के पश्चात् सरपंच का परिवर्तन एवं सरपंच की रूचि का अभाव था।

वर्ष 2010–14 में जिला पंचायत के 5411 कार्यों में से 628 कार्य नमूना जाँच किये गये आरंग एवं धरसीवां जनपद पंचायतों से संबंधित थे। इसमें से 79 (13 प्रतिशत) कार्य अपूर्ण थे।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) के दौरान शासन के द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया गया एवं कहा गया कि विलम्ब मुख्यतः पंचायत चुनाव, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब आदि के कारण हुआ।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पंचायत चुनाव वर्ष 2015 में हुआ था फिर भी कार्य संपूर्ण लेखापरीक्षा अवधि में अपूर्ण रहे।

राशि ₹ 7.41 करोड़ का अवरूद्ध रहना

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में केवल उतना ही अनुदान उपलब्ध किया जाना चाहिए जिसका उस वर्ष में व्यय किया जाना अपेक्षित है।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2010–14 के दौरान योजना में प्राप्त राशि ₹ 137.41 करोड़ में से जिला पंचायत द्वारा राशि ₹ 130.12 करोड़ की लागत के 5411 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। शेष राशि ₹ 7.29 करोड़ जिसकी कोई प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई, जिला पंचायतों के बैंक खाते में रखी थी, जिसे न तो जिला पंचायत द्वारा योजना के लिए उपयोग किया गया न ही वापस किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राशि अवरूद्ध रही।

जनपद पंचायत धरसीवां के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि चार स्वीकृत कार्य (वर्ष 2011–12 एवं 2013–14 प्रत्येक वर्ष के दो कार्य), दो कार्यों के स्थल परिवर्तन एवं अन्य योजना के अंतर्गत पहले से ही स्वीकृत होने (दो कार्य) के कारण वर्तमान तक प्रारंभ नहीं किये जा सके। इस प्रकार कार्यों के अप्रारंभ रहने के कारण राशि ₹ 11.97 लाख अवरूद्ध रही जैसा कि **परिशिष्ट 2.1.5** में वर्णित किया गया है। इस प्रकार कुल ₹ 7.41 करोड़ अवरूद्ध रही।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) के दौरान शासन के द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया गया एवं कहा गया कि अनुपयोगी राशि को वापस किया जायेगा। हालांकि वापसी के लिए किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया था।

तेरहवें वित्त आयोग अनुदान योजना

ग्राम पंचायतों के द्वारा प्रशासकीय एंव तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्यों का निष्पादन करना

ग्राम पंचायत के द्वारा ए.ए./टी.एस. के बिना कार्यों का अनियमित निष्पादन

तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत, ग्राम पंचायतों के अंश (70 प्रतिशत) का हस्तान्तरण सीधे जिला पंचायतों से ग्राम पंचायतों को किया जाता है। तेरहवें वित्त आयोग के राशि के उपयोग के संबंध में छ.ग शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार इस घटक के तहत कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति एंव तकनीकी स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत एवं निष्पादित किया जायेगा।

जनपद पंचायत आरंग एवं धरसीवां के 10 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 2010–15 के दौरान पांच ग्राम पंचायतों द्वारा राशि ₹ 42.88 लाख प्राप्त किया गया एवं 130 कार्यों के निष्पादन में राशि ₹ 42.85 लाख व्यय किया गया **(परिशिष्ट 2.1.6)**। तथापि यह देखा गया कि यद्यपि ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात् कार्यों का निष्पादन किया गया परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा न तो कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई न ही तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त निष्पादित कार्यों का माप भी ग्राम पंचायतों द्वारा दर्ज नहीं किया गया।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) के दौरान शासन ने कहा कि प्रकरण की जाँच की जाएगी।

सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया जाना

तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के संबंध में छ.ग शासन द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश के अनुसार प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिवर्ष सामाजिक अंकेक्षण किया जाना होगा।

जिला पंचायत रायपुर के चयनित आठ ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया। इंगित किए जाने पर ग्राम पंचायतों के सचिवों ने कहा कि उच्च कार्यालय से इस संबंध में निर्देशों के अभाव के कारण सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया गया है एवं अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जायेगा।

शासन का उत्तर ग्राम पंचायतों के सचिवों के उत्तर के विपरीत है जिन्होंने कहा था कि दिशानिर्देशों के अभाव में सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था।

मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजना

मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों पर राशि ₹ 28.37 लाख की अनियमित स्वीकृति

एम.जे.एस. योजना के दिशानिर्देश के अनुसार मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों के लिए आवंटित राशि का 25 प्रतिशत व्यय किया जा सकेगा परन्तु प्रत्येक मरम्मत एवं रखरखाव कार्य पर ₹ एक लाख से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जा सकता।

जनपद पंचायत धरसीवां के अभिलेखों की जाँच में पाया कि सी.ई.ओ. धरसीवां जनपद पंचायत द्वारा उपरोक्त दिशानिर्देश का अवहेलना कर राशि ₹ 28.37 लाख के लागत के 15 मरम्मत एवं रखरखाव कार्य एंव प्रत्येक कार्य राशि ₹ एक लाख से अधिक की लागत की स्वीकृति प्रदान किया गया। इन कार्यों पर राशि ₹ 24.57 लाख व्यय किया गया।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) के दौरान शासन ने कहा कि नवीनीकरण कार्यों को मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त कार्यों को योजना के मरम्मत एवं रखरखाव श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था एवं निर्धारित सीमा से अधिक की लागत की स्वीकृति प्रदान की गई।

सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया जाना

छ.ग शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार जनपद पंचायत को उपलब्ध करायी गई राशि का सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा।

जिला पंचायत रायपुर के अंतर्गत छः नमूना जाँच किये गये ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया। इंगित किए जाने पर ग्राम पंचायतों के सचिवों ने तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा कि उच्च कार्यालय से इस संबंध में दिशानिर्देशों के अभाव के कारण सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों हेतु अनुदान योजना

ग्राम पंचायतों द्वारा अनियमित रूप से कार्यों का निष्पादन किया जाना

जिला पंचायत रायपुर के जनपद पंचायत आरंग एवं धरसीवां के नमूना जाँच में चयनित 10 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2010–15 में जनपद पंचायत आरंग के चार ग्राम पंचायतों को राशि ₹ 68.04 लाख उपलब्ध करायी गई थी एवं कार्यों के निष्पादन में राशि ₹ 53.57 लाख व्यय किया गया **(परिशिष्ट 2.1.7)**।

तथापि यह देखा गया कि यद्यपि ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात् कार्यों का निष्पादन किया गया परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा न तो कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई न ही तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त निष्पादित कार्यों का माप भी ग्राम पंचायतों द्वारा दर्ज नहीं किया गया। साथ ही ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यों में उपयोग किये गये सामग्री का विवरण भी संधारित नहीं किया गया।

सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया जाना

छ.ग शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यो हेतु अनुदान योजना हेतु जारी दिशानिर्देश के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत निष्पादन होने वाले कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना होगा।

जिला पंचायत रायपुर के छः नमूना जाँच किये गये ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया। इंगित किए जाने पर ग्राम पंचायतों के सचिवों ने तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा कि उच्च कार्यालयों से इस संबंध में दिशानिर्देश के अभाव के कारण सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया।

2.1.8.2 जिला पंचायत दुर्ग

जिला पंचायत, दुर्ग में 12 जनपद पंचायत एवं 1105 ग्राम पंचायत सम्मिलित है। इसमें से हमने एक जनपद पंचायत एवं पांच ग्राम पंचायतों का चयन समीक्षा हेतु किया **(परिशिष्ट 2.1.2)**। जिला पंचायत दुर्ग के अंतर्गत 5816 कार्यों को निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये थे जिसमें से 328 कार्य अपूर्ण थे।

मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना

अपूर्ण कार्य

पूर्व **कंडिका 2.1.8.1** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा के द्वारा देखा गया कि:

नमूना जाँच जिला पंचायत में वर्ष 2010—11 से 2013—14 के मध्य स्वीकृत 5627 कार्यो में से 303 (पांच प्रतिशत) कार्य मार्च 2015 की स्थिति में एक से चार वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी अपूर्ण थे जिसका विवरण **तालिका 2.1.3** में दिया गया है।

तालिका 2.1.3: जिला पंचायत, दुर्ग में स्वीकृत, पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यो का विवरण

वर्ष	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध प्राप्त राशि (₹ करोड़ में)	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य
2010—11	866	25.45	791	75 (9)
2011—12	2076	37.32	2072	4
2012—13	1461	41.70	1389	72 (5)
2013—14	1224	38.81	1072	152 (12)
योग	**5627**	**143.28**	**5324**	**303 (5)**

स्रोतः सी.ई.ओ., जिला पंचायत, दुर्ग के द्वारा प्रदाय की गई जानकारी (कोष्टक में आंकड़े प्रतिशत को इंगित करते हैं)

तालिका 2.1.3 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2010—14 में धन की उपलब्धता के बावजूद अपूर्ण कार्यों का प्रतिशत 12 तक था।

वर्ष 2010—14 में जिला पंचायत के 5627 कार्यों में से 650 कार्य नमूना जाँच जनपद पंचायत पाटन से संबंधित थे। यह देखा गया कि इसमें से 24 कार्य (चार प्रतिशत) धन की उपलब्धता के बावजूद अपूर्ण थे। कार्य अपूर्ण रहने का कारण स्थल परिवर्तन, स्थल की अनुपलब्धता, चुनाव के पश्चात् सरपंच का परिवर्तन एवं सरपंच की रूचि का अभाव था।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) के दौरान शासन के द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया गया एवं कहा गया कि विलम्ब मुख्यतः पंचायत चुनाव, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब आदि के कारण हुआ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पंचायत चुनाव वर्ष 2015 में हुआ था फिर भी कार्य संपूर्ण लेखापरीक्षा अवधि में अपूर्ण रहे।

तेरहवें वित्त आयोग अनुदान योजना

सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया जाना

तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के संबंध में छ.ग. शासन द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश के अनुसार प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिवर्ष सामाजिक अंकेक्षण किया जाना होगा।

जिला पंचायत दुर्ग के चयनित तीन ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दो ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया। इंगित किए जाने पर ग्राम पंचायतों के सचिवों ने कहा कि उच्च कार्यालयों से इस संबंध में दिशानिर्देशों के अभाव के कारण सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया गया है एवं अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जायेगा।

शासन का उत्तर ग्राम पंचायतों के सचिवों के उत्तर के विपरीत है जिन्होंने कहा था कि ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था।

मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजना

अपूर्ण कार्य

पूर्व **कंडिका 2.1.8.1** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा के द्वारा देखा गया कि:

नमूना जाँच किये गये जनपद पंचायत (पाटन) में 2012–14 में धन की उपलब्धता के बावजूद विभाग कुल स्वीकृत 189 कार्यों में से 25 (13 प्रतिशत) कार्य एक से दो वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी पूर्ण नहीं कर सका **(परिशिष्ट 2.1.8)**। इन कार्यों को तीन से छः महीनों में पूर्ण किया जाना था। कार्य अपूर्ण रहने का कारण स्थल परिवर्तन, स्थल की अनुपलब्धता, चुनाव के पश्चात् सरपंच का परिवर्तन एवं सरपंच की रूचि का अभाव था।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) के दौरान शासन के द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया गया एवं कहा गया कि विलम्ब मुख्यतः पंचायत चुनाव, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब आदि के कारण हुआ।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पंचायत चुनाव वर्ष 2015 में हुआ था फिर भी कार्य संपूर्ण लेखापरीक्षा अवधि में अपूर्ण रहे।

सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया जाना

छ.ग. शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार, जनपद पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी राशि का सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा।

जिला पंचायत, दुर्ग के अंतर्गत चयनित तीन ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया। इंगित किए जाने पर ग्राम पंचायतों के सचिवों ने तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा कि उच्च कार्यालयों से इस संबंध में दिशानिर्देशों के अभाव के कारण सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों हेतु अनुदान योजना

सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया जाना

छ.ग. शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत जारी दिशानिर्देश के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना होगा।

जिला पंचायत, दुर्ग के चयनित तीन ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया। इंगित किए जाने पर पंचायतों के सचिवों ने तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा कि उच्च कार्यालयों से इस संबंध में दिशानिर्देशों के अभाव के कारण सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया।

2.1.8.3 जिला पंचायत, जांजगीर–चांपा

जिला पंचायत, जांजगीर–चांपा में नौ जनपद पंचायत एवं 631 ग्राम पंचायत सम्मिलित है। इसमें से हमने एक जनपद पंचायत एवं तीन ग्राम पंचायतों का चयन समीक्षा हेतु किया **(परिशिष्ट 2.1.2)**। जिला पंचायत जांजगीर–चांपा के अंतर्गत 5519 कार्यों को निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये थे, जिसमें से 1360 कार्य अपूर्ण थे।

मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना

अपूर्ण कार्य

पूर्व **कंडिका 2.1.8.1** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा के द्वारा देखा गया कि:

नमूना जाँच किये गये जिला पंचायत में, वर्ष 2010–11 से 2013–14 के मध्य स्वीकृत 5453 कार्यों में से 1347 (25 प्रतिशत) कार्य मार्च 2015 की स्थिति में, एक से चार वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी अपूर्ण थे, जिसका विवरण **तालिका 2.1.4** में दिया गया है। इन कार्यों को तीन माह से छः माह में पूर्ण किया जाना था।

तालिका 2.1.4: जिला पंचायत जांजगीर–चांपा में स्वीकृत, पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों का विवरण

वर्ष	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध प्राप्त राशि (₹ करोड़ में)	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य
2010–11	880	25.90	814	66 (7)
2011–12	2000	35.52	1665	335 (17)
2012–13	1645	28.34	1030	615 (37)
2013–14	928	18.78	597	331 (36)
योग	**5453**	**108.54**	**4106**	**1347 (25)**

स्रोतः संबंधित जिला पंचायत द्वारा प्रदाय की गई जानकारी (कोष्टक में आंकडें प्रतिशत को इंगित करते हैं)

तालिका 2.1.4 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2010–14 में धन की उपलब्धता के बावजूद अपूर्ण कार्यों का प्रतिशत सात से 37 तक था।

वर्ष 2010–14 में जिला पंचायत के 5453 कार्यों में से 652 कार्य नमूना जाँच किये गये जनपद पंचायत जैजेपुर से संबंधित थे। यह देखा गया कि इसमें से 85 (13 प्रतिशत) कार्य धन की उपलब्धता के बावजूद अपूर्ण थे। कार्य अपूर्ण रहने का कारण स्थल परिवर्तन, स्थल की अनुपलब्धता, चुनाव के पश्चात् सरपंच का परिवर्तन एवं सरपंच की रूचि का अभाव था।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) के दौरान शासन के द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया गया एवं कहा गया कि विलम्ब मुख्यतः पंचायत चुनाव, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब आदि के कारण हुआ।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पंचायत चुनाव वर्ष 2015 में हुआ था फिर भी कार्य संपूर्ण लेखापरीक्षा अवधि में अपूर्ण रहे।

राशि ₹ 2.67 करोड का अवरूद्ध रहना

जनपद पंचायत, जैजेपुर एवं जिला पंचायत, जांजगीर–चांपा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011–14 में स्वीकृत 43 कार्य सितम्बर 2015 तक अप्रारंभ थे। चूंकि योजना बंद हो गयी है, कार्य अप्रारंभ रहने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.42 करोड़ अवरूद्ध रही, जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.1.5** में दिया गया है।

आगे यह भी देखा गया कि सी.ई.ओ. जिला पंचायत, जांजगीर–चांपा के द्वारा नौ अटल समरसता भवन के निर्माण हेतु प्रति अटल समरसता भवन राशि ₹ 49.90 लाख के रूप में प्रशासकीय स्वीकृति जारी (जून 2014) किया गया एवं निधि पर अर्जित ब्याज की राशि में से राशि ₹ 2.25 करोड़ कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, जांजगीर–चांपा को उपरोक्त कार्य हेतु विमुक्त (जून 2014) किया गया। तथापि, नौ में से चार कार्यों में राशि ₹ 53.91 लाख व्यय कर आंशिक रूप में निर्माण किया गया था, जबकि शेष पाँच प्रकरणों में निर्माण प्रारंभ ही नहीं किया गया था क्योंकि उक्त कार्यों को जिला कलेक्टर के द्वारा स्थगित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं के पास राशि ₹ 1.25 करोड़ जून 2014 से अनुपयोगी रहा।

आगे यह भी देखा गया कि 2011–12 में जिला पंचायत, जांजगीर–चांपा के नवागढ़ जनपद पंचायत में राशि ₹ 26 लाख की लागत के 10 कार्य स्वीकृत किये गये थे। तथापि, कार्यों के निरस्त होने के पश्चात् तीन वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी शासन को राशि वापस नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 26 लाख अवरूद्ध रहा।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) के दौरान शासन के द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया गया एवं कहा गया कि अनुपयोगी राशि को वापस किया जायेगा।

तेरहवें वित्त आयोग अनुदान योजना

सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया जाना

तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के संबंध में छ.ग. शासन द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश के अनुसार प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिवर्ष सामाजिक अंकेक्षण किया जाना होगा।

जिला पंचायत, जांजगीर–चांपा के चयनित तीन ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था। इंगित किए जाने पर ग्राम पंचायतों के सचिवों ने तथ्यों की पुष्टि तो की परन्तु उसके लिये कोई भी कारण नहीं बताया।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया गया है एवं अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जायेगा।

शासन का उत्तर ग्राम पंचायतों के सचिवों के उत्तर के विपरीत है जिन्होंने कहा था कि ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था।

मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजना

अपूर्ण कार्य

पूर्व **कंडिका 2.1.8.1** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा के द्वारा देखा गया कि:

नमूना जाँच जनपद पंचायत में वर्ष 2012–14 में धन की उपलब्धता के बावजूद विभाग के द्वारा 66 स्वीकृत कार्यों में से 13 (20 प्रतिशत) कार्य एक से दो वर्ष व्यतीत हाने के पश्चात् भी पूर्ण नहीं किये जा सके **(परिशिष्ट 2.1.8)**। इन कार्यों को तीन से छः महीनों

में पूर्ण किया जाना था। कार्य अपूर्ण रहने का कारण स्थल परिवर्तन, स्थल की अनुपलब्धता, चुनाव के पश्चात् संरपच का परिवर्तन एवं सरपंच की रूचि का अभाव था।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) के दौरान शासन के द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया गया एवं कहा गया कि विलम्ब मुख्यतः पंचायत चुनाव, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब आदि के कारण हुआ।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पंचायत चुनाव वर्ष 2015 में हुआ था फिर भी कार्य संपूर्ण लेखापरीक्षा अवधि में अपूर्ण रहे।

राशि ₹ 90.49 लाख का अवरूद्ध रहना

नमूना जाँच जनपद पंचायत जैजैपुर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2012–15 में जनपद पंचायतों को डी.पी.डी. द्वारा जिला पंचायतों के माध्यम से राशि ₹ तीन करोड़ विमुक्त किया गया था, जिसमें से जनपद पंचायतों के द्वारा मात्र ₹ 2.10 करोड़ की राशि के कार्य स्वीकृत किये गये थे। शेष राशि ₹ 90.49 लाख का स्वीकृति के अभाव में छः महीने से दो वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी उपयोग नहीं किया जा सका, जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.1.9** में दिया गया है।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) के दौरान, शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया। तथ्य यही है कि दो वर्ष तक राशि के उपयोग हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया जाना

छ.ग. शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार, जनपद पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी राशि का सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा।

जिला पंचायत जांजगीर–चांपा के अंतर्गत चयनित तीन ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था। इंगित किए जाने पर ग्राम पंचायत के सचिवों ने तथ्यों की पुष्टि की परन्तु उसके लिए कोई भी कारण नहीं बताया।

ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों हेतु अनूदान योजना

सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया जाना

छ.ग. शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत जारी दिशानिर्देश के अनुसार, इस योजना के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना होगा।

जिला पंचायत जाजंगीर–चांपा के चयनित तीन ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था। इंगित किए जाने पर ग्राम पंचायतों के सचिवों ने तथ्यों की पुष्टि की परन्तु उसके लिये कोई भी कारण नहीं बताया।

2.1.8.4 जिला पंचायत, बस्तर

जिला पंचायत बस्तर में 12 जनपद पंचायत एवं 675 ग्राम पंचायत सम्मिलित है। जिसमें से हमने एक जनपद पंचायत एवं चार ग्राम पंचायतों का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु किया **(परिशिष्ट 2.1.2)**। जिला पंचायत, बस्तर के अंतर्गत 215 कार्यों को निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये थे जिसमें से 58 कार्य अपूर्ण थे।

तेरहवें वित आयोग अनुदान योजना

गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन के बिना क्रियान्वयन एजेन्सी को भुगतान किया जाना

छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा जारी निर्देशानुसार, कार्य की लागत की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कंक्रीट क्यूब के प्रथम परीक्षण के संतोषजनक प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जाना था एवं अन्तिम भुगतान द्वितीय परीक्षण के संतोषजनक प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् किया जाना था।

गुणवत्ता परीक्षण के बिना ही कार्यों का भुगतान

नमूना जाँच जनपद पंचायत में जांचे गए सभी 69 कार्यों में यह पाया गया कि कार्यों का गुणवत्ता परीक्षण नहीं किया गया। तथापि, इन सभी प्रकरणों में पूर्ण भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप, गुणवत्ता परीक्षण किये बिना क्रियान्वयन एजेन्सी को भुगतान किया जाना अनियमित था।

सी.ई.ओ. जनपद पंचायत कोण्डागांव द्वारा कहा गया कि दिशानिर्देशों में गुणवत्ता परीक्षण करने का प्रावधान नहीं था। अतः तदानुसार भुगतान किया गया।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) के दौरान, शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया गया एवं कहा गया कि निर्धारित आवृति के अनुसार गुणवत्ता परीक्षण कराने हेतु आदेश पहले से ही जारी किया गया है। तथ्य यह है कि गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन के बिना भुगतान किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्यों का निष्पादन करना

पूर्व **कंडिका 2.1.8.1** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा के द्वारा देखा गया किः

नमूना जाँच किये गये तीन ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2010–15 में राशि ₹ 39.17 लाख प्राप्त की गई थी एवं 87 कार्यों के निष्पादन पर राशि ₹ 31.62 लाख व्यय की गयी थी **(परिशिष्ट 2.1.6)**। तथापि यह देखा गया कि यद्यपि ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात् कार्यों का निष्पादन किया गया, परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा न तो कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी न ही तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त निष्पादित कार्यों का माप भी ग्राम पंचायतों द्वारा दर्ज नहीं किया गया।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) के दौरान शासन के द्वारा कहा गया कि प्रकरणों की जाँच की जाएगी।

सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया जाना

तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के संबंध में छ.ग. शासन द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश के अनुसार प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिवर्ष सामाजिक अंकेक्षण किया जाना होगा।

जिला पंचायत बस्तर के नमूना जाँच किये गये ग्राम पंचायतों के अभिलेखों में सामाजिक अंकेक्षण किया जाना नहीं पाया गया। ग्राम पंचायतों के सचिवों ने भी कहा कि जानकारी के अभाव में अभिलेख संधारण नहीं किया गया।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया गया है एवं अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जायेगा। हांलांकि शासन के दावे किसी अभिलिखित सबूत द्वारा समर्थित नहीं थे।

मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजना

अपूर्ण कार्य

पूर्व **कंडिका 2.1.8.1** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा के द्वारा देखा गया किः

नमूना जाँच किये गये जनपद पंचायत (कोण्डागांव) में वर्ष 2012–14 में धन की उपलब्धता के बावजूद विभाग के द्वारा स्वीकृत 99 कार्यों में से 58 (59 प्रतिशत) कार्य एक से दो वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं किये जा सके **(परिशिष्ट 2.1.8)**। इन कार्यों को तीन से छः महीनों में पूर्ण किया जाना था। कार्य अपूर्ण रहने का कारण स्थल परिवर्तन, स्थान की अनुपलब्धता, चुनाव के पश्चात् सरपंच का परिवर्तन एवं सरपंच की रूचि का अभाव था।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) के दौरान शासन के द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया गया एवं कहा गया कि विलम्ब मुख्यतः पंचायत चुनाव, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब आदि के कारण हुआ।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पंचायत चुनाव वर्ष 2015 में हुआ था फिर भी कार्य सपूंर्ण लेखापरीक्षा अवधि में अपूर्ण रहे।

गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन के बिना क्रियान्वयन एजेन्सी को भुगतान किया जाना

पूर्व **कंडिका 2.1.8.4** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा के द्वारा देखा गया किः

नमूना जाँच जनपद पंचायत में समीक्षा किये गये सभी 11 कार्यों में यह पाया गया कि कार्यों के गुणवत्ता परीक्षण नहीं किया गया। तथापि, इन सभी प्रकरणों में पूर्ण भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप क्रियान्वयन एजेन्सी को गुणवत्ता परीक्षण प्राप्त किये बिना भुगतान किया जाना अनियमित था।

सी.ई.ओ., कोण्डागांव द्वारा तथ्य की पुष्टि कर कहा गया कि छोटे प्रकृति के कार्य होने के कारण गुणवत्ता परीक्षण नहीं किया गया।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया गया एवं कहा गया कि निधार्रित आवृत्ति के अनुसार गुणवत्ता परीक्षण कराने हेतु आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। तथ्य यह है कि गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन के बिना भुगतान किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

2.1.8.5 जिला पंचायत, सरगुजा

जिला पंचायत, सरगुजा में 19 जनपद पंचायत एवं 1238 ग्राम पंचायत सम्मिलित है। जिसमें से हमने दो जनपद पंचायतों एवं नौ ग्राम पंचायतों का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु किया **(परिशिष्ट 2.1.2)**। जिला पंचायत सरगुजा के अंतर्गत 204 कार्य निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये थे, जिसमें से 25 कार्य अपूर्ण थे।

तेरहवें वित्त आयोग अनुदान योजना

गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन के बिना क्रियान्वयन एजेन्सी को भुगतान किया जाना

पूर्व **कडिंका 2.1.8.4** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा के द्वारा देखा गया किः

नमूना जाँच जनपद पंचायत में समीक्षा किये गये सभी 104 कार्यों में यह पाया गया कि कार्यों का गुणवत्ता परीक्षण नहीं किया गया। तथापि इन सभी प्रकरणों में पूर्ण भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप क्रियान्वयन एजेन्सी को गुणवत्ता परीक्षण प्राप्त किये बिना भुगतान किया जाना अनियमित था।

सी.ई.ओ., सूरजपुर द्वारा तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा गया कि दिशानिर्देशों में गुणवत्ता परीक्षण करने का प्रावधान नहीं था। अतः तदानुसार भुगतान किया गया।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) के दौरान शासन के द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया गया एवं कहा गया कि निर्धारित आवृति के अनुसार गुणवत्ता परीक्षण कराने हेतु आदेश पहले से ही जारी किया जा चुका है। तथ्य यह है कि गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन के बिना भुगतान किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

ग्राम पंचायतों द्वारा अनियमित रूप से कार्यों का निष्पादन करना

पूर्व **कडिंका 2.1.8.4** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा के द्वारा देखा गया कि:

नमूना जाँच किये गये पाँच ग्राम पंचायतों द्वारा 2010–15 में राशि ₹ 47.85 लाख प्राप्त की गई थी एवं कार्यों के निष्पादन में राशि ₹ 37.81 लाख व्यय की गई थी **(परिशिष्ट–2.1.6)**। यद्यपि, ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात् कार्यों का निष्पादन किया गया परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा न तो कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी न ही तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त, निष्पादित कार्यों का माप भी ग्राम पंचायतों द्वारा दर्ज नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों के सचिवों ने कहा कि जानकारी के अभाव में अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया। तथ्य यह है कि नमूना जाँच ग्राम पंचायतों में प्रशासकीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति अथवा माप पुस्तिका के एक भी अभिलेखों के अभाव में कार्यों के निष्पादन को सत्यापित नहीं किया जा सका।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) के दौरान शासन ने कहा कि प्रकरण की जाँच की जाएगी।

मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजना

अपूर्ण कार्य

पूर्व **कंडिका 2.1.8.1** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार लेखपरीक्षा के द्वारा देखा गया कि:

नमूना जाँच किये गये जनपद पंचायतों में विभाग के द्वारा वर्ष 2012–14 में धन की उपलब्धता के बावजूद स्वीकृत 186 कार्यों में से 23 (12 प्रतिशत) कार्य एक से दो वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी पूर्ण नहीं किए जा सके **(परिशिष्ट 2.1.8)**। इन कार्यों को तीन से छः महीने में पूर्ण किया जाना था। कार्य अपूर्ण रहने का कारण स्थान परिवर्तन, स्थल की अनुपलब्धता, चुनाव के पश्चात् सरपंच का परिवर्तन एवं सरपंच की रूचि का अभाव था।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) के दौरान शासन के द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया गया एवं कहा गया कि विलम्ब मुख्यतः पंचायत चुनाव, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब आदि के कारण हुआ।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पंचायत चुनाव का आयोजन वर्ष 2015 में हुआ था फिर भी कार्य संपूर्ण लेखपरीक्षा अवधि में अपूर्ण रहे।

गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन के बिना क्रियान्वयन एजेन्सी को भुगतान किया जाना

पूर्व **कंडिका 2.1.8.4** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा के द्वारा देखा गया कि:

जनपद पंचायत सूरजपुर में जाँच की गई 48 कार्यों में से 25 कार्यों में हमने पाया कि गुणवत्ता परीक्षण नहीं किये गये थे। तथापि, इन सभी प्रकरणों में पूर्ण भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप क्रियान्वयन एजेंसी को गुणवत्ता परीक्षण प्राप्त किये बिना भुगतान किया जाना अनियमित था।

सी.ई.ओ., जनपद पंचायत सूरजपुर ने कहा कि दिशानिर्देशों में प्रावधान नहीं होने के कारण गुणवत्ता परीक्षण नहीं किया गया।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) के दौरान शासन के द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया गया एवं कहा गया कि निर्धारित आवृत्ति के अनुसार गुणवत्ता परीक्षण कराने हेतु आदेश पहले से ही जारी किया जा चुका है। तथ्य यह है कि गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन के बिना भुगतान किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अनुशंसाएं

शासन को अनुपयोगी निधियों के वापस किये जाने के प्रावधान के साथ निधियों का अधिकतम उपयोग, प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये जाने के पूर्व भूमि अधिग्रहण, भुगतान के पूर्व गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना तथा ग्राम पचायतों के द्वारा कार्यों के तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त प्रशासकीय स्वीकृति जारी किया जाना एवं कार्यों के माप का अभिलेखन सुनिश्चित करना चाहिए।

2.1.9 अनुश्रवण

2.1.9.1 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के प्रावधान का अभाव

कार्यों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का अभाव

एम.जी.यू., टी.एफ.सी.जी., एम.जे.एस. तथा जी.जी.पी.एफ.डब्ल्यू. योजनाओं के दिशानिर्देशों में अनुश्रवण हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यद्यपि टी.एफ.सी.जी. योजना में कार्यों के भौतिक निरीक्षण का प्रावधान था, अन्य योजनाओं में इस तरह का काई प्रावधान नहीं था।

परिणामस्वरूप संबंधित जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों द्वारा योजनाओं का अनुश्रवण नहीं किया गया। पी.आर.डी.डी. ने भी योजनाओं का कोई अनुश्रवण तंत्र विकसित नहीं किया। यह भी देखा गया कि टी.एफ.सी.जी. योजना के कार्यों के भौतिक निरीक्षण का आदेश था, परन्तु यह नहीं किया गया।

इस प्रकार, योजनाओं के अनुश्रवण के अभाव के परिणामस्वरूप अपूर्ण कार्य, कार्यों का विलंब से पूर्ण किया जाना, बिना प्रशासकीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति के कार्यों का निष्पादन तथा राशि का अवरोधन हुआ।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में शासन ने अनुश्रवण का प्रावधान किये जाने हेतु आश्वस्त किया।

2.1.10 निष्कर्ष तथा अनुशंसाएं

- पी.आर.आई. कार्यों की वार्षिक योजना तैयार करने में असमर्थ रहे जिसके परिणामस्वरूप अपूर्ण कार्य तथा आवंटित राशि का अपर्याप्त उपयोग हुआ।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राम पंचायतें द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की वार्षिक योजनाएं तैयार करें जिनका समाकलन योजनाओं के उचित क्रियान्वयन हेतु, विकास खण्डों एवं जिलों के लिए जनपद पंचायतों तथा जिला पंचायतों के वार्षिक योजनाओं के रूप में किया जाए।

- पी.आर.आई. के द्वारा स्वीकृत कार्यों के निरसन, कार्यों के अप्रारंभ रहने तथा प्रशासकीय स्वीकृति के अभाव के कारण उपलब्ध निधि का मात्र 55 से 70 प्रतिशत ही उपयोग किया जा सका।

शासन को उपलब्ध निधि का सर्वोत्कृष्ट तथा समय पर अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

- नमूना जाँच किए गए जिलों में स्थल परिवर्तन, भूमि की अनुपलब्धता, सरपंचों के परिवर्तित होने तथा कार्यों के पूर्णता के प्रति सरपंचों की अरूचि के कारण, पी.आर.आई. 17447 कार्यों में से 3311 स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं

कर सके। इसके अतिरिक्त, कार्यों का अंतिम भुगतान कार्यों के परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना ही किया गया।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण किए जाए तथा कार्यों का भुगतान उचित प्रक्रिया के परिपालन यथा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् किया जाए।

- पी.आर.आई. ने चयनित योजनाओं हेतु कोई अनुश्रवण तंत्र विकसित नहीं किया। आगे, टी.एफ.सी.जी. के अलावा, अन्य योजनाओं में भौतिक निरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया। यद्यपि, तीन चयनित योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान था, परन्तु इसका परिपालन नहीं किया गया।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण तथा भौतिक निरिक्षण योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाए जिससे कि कार्यों की प्रगति की उचित निगरानी की जा सके।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

2.2 योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के साथ परामर्श से 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) स्कीमों की लेखापरीक्षा नियम, 2011' शीर्षक पर नियमों और विनियमों का एक ढ़ाँचा तैयार किया। तत्पश्चात्, छत्तीसगढ़ शासन (जी.ओ.सी.जी.) ने एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में सामाजिक अंकेक्षण इकाई (एस.ए.यू.) का गठन (सितंबर 2013) किया। सामाजिक अंकेक्षण इकाई का मुख्य उद्देश्य सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए ग्राम सभा के क्षमताओं का विकास करना, सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग प्रारूपों को तैयार करना, मजदूरों में मनरेगा के अंतर्गत अपने अधिकारों और हकदारियों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना एवं अभिलेखों और कार्यस्थलों के सत्यापन को सुगम बनाना है। लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा नीचे किए गए हैं:

वित्तीय प्रबंधन

- राज्य को मनरेगा के लिए वर्ष 2013–15 के दौरान ₹ 3270.28 करोड़ प्राप्त हुये जिसका एक प्रतिशत अर्थात् ₹ 32.70 करोड़ सामाजिक लेखापरीक्षा पर व्यय के लिए आवंटित किया जाना था। इसके विरूद्ध केवल ₹ तीन करोड़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई को आवंटित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए ₹ 29.70 करोड़ का आवंटन नहीं हुआ।

(कंडिका 2.2.7)

योजना

- सामाजिक अंकेक्षण इकाई को प्रति छः माह में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक कैलेण्डर तैयार करना था। तथापि, वर्ष 2014–15 में 9734 ग्राम पंचायतों में 19468 सामाजिक लेखापरीक्षा के प्रावधान के विरूद्ध केवल 1566 (आठ प्रतिशत) सामाजिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई और वास्तव में 1056 (पांच प्रतिशत) की सामाजिक लेखापरीक्षा केवल एक बार की गयी। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2014–15 में सामाजिक लेखापरीक्षा की योजना बनाने में 92 प्रतिशत और वास्तविक रूप से सामाजिक लेखापरीक्षा किये जाने में 95 प्रतिशत तक की कमी हुई। इस कमी का मुख्य कारण सामाजिक अंकेक्षण इकाई के स्वीकृत पदों में से 11 से 69 प्रतिशत का रिक्त होना था।

(कंडिका 2.2.8.1 और 2.2.8.2)

सामाजिक लेखापरीक्षा का संचालन

- सम्पूर्ण अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया जाना, जिला कार्यक्रम समन्वयक (डी.पी.सी.) और निर्वाचित पंचायत सदस्यों की अनुपस्थिति, वीडियो रिकॉर्डिंग या दीवाल लेखन नहीं किया जाना, ग्रामीणों की अपर्याप्त भागीदारी, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव एवं सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को वेबसाइट पर अपलोडिंग नहीं किया जाना जैसे कई तत्वों की कमी का सामना सामाजिक लेखापरीक्षा को करना पड़ा।

(कंडिका 2.2.8 और 2.2.9)

सामाजिक लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती कार्रवाई

सामाजिक लेखापरीक्षा के पश्चात् डी.पी.सी. द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई किया जाना है और राज्य शासन सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए

उत्तरदायी है। तथापि, संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई को इंगित करते हुये जानकारी/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।

(कंडिका 2.2.10.4)

2.2.1 प्रस्तावना

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.), भारत सरकार ने 'मनरेगा स्कीमों की लेखापरीक्षा नियम, 2011' अधिसूचित (जून 2011) किया जिसमें कि स्कीमों की लेखापरीक्षा के साथ सामाजिक लेखापरीक्षा (एस.ए.) शामिल रहेगा। नियमों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक जिले और राज्य रोजगार गारंटी निधि का, मनरेगा अधिनियम के तहत् योजना के लेखाओं की लेखापरीक्षा, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा या समकक्ष प्राधिकारी या चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा किया जायेगा। राज्य शासन अधिनियम के तहत् प्रत्येक ग्राम पंचायत में लिए गए कार्यो का छः महीने में कम से कम एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा का संचालन करेगा और ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन को सुगम बनाने के लिए एक स्वतंत्र संगठन (सामाजिक अंकेक्षण इकाई) की स्थापना करेगा। अधिनियम की धारा 17(2) एवं 17 (3) के अनुसार, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर लिए गए योजना के अंतर्गत सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा करेगा। ग्राम पंचायत सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित करने के उद्देश्य से ग्राम सभा को सभी सुसंगत अभिलेख उपलब्ध करायेगा।

2.2.2 सामाजिक अंकेक्षण इकाई के कार्य

सामाजिक अंकेक्षण इकाई में अपने कार्यो के निर्वहन के लिए जनरल बॉडी और गवर्निंग बॉडी समाविष्ट हैं। संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई, सामाजिक अंकेक्षण इकाई के समग्र प्रबंधन और उपरोक्त निकायों के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। जिला कार्यक्रम समन्वयक (डी.पी.सी.) और कार्यक्रम अधिकारी (पी.ओ.) क्रमशः जिला और खण्ड स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। सामाजिक अंकेक्षण इकाई निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है:

(अ) सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए सिविल सोसाइटी एवं समुदाय को सम्मिलित करते हुए आधारिक पणधारियों की क्षमता निर्माण करना;

(ब) सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए संसाधन आधार सृजित करना;

(स) प्राथमिक पणधारियों के साथ अभिलेखो एवं कार्यों के सत्यापन की सुविधा प्रदान करना;

(द) यह सुनिश्चित करना कि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया राज्य शासन के प्रशासन की मुख्यधारा से स्वायत्त है;

(इ) राज्य के पंचायतों में निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना;

(फ) सुनिश्चित करना कि सभी पणधारियों द्वारा हमेशा सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की विशुद्धता, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता पर जोर दिया गया है;

(ग) सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट (ए.टी.आर.) को पब्लिक डोमेन में रखा जाना;

इसके अलावा, राज्य शासन भी सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षो पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। राज्य रोजगार गारंटी परिषद् (एस.ई.जी.सी.) राज्य शासन द्वारा की गई कार्रवाई का अनुश्रवण करेगा और राज्य शासन द्वारा राज्य विधान मंडल के

समक्ष रखे जाने के पूर्व वार्षिक रिपोर्ट में अनुवर्ती कार्रवाई को सम्मिलित करेगा।

2.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- राज्य के भीतर एक प्रभावी और स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण ईकाई अस्तित्व मे है;
- सामाजिक अंकेक्षण इकाई ने राज्य के भीतर योजना बनाने, अभिलेखों की उपलब्धता, रिपोर्टिंग और सामाजिक लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पर्याप्त सहायक तंत्र उपलब्ध कराया है; और
- वर्ष 2014–15 के दौरान किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा पर्याप्त थे और नियमों और विनियमों के अनुसार प्रभावी रहे थे एवं डी.पी.सी. और अन्य सरकारी पदाधिकाारियों द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन एवं मदद किया गया था।

2.2.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड के स्रोत:

- मनरेगा 2005 के प्रासंगिक प्रावधान;
- मनरेगा स्कीमों की लेखापरीक्षा नियम, 2011;
- सामाजिक लेखापरीक्षा मैन्युअल (एस.ए.एम.)
- मनरेगा दिशानिर्देश (ओ.जी.), 2013;
- सामाजिक अंकेक्षण इकाई के गवर्निंग बॉडी के बैठक का कार्यवाही विवरण;
- राज्य शासन, भारत सरकार और सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा जारी किए गये नियम एवं विनियम जो राज्य के भीतर लागू हैं।

2.2.5 लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र, पद्धति एवं विस्तार

अनुपालन लेखापरीक्षा संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई और मनरेगा सेल, पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग (पी.आर.डी.) की वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक अभिलेखों की संवीक्षा करके जून 2015 से अगस्त 2015 तक किया गया। वर्ष 2014–15 में सामाजिक लेखापरीक्षा किये गये 1056 ग्राम पंचायतों की सूची में से 50 चयनित ग्राम पंचायतों **(परिशिष्ट 2.2.1)** का नमूना जाँच किया गया। नमूना का चयन सिम्पल रेण्डम सलेक्शन विथ रिप्लेसमेंट विधि (एस.आर.एस.डब्ल्यू.आर.) पर आधारित था।

अनुपालन लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मापदंड, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा हेतु एक आगम बैठक अपर मुख्य सचिव, पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग, छ.ग. शासन के साथ आयोजित (जुलाई 2015) किया गया था।

लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर चर्चा हेतु एक निर्गम बैठक अपर मुख्य सचिव, पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग, छ.ग. शासन के साथ जनवरी 2016 में आयोजित किया गया था। निर्गम बैठक के साथ शासन से प्राप्त उत्तर को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.2.6 संगठनात्मक संरचना

राज्य स्तर पर संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा के समग्र संचालन के लिए उत्तरदायी है। डी.पी.सी. और पी.ओ. क्रमशः जिला और ब्लॉक स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर संसाधन व्यक्तियों (आर.पी.) का एक चार–पांच सदस्यी दल सामाजिक लेखापरीक्षा का संचालन करता है। इसके अतिरिक्त, जिला सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता (डी.एस.ए.एफ.) और ब्लॉक सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता (बी.एस.ए.एफ.) क्रमशः जिला और ब्लॉक स्तरों पर सामाजिक लेखापरीक्षा को सुगम बनाने के लिए

संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाते हैं। संगठनात्मक संरचना नीचे ढ़ाँचाचित्र में दिखाया गया है:

संगठनात्मक संरचना पर ढ़ाँचाचित्र

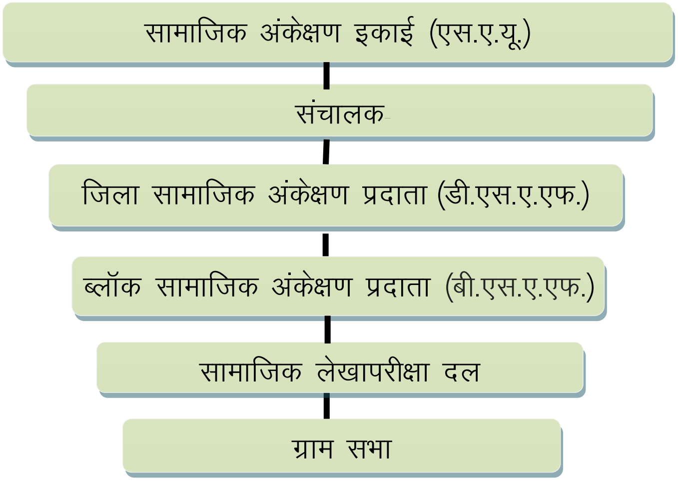

इसके अतिरिक्त, राज्य शासन भी सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का सचिव, ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी (पी.ओ.) एवं जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक (डी.पी.सी.) द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। राज्य स्तर पर राज्य रोजगार गारंटी परिषद शासन द्वारा किये गये कार्रवाई का अनुश्रवण करने और राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने से पूर्व वार्षिक रिपोर्ट में कार्रवाई रिपोर्ट को सम्मिलित कराये जाने के लिए उत्तरदायी है।

2.2.7 वित्तीय प्रबंधन

मनरेगा दिशानिर्देश की कण्डिका 12.5.2 के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी.) को सक्षम बनाने के लिए, मानव संसाधनों को बढाने और सूक्ष्म गतिविधियों पर क्षमता विकसित करने के लिए भारत सरकार मनरेगा पर एक वित्तीय वर्ष में किये गये कुल व्यय का छः प्रतिशत तक प्रशासनिक व्यय के लिए उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा सामाजिक लेखापरीक्षा मैन्युअल (एस.ए.एम.) के अध्याय–III, पैराग्राफ 1(बी) के अनुसार, प्रशासनिक व्यय के लिए प्राप्त छः प्रतिशत में से एक प्रतिशत सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु व्यय किया जायेगा।

सामाजिक अंकेक्षण इकाई को अवधि 2013–15 के लिए देय राशि ₹ 32.70 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹ तीन करोड़ उपलब्ध कराया गया

यह पाया गया कि मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान राज्य शासन द्वारा कुल ₹ 7308.41 करोड़ प्राप्त किये गये थे। इसमें से वर्ष 2013–14 से 2014–15 के दौरान ₹ 3270.28 करोड़ प्राप्त हुए जिसका एक प्रतिशत अर्थात् ₹ 32.70 करोड़ सामाजिक लेखापरीक्षा के व्यय हेतु आवंटित किया जाना था । तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सामाजिक अंकेक्षण इकाई को सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु अनुदान के रूप में केवल ₹ तीन करोड़[1] आवंटित किये गये थे। इस प्रकार, सामाजिक अंकेक्षण इकाई को सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु अनुदान के रूप में ₹ 29.70 करोड़ आवंटित नहीं किये गये जिसका कारण अभिलेखो में नहीं था।

[1] 2013–14 में ₹ 0.50 करोड़ एवं 2014–15 में ₹ 2.50 करोड़

अनुशंसा

शासन को सामाजिक अंकेक्षण इकाई को स्कीम की लेखापरीक्षा नियम, 2011 के प्रावधान में उल्लेखित किये गये अनुसार नियत निधि का अंवटन किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.8 योजना

सामाजिक अंकेक्षण इकाई का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा अंतर्गत लिए गये कार्य का कम से कम छः माह में एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सामाजिक अंकेक्षण इकाई को ग्राम सभा के क्षमता विकास के लिए उपयुक्त संसाधन व्यक्ति की पहचान करना, प्रशिक्षण कराना और ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों पर तैनात करना है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु वार्षिक कैलेण्डर भी तैयार करना चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गईः

2.2.8.1 सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक कैलेण्डर तैयार नहीं किया जाना/तैयार किये जाने में विलम्ब

'स्कीम की लेखापरीक्षा नियम, 2011' के नियम 6 (1) के अनुसार, सामाजिक अंकेक्षण इकाई, वर्ष के प्रारम्भ में, सामाजिक लेखापरीक्षा कराने के लिए कैलेण्डर की एक प्रति सभी जिला कार्यक्रम समन्वयकों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए भेजेगी।

समाजिक अंकेक्षण इकाई के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 2014–15 के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा का वार्षिक कैलेण्डर केवल नवम्बर 2014 से मार्च 2015 तक की अवधि के लिए बनाया गया था और सामाजिक लेखापरीक्षा तदानुसार रूप से कराया गया था। अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2014 तक की अवधि के लिए न तो वार्षिक कैलेण्डर बनाया गया और न ही कोई सामाजिक लेखापरीक्षा कराया गया।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में शासन ने कहा कि सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक कैलेण्डर बनाया जायेगा। तथ्य यथावत है कि अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2014 तक की अवधि के लिए कैलेण्डर नहीं बनाये जाने के कारण, सामाजिक लेखापरीक्षा केवल नवम्बर 2014 में ही प्रारंभ की गई।

2.2.8.2 सामाजिक लेखापरीक्षा की अपर्याप्त योजना के कारण अल्प विस्तार

'स्कीम की लेखापरीक्षा नियम, 2011' के नियम 3 (1) के अनुसार, शासन प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिनियम के अंतर्गत लिए गए कार्यों का नियमों में वर्णित रीति से प्रत्येक छः माह में एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा को सुगम बनाएगी ।

19468 सामाजिक लेखापरीक्षा में से 1566 सामाजिक लेखापरीक्षा का योजना बनाया गया एवं 1056 सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि छत्तीसगढ़ में 10971 ग्राम पंचायतें हैं एवं सामाजिक लेखापरीक्षा 9734 ग्राम पंचायतों में संचालित किया जाना था जहां मनरेगा क्रियान्वित किया जा रहा था। तदानुसार, प्रत्येक वर्ष 19468 सामाजिक लेखापरीक्षा किया जाना था। इसके विरूद्ध सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा वर्ष 2014–15 में 1566 सामाजिक लेखापरीक्षा (आठ प्रतिशत) का योजना बनाया गया एवं वास्तविक रूप से 1056 (पांच प्रतिशत) सामाजिक लेखापरीक्षा वर्ष में केवल एक बार संचालित किया गया।

इस प्रकार, 2014–15 में योजना बनाने में 92 प्रतिशत एवं सामाजिक लेखापरीक्षा करने में 95 प्रतिशत की कमी हुई।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा कि पंचायत चुनाव एवं स्टाफ की कमी के कारण सामाजिक लेखापरीक्षा के

विस्तार में कमी हुई। तथ्य यथावत है कि सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में 95 प्रतिशत की कमी ने सामाजिक लेखापरीक्षा के प्रावधान के परिचय देने की मूल धारणा को निष्फल किया।

अनुशंसा

शासन को सामाजिक लेखापरीक्षा के विस्तार एवं आवृति को सुनिश्चित करना चाहिए जैसा कि स्कीम की लेखापरीक्षा नियम, 2011 के अंतर्गत अपेक्षित है।

2.2.8.3 जनशक्ति प्रबंधन

'स्कीम की लेखापरीक्षा नियम, 2011' के नियम 4 (2) (अ) के अनुसार, सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए ग्राम सभाओं की क्षमता निर्माण करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण इकाई उत्तरदायी है। इस प्रयोजन के लिए सामाजिक अंकेक्षण इकाई को ग्राम, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तरों पर, प्राथमिक पणधारियों और अन्य सिविल सोसायटी संगठनों से ऐसे व्यक्तियों को, जो जनता के अधिकारों के लिए कार्य करने का ज्ञान और अनुभव रखते हैं उनकी पहचान, उनको प्रशिक्षण और समुचित संसाधनों को अभिनियोजित करते हैं, लेना चाहिए।

सामाजिक अंकेक्षण इकाई के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर संसाधन व्यक्तियों के अत्याधिक संख्या में पद भरे नहीं गये थे। ग्राम संसाधन व्यक्तियों की भर्ती संविदा आधार पर की गई थी जब कभी भी सामाजिक लेखापरीक्षा दल के लिए आवश्यकता थी। एक ग्राम संसाधन व्यक्ति को कम से कम दो सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए संलग्न किया गया था। 2014–15 में सामाजिक अंकेक्षण इकाई के जनशक्ति की स्थिति **तालिका 2.2.1** में विस्तार से दिया गया है:

तालिका 2.2.1: 2014–15 में सामाजिक अंकेक्षण इकाई के जनशक्ति की स्थिति का विवरण

स. क्र.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त (प्रतिशत)
1	राज्य स्तर– संचालक एवं अन्य पदाधिकारी	18	16	2 (11)
2	जिला स्तर– जिला सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता	88	37	51 (58)
3	ब्लॉक स्तर– ब्लॉक सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता	425	130	295 (69)

स्रोतः सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा प्रदाय की गई जानकारी

तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2014–15 की अवधि के दौरान राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों में 11 से 69 प्रतिशत तक स्वीकृत पद रिक्त थे। रिक्तियों की बृहद संख्या के कारण, सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए न्यूनतर लक्ष्य (आवश्यकता का आठ प्रतिशत) निर्धारित किया गया था और वह भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि रिक्त पद अब भरे जा चुके हैं। तथ्य यथावत है कि स्वीकृत पद लंबे समय तक रिक्त रहने के परिणामस्वरूप सामाजिक लेखापरीक्षा के विस्तार में कमी रही।

2.2.8.4 सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए अभिलेख सुनिश्चित किये जाने में असफल रहना

(i) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए अभिलेख सुनिश्चित किये जाने के लिए कार्रवाई नहीं किया जाना

'स्कीम की लेखापरीक्षा नियम, 2011' के नियम 7 (1) के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अपेक्षित जानकारी और अभिलेख, जो सामाजिक अंकेक्षण इकाई को सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के संचालन के लिए अपेक्षित हों, अपेक्षित प्रारूप में उचित रूप से समाकलित हों और छायाप्रतियों के साथ सामाजिक लेखापरीक्षा कराने वाली ग्राम सभा की बैठक की अधिसूचित तारीख से कम से कम 15 दिन पहले

सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन को सुगम बनाने के लिए सामाजिक अंकेक्षण इकाई को प्रदान किये जायें।

50 चयनित ग्राम पंचायतों में, यह पाया गया कि कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए सामाजिक अंकेक्षण इकाई को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के संबंध में जानकारी संधारित नहीं की गई थी। आगे, ग्राम पंचायत कनकबीरा में जनपद पंचायत द्वारा निर्गत किये गये 257 मस्टर रोलों की प्रविष्टि संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा संधारित प्राप्ति एवं निर्गत पंजी में नहीं की गई थी। इसलिए सामाजिक लेखापरीक्षा में मस्टर रोलों का सत्यापन नहीं किया जा सका।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में शासन ने कहा कि आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और इस संबंध में आदेश जारी किये जायेंगे।

(ii) जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का संधारण नहीं किया जाना

सामाजिक अंकेक्षण इकाई को अभिलेख प्रस्तुतीकरण के संबंध में पी.ओ. एवं डी.पी.सी. द्वारा जानकारी सुनिश्चित नहीं किया गया

'स्कीम की लेखापरीक्षा नियम, 2011' के नियम 7 (3) के अनुसार प्रत्येक जिला कार्यक्रम समन्वयक या उसके निमित्त कोई पदधारी यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए सभी अभिलेख कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण इकाई को उपलब्ध करा दिये जायें।

50 चयनित ग्राम पंचायतों में संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा दल को अभिलेखों की आपूर्ति के संबंध में कोई भी अभिलेख नहीं रखा गया। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा द्वारा यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि क्या सभी अपेक्षित अभिलेखों की आपूर्ति सामाजिक लेखापरीक्षा दल को की गई थी।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में शासन ने कहा कि जिला कार्यक्रम समन्वयकों को इस संबंध में आदेश जारी किये जा चुके हैं। तथापि, तथ्य यथावत है कि इस प्रकार के अभिलेखों की अनुपस्थिति में सामाजिक लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के परिमाण का सत्यापन लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका।

अनुशंसा

शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण अभिलेखीकृत है।

2.2.8.5 ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा कार्यों का सत्यापन

सामाजिक लेखापरीक्षा मैन्युअल के अध्याय V उपवाक्य 3 के अनुसार ग्राम संसाधन व्यक्ति मनरेगा के अंतर्गत लिए गए समस्त कार्यों का निरीक्षण करेगा एवं सामाजिक लेखापरीक्षा अवधि के लिए ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्यय एवं अभिलेखों का सत्यापन करेगा।

नमूना जाँच किए गए 50 ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत आवृत अवधि के दौरान ₹ 37.98 करोड़ व्यय करते हुए 1951 कार्य लिए गए थे। इनमें से मात्र 920 कार्यों (47.16 प्रतिशत) को ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा सत्यापित किए गए थे।

इसमें 17 ग्राम पंचायतों में ₹ 10.94 करोड़ लागत के 381 कार्य शामिल थे जबकि 33 ग्राम पंचायतों **(परिशिष्ट 2.2.2)** में 1570 कार्यों में से मात्र 539 (व्यय ₹ 27.04 करोड़ शामिल करते हुए) ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा सत्यापित किये गये थे। 33 ग्राम पंचायतों में भी कांकेर विकास खण्ड के दो[2] ग्राम पंचायतों के सामाजिक लेखापरीक्षा

[2] अण्डी और कोड़ागांव

प्रतिवेदनों में ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा सत्यापित किए गए कार्यों के बारे में जानकारी नहीं दी गयी थी।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में शासन ने तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा कि ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा कार्यों के सत्यापन न किए जाने के कारण मांगे गए थे एवं भविष्य में सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए आश्वस्त किया। तथ्य यथावत है कि ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा सत्यापन सुनिश्चित किए जाने का अभाव सामाजिक लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के प्रति अहितकारी था।

2.2.8.6 अभिनियोजित संसाधन व्यक्तियों द्वारा प्राप्ति के संबंध में बिलों/व्हाउचरों का सत्यापन

'स्कीम की लेखापरीक्षा नियम, 2011' के नियम 6 (2) के अनुसार, ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा को सुगम बनाने के लिए प्राथमिक पणधारियों सहित सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा ग्राम संसाधन व्यक्ति सामग्री प्राप्ति के लिए उपयोग किए गए बीजक, बिल, व्हाउचर या अन्य संबंधित अभिलेख का सत्यापन करेंगे जो कि ऐसे प्राप्ति के सत्यापन के लिए प्राक्कलन के अनुसार और अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार और मितव्ययी है।

50 नमूना जाँच किये गये ग्राम पंचायतों में से 15 **(परिशिष्ट 2.2.3)** में सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान ग्राम संसाधन व्यक्तियों (व्ही.आर.पी.) द्वारा सामग्री के संबंध में बिल/व्हाउचरों के सत्यापन नहीं किये गये थे तथा छः[3] ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा दल को संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा सत्यापन के लिए बिल/व्हाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा कि ग्राम संसाधन व्यक्तियों की ओर से भूल–चूक का कारण ज्ञान में कमी होना था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ग्राम संसाधन व्यक्तियों को स्कीम की लेखापरीक्षा नियम, 2011 के प्रावधान के अंतर्गत सुपरिचित माना गया है।

अनुशंसा

शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा अभिलेखों की सभी आवश्यक जाँच की जानी चाहिए एवं सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा अनुश्रवण करना चाहिए जैसा कि स्कीम की लेखापरीक्षा नियम, 2011 में उल्लेखित है।

2.2.8.7 जॉब कार्ड धारकों के ब्यौरों को प्रदर्शित करना

दीवाल लेखन न होने के संबंध में टिप्पणी सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नहीं पाया गया

मनरेगा के दिशानिर्देश की कंडिका 13.3.4 के अनुसार, ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा को सुगम बनाने के लिए प्रारंभिक पणधारियों के साथ सामाजिक लेखापरीक्षा द्वारा नियुक्त संसाधन व्यक्ति सत्यापन करेंगे कि सभी जाब कार्ड धारकों को दी गई धनराशि के ब्यौरे दर्शाने वाली दीवाल लेखन की गई है। तथा, इसमें दर्शाए गये ब्यौरे अभिलेखों के वास्तविक प्रतिबिंबित हैं जैसे कि वे मनरेगा वेबसाइट तथा खण्ड और पंचायत कार्यालय में उपलब्ध है।

50 नमूना जाँच किये गये ग्राम पंचायतों में यह पाया गया कि किसी भी ग्राम पंचायत में जाब कार्ड धारकों को दी गई धनराशि के ब्यौरे दर्शाने वाली दीवाल लेखन प्रदर्शित नहीं की गई थी। संबंधित ग्राम पंचायत के सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में आवश्यक टिप्पणी नहीं पाई गई थी। इस तरह, मूलभूत प्रावधान का उल्लंघन हुआ।

[3] डोम्हरा, जामथन, लखनटोला, मडीसराई, परसदा (सिमरिया) एवं सेमरिहा

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि जाब कार्ड धारकों के ब्यौरों को प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

अनुशंसा

शासन को सामाजिक लेखापरीक्षा को उचित रूप से सुगम बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में आवश्यक ब्यौरों के साथ दीवाल लेखन किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

2.2.9 सामाजिक लेखापरीक्षा का संचालन

2.2.9.1 ग्राम समुदाय को सूचित नहीं किया जाना

'स्कीम की लेखापरीक्षा नियम, 2011' के नियम 6(3) के अनुसार, पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संसाधन व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित करने वाली ग्राम सभा के बारे में श्रमिकों और ग्राम समुदाय को सूचित किया जाएगा।

50 नमूना जाँच किये गये ग्राम पंचायतों में, सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित करने वाली ग्राम सभा के बारे में श्रमिकों और ग्राम समुदाय को सूचित किये जाने के संबंध में 45 ग्राम पंचायतों द्वारा कोई भी समर्थित दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये **(परिशिष्ट 2.2.4)**। परिणामस्वरूप, सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए सूचना के प्रचार का सत्यापन लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सूचना की एक प्रति रखे जाने के लिए आवश्यक आदेश जारी किये जायेंगे। तथापि, लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर यह सुनिश्चित नहीं किये जाने के कारण स्पष्ट नहीं किये गये थे।

2.2.9.2 पर्याप्त कोरम के बिना ग्राम सभा संचालित किया जाना

सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा भागीदारी अपर्याप्त रहा

सामाजिक लेखापरीक्षा मैन्युअल के अध्याय VI के उपवाक्य 5 के अनुसार, सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा कार्यालयीन समझी जाएगी जब केवल यह राज्य पंचायत राज अधिनियम में परिभाषित न्यूनतम कोरम की पूर्ति होने पर संचालित की जाती है। तथा, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के धारा 6 के अनुसार ग्राम पंचायत के अंतर्गत जनसंख्या का दसवां भाग ग्राम सभा में भाग लेना चाहिए जिसमें कि कम से कम एक तिहाई महिलायें शामिल हो।

नमूना जाँच किये गये 50 ग्राम पंचायतों में से 33 में **(परिशिष्ट 2.2.5)** सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा के संचालन के लिए अपेक्षित कोरम पूर्ण नहीं की गयी थी। इन ग्राम सभाओं में जनता की उपस्थिति में कमी 10 से 92 प्रतिशत के मध्य थी तथा 15 ग्राम पंचायतों[4] में अपेक्षित कोरम का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उपस्थिति पत्रक संलग्न नहीं थे। शेष दो ग्राम पंचायतों में कोरम पूर्ण था।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में शासन ने कहा कि सामाजिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा अपेक्षित कोरम के निर्धारण के लिए समुदाय एकत्रीकरण सुनिश्चित किया जा रहा था। तथ्य यथावत है कि सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा में संबंधित पणधारियों की निर्धारित भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

---

[4] अलबेड़ा, बेवरती, छेरिया, गणेशपुर, घाघरा, घोयनाबहरा, जामथन, कनकबीरा, किरगोली, कोसमर्रा, मड़ीसराई, मटवड़ालाल, मेदनीपुर, पुसवाड़ा एवं तालाकुर्रा

अनुशंसा

शासन को सभी पणधारियों को समय से पूर्व ही सूचना द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा के लिए अपेक्षित कोरम कायम रखा जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

2.2.9.3 सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा के अध्यक्ष का चुनाव

मनरेगा के दिशानिर्देश की कंडिका 13.3.5 के अनुसार, सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता एक वयोवृद्ध ग्रामवासी करेगा जो पंचायत अथवा किसी कार्यान्वयन एजेंसी का हिस्सा न हो।

50 नमूना जाँच किये गये ग्राम पंचायतों में यह पाया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता बैठक में उपस्थित ग्रामीणों द्वारा चयनित एक सदस्य द्वारा की गई थी। यद्यपि, सभी ग्राम सभा का अध्यक्ष ग्रामीणों द्वारा सर्वसम्मति से चयनित किये गये थे, कार्यवृत्त में यह दर्शाया नहीं गया था कि वे किसी भी पंचायत अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के हिस्सा नहीं थे।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में शासन ने कहा कि इस संबंध में निर्देश जारी किया जाएगा।

2.2.9.4 सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा की कार्यवाही

सामाजिक लेखापरीक्षा मैन्युअल के अध्याय VI उपवाक्य 8 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा में एक बैनर एवं एक माईक अनिवार्य रूप से होना चाहिए जिससे कि ग्राम सभा की कार्यवाही सभी सहभागियों के लिए स्पष्ट हो सके। आगे मनरेगा दिशानिर्देश की कंडिका 13.3.11 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा की समस्त कार्यवाही का रिकॉर्डिंग किया जाना चाहिए, अद्यतन अविस्तारण तकनीकों का उपयोग करके (लिए जाने वाले स्थान को कम करने के लिए) बिना सम्पादन के वेबसाईट पर अपलोड किया जाना चाहिए। विडियो रिकॉर्डिंग को जिला कार्यक्रम समन्वयक के अभिरक्षा में भी रखा जायेगा।

सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा की कार्यवाही का विडियो रिकार्डिंग नहीं किया गया

50 चयनित ग्राम पंचायतों में यह पाया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा की कार्यवाहियों को न तो विडियो रिकार्डिंग किया गया न ही अपलोड किया गया। विडियो रिकार्डिंग के अभाव में ग्राम सभा कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करने के लिए माईक एवं बैनर की व्यवस्था का सत्यापन नहीं किया जा सका।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में शासन ने कहा कि विडियो ग्राफर की अनुपलब्धता, ग्राम सभा के समय में अनिश्चितता एवं विडियोग्राफी की लागत के कारण केवल बैठकों के एक्जिट कांफ्रेन्स की रिकार्डिंग की गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह सामाजिक लेखापरीक्षा मैन्यूअल का उल्लंघन था। तथा इसने ग्राम सभा किए जाने के लिए मैन्यूअलों के प्रावधानों के सत्यापन से लेखापरीक्षा को वंचित किया था।

अनुशंसा

शासन को सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा की कार्यवाहियों की विडियो रिकार्डिंग एवं सभी पणधारियों को सामाजिक लेखापरीक्षा के अभिगम को सुगम बनाने के लिए इसे वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

2.2.9.5 सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा में जिला स्तर के पदाधिकारियों का भाग न लेना

'स्कीम की लेखापरीक्षा नियम, 2011' के नियम 6 (7) के अनुसार, जिला कार्यक्रम समन्वयक ग्राम सभा की बैठक में भाग लेगा या ग्राम सभा की बैठक के सहज संचालन के लिए समुचित स्तर के किसी पदधारी का नाम निर्दिष्ट करेगा।

50 नमूना जाँच किये गये ग्राम पंचायतों में न तो जिला कार्यक्रम समन्वयक और न ही उसके किसी पदधारी द्वारा ग्राम सभा बैठक में भाग लिया गया। परिणामस्वरूप, सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता क्षीण हुई।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में शासन ने कहा कि इस संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। तथापि, जिला कार्यक्रम समन्वयकों के भाग नहीं लिये जाने के कारणों का लेखापरीक्षा को उल्लेख नहीं किया गया था।

2.2.9.6 पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का भाग नहीं लिया जाना

'स्कीम की लेखापरीक्षा नियम, 2011' के नियम 6 (5) के अनुसार अधिनियम के अधीन योजना के क्रियान्वयन में अंतर्वलित पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्यों और कर्मचारी वृंद गैर–सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.), स्व–सहायता समूहों (एस.एच.जी.) और वितरण अभिकरणों के कर्मचारी वृंद ग्राम सभा में उपस्थित होंगे और प्रश्नों का उत्तर देंगे।

पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्यों एवं अन्य अपेक्षित सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गयी

50 नमूना जाँच किये गये ग्राम पंचायतों में से 25 **(परिशिष्ट 2.2.6)** में पंचायत के सदस्यों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा में भाग नहीं लिया गया जबकि 10 ग्राम पंचायतों **(परिशिष्ट 2.2.7)** में पंचायत के एक से 11 सदस्यों ने सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा के उपस्थिति पत्रकों से विदित हुआ कि गैर–सरकारी संगठनों के कर्मचारी वृंद, स्व–सहायता समूहों और वितरण अभिकरणों द्वारा किसी भी सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा में भाग नहीं लिया गया।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा कि वर्तमान में शत प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। तथापि, तथ्य यथावत है कि भागीदारी नियमों के अनुसार नहीं थी।

अनुशंसा

शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्य सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा में उपस्थित हों जैसा कि स्कीम की लेखापरीक्षा नियम, 2011 में उल्लेखित हैं।

2.2.9.7 पूर्ववर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा कार्रवाई प्रतिवेदन को नहीं पढ़ा जाना

'स्कीम की लेखापरीक्षा नियम, 2011' के नियम 6 (9) के अनुसार, पूर्ववर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा से संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन प्रत्येक सामाजिक लेखापरीक्षा के बैठक के प्रारंभ में पढ़ कर सुनाई जाएगी।

50 नमूना जाँच किये गये ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा के बैठक प्रारंभ में पूर्ववर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा से संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन नहीं पढ़ी गई। इसके बदले सामाजिक लेखापरीक्षा बैठक में वर्तमान निष्कर्ष पढ़े गये थे।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में शासन ने कहा कि सामाजिक लेखापरीक्षा बैठक के लिए कोई भी पूर्ववर्ती कंडिकाएं पढ़ने के लिए नहीं थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सामाजिक अंकेक्षण इकाई के गठन से पूर्व विभाग द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित की गई थी और ऐसी सामाजिक लेखापरीक्षा की कार्रवाई प्रतिवेदन सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा बैठक में पढ़ी जानी चाहिए थी।

अनुशंसा

शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि सामाजिक लेखापरीक्षा की बैठक के प्रारंभ में पूर्ववर्ती कार्रवाई प्रतिवेदन पढ़े जाने के लिये सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के पास क्रियाविधि है जैसा कि स्कीम की लेखापरीक्षा नियम, 2011 में उल्लेखित है।

2.2.10 सामाजिक लेखापरीक्षा की रिपोर्टिंग

2.2.10.1 ग्राम पंचायतो को सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

सामाजिक लेखापरीक्षा मैन्युअल के अध्याय VI के प्रावधान 12 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन की एक प्रति जिला संसाधन व्यक्तियों (डी.आर.पी.) द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए और सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा के 24 घंटे के भीतर जनता को निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

आगे, 'स्कीम की लेखापरीक्षा नियम, 2011' के नियम 6 (8) के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा स्थानीय भाषा में सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार की जानी चाहिए और ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

50 नमूना जाँच किये गये ग्राम पंचायतों में संबंधित जिला संसाधन व्यक्तियों द्वारा ग्राम पंचायतों को सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रदर्शित नहीं की जा सकी।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में शासन ने कहा कि इस संबंध में आदेश जारी किये जायेंगे। तथ्य यथावत है कि यह ग्राम पंचायत में जनता के मध्य सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रसार में अवरोध था।

अनुशंसा

शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि सामाजिक अंकेक्षण इकाई जिला संसाधन व्यक्तियों द्वारा ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण को सुगम बनाये और ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर इसे प्रदर्शित करे।

2.2.10.2 आपराधिक जाँच से संबंधित शिकायतों की सूची को शामिल नहीं किया जाना

मनरेगा के दिशानिर्देश की कंडिका 13.3.13 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निपटान की जाने वाली शिकायतों की सूची होगी। तथा सामाजिक लेखापरीक्षा के परिणामों जिनकी आपराधिक जाँच करने की जरूरत है, की पृथक से सूची तैयार की जाएगी। आपराधिक मामले एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए अपेक्षित प्राधिकारी के पास जाएंगे, जबकि सभी शिकायतें निपटान तथा कार्रवाई के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर मनोनीत अधिकारी के पास दर्ज की जानी चाहिए।

50 नमूना जाँच किये गये ग्राम पंचायतों में यह पाया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शिकायतों की सूची थी इसमें ऐसे प्रकरण भी शामिल थे जिसमें आपराधिक जाँच की जरूरत थी। इस प्रकार आपराधिक जाँच के लिए पृथक से सूची संधारित नहीं की गई थी और इसलिए अपेक्षित कार्रवाई प्रारंभ किये जाने हेतु पृथक नहीं किया जा सका।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में शासन ने कहा कि जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा परिणामों को जिनमें आपराधिक जाँच की जरूरत है, पृथक किया जाएगा और केवल तभी उन पर कार्रवाई की जा सकती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सामाजिक लेखापरीक्षा दल द्वारा विभाग को प्रस्तुत करने के लिए पृथक सूची तैयार की जानी चाहिए थी और निर्धारित कानूनी कार्रवाई को प्रारंभ नहीं किया गया था।

2.2.10.3 सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को वेबसाइट पर अपलोड करना

सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सामाजिक अंकेक्षण इकाई के वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया गया

सामाजिक अंकेक्षण इकाई के गवर्निंग बॉडी की 25 फरवरी 2014 को आयोजित प्रथम बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुसार संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई को समस्त सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जनता के लिये उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को सामाजिक अंकेक्षण इकाई के वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए निर्देशित किया गया था। गवर्निंग बॉडी ने संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई को वेबसाईट के प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर के साथ समन्वयपूर्वक कार्य करने के लिए भी निर्देशित किया था।

सामाजिक अंकेक्षण इकाई के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2014–15 के 1056 ग्राम पंचायतों के सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को दिसम्बर 2015 तक वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया गया।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि वेबसाईट को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण निष्कर्षों को अपलोड नही किया जा सका। तथ्य यथावत् है कि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया जा सका इसके कारण उसकी जनता के दृष्टिकोण के लिये उपलब्धता प्रभावित हुआ।

2.2.10.4 सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

(i) सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा जनसुनवाई

सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव था

सामाजिक लेखापरीक्षा मैन्युअल का अध्याय–VIII, उपवाक्य–II कार्रवाई प्रतिवेदन को कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सामाजिक अंकेक्षण इकाई को जन सुनवाई के एक माह के भीतर प्रस्तुतीकरण को प्रावधानित करता है। संसाधन व्यक्ति जो सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा को समन्वित करता है, को इसे पुनः देखना चाहिए एवं कार्रवाई के औचित्य को दर्ज करना चाहिए। तथापि सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई प्रारंभ नहीं किया गया था।

(ii) राज्य शासन द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई

'स्कीम की लेखापरीक्षा नियम, 2011' के नियम 7(4) के अनुसार, राज्य शासन सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगी।

तथापि, संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई किये जाने के संबंध में जानकारी/अभिलेख प्रस्तुत नहीं की गई।

निर्गम बैठक (जनवरी 2016) में शासन ने कहा कि अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

2.2.11 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

- राज्य को 2013–15 के दौरान मनरेगा के लिए ₹ 3270.28 करोड़ प्राप्त हुआ जिसका एक प्रतिशत अर्थात ₹ 32.70 करोड़ सामाजिक लेखापरीक्षा पर व्यय के लिए आवंटित किया जाना था। इसके विरूद्ध सामाजिक अंकेक्षण इकाई को मात्र ₹ तीन करोड़ आवंटित किया गया। परिणामस्वरूप सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए ₹ 29.70 करोड़ का कम आवंटन हुआ।

शासन को स्कीम की लेखापरीक्षा का नियम, 2011 में निहित प्रावधान के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण इकाई को निर्धारित निधि आवंटित किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

- सामाजिक अंकेक्षण इकाई को स्वीकृत पदों के 11 से 69 प्रतिशत 2014–15 के दौरान रिक्त थे। फलस्वरूप 9734 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक वर्ष 19468 सामाजिक लेखापरीक्षा किए जाने के प्रावधान के विरूद्ध सामाजिक अंकेक्षण इकाई ने वर्ष 2014–15 में केवल 1566 सामाजिक लेखापरीक्षा (आठ प्रतिशत) का योजना बनाया एवं 1056 ग्राम पंचायतों में केवल एक बार 1056 (पाँच प्रतिशत) सामाजिक लेखापरीक्षा किया। इसके परिणामस्वरूप 2014–15 में सामाजिक लेखापरीक्षा करने की योजना बनाने में 92 प्रतिशत तथा वास्तविक रूप से लेखापरीक्षा करने में 95 प्रतिशत की कमी हुई।

शासन को स्कीम की लेखापरीक्षा नियम 2011 के अंतर्गत जैसा अपेक्षित है, सामाजिक लेखापरीक्षा की विस्तार एवं आवृति सुनिश्चित करना चाहिए।

- सामाजिक लेखापरीक्षा ने अनेक कमियों जैसे पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत न होना, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की अनुपस्थिति, दीवाल लेखन व वीडियो रिकार्डिंग न होना, ग्रामीणों की अपर्याप्त भागीदारी, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को वेबसाइट पर अपलोडिंग न होने का सामना किया।

शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन की कमियों का पर्याप्त रूप से दूर किया गया।

अध्याय – तीन
अनुपालन लेखापरीक्षा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

3.1 नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं किया जाना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुरूप हो। यह न केवल अनियमितताओं, दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी से बचाता है, बल्कि अच्छे वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में मदद भी करता है। नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं किये जाने के लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं।

3.1.1 अवशेष दावों एवं अग्रिमों का असमायोजन

सी.ई.ओ., जनपद पंचायतों द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुच्छेद 92 (1) तथा (2) के पालन में दोषी सरपंचों से अवशेष बकाया के समयानुसार वसूली अथवा समायोजन में तत्परता की कमी के परिणामस्वरूप राशि ₹ 34.31 लाख अग्रिम असमायोजित रहना

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अनुच्छेद 89 (1) के प्रावधानानुसार पंचायत का प्रत्येक पंच, सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी या कर्मचारी, उसके द्वारा कर्त्तव्यों में लापरवाही बरतने के कारण होने वाली किसी भी प्रकार के हानि, कपटपूर्ण व्यवहार अथवा गबन हेतु स्वयंमेव उत्तरदायी होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोषी से देय राशि की वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि दोषी अवशेष दावों का भुगतान करने में असमर्थ रहता है, तो यह उससे भू–राजस्व के बकाया के जैसा वसूली योग्य होगा। साथ ही, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुच्छेद 92 (1) तथा (2) उचित अधिकारी को दोषी से राशि भुगतान करने हेतु आदेश देने का अधिकार प्रदान करता है।

चार जनपद पंचायत कार्यालयों[1] के अभिलेखों के नमूना जाँच (दिसम्बर 2014 से मार्च 2015) के दौरान हमने पाया कि अवधि 1993–94 से 2012–13 के दौरान ग्राम पंचायतों के 42 सरपंचों को विभिन्न सिविल कार्यों के लिए प्रदान की गयी राशि ₹ 37.28 लाख का अग्रिम मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सी.ई.ओ.), जनपद पंचायतों द्वारा वसूल किये जाने थे।

इसके विरूद्ध राशि ₹ 2.97 लाख का समायोजन जुलाई 2014 तक किया गया था एवं मार्च 2015 की स्थिति में 40 सरपंचों से राशि ₹ 34.31 लाख बकाया अवशेष रहा **(परिशिष्ट 3.1)**।

अतः सी.ई.ओ., जनपद पंचायतों द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुच्छेद 92 (1) तथा (2) के पालन में दोषी सरपंचों से अवशेष बकाया के समयानुसार वसूली अथवा समायोजन में तत्परता की कमी के परिणामस्वरूप राशि ₹ 34.31 लाख अग्रिम असमायोजित रहा।

---

1 जनपद पंचायत डोंगरगढ़, चारामा, मोहला और दुर्ग

भाग – ब

अध्याय – चार

नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यपद्धति, जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामलों पर विहंगावलोकन

राज्य में नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यपद्धति पर विहंगावलोकन

4.1 प्रस्तावना

74वाँ संविधान संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई एवं एकरूप संरचना, सावधिक निर्वाचन तथा वित्त आयोग के माध्यम से निधियों के नियमित प्रवाह आदि हेतु एक प्रणाली स्थापित हुई। इसके परिपालन में राज्यों का यह दायित्व है कि वह इन निकायों को ऐसी शक्तियां, कार्य एवं दायित्वों को सौंपे, जो इन्हें स्वशासी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिये आवश्यक हो।

संविधान के अनुच्छेद 243 (क्यू) में यह प्रावधानित है कि प्रत्येक राज्य द्वारा बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिये नगरपालिक निगम, छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिये नगरपालिक परिषद, एवं ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र वाले परिवर्तनशील क्षेत्रों के लिये नगर पंचायत का गठन किया जायेगा। आगे, अनुच्छेद 243 (डब्ल्यू) में यह प्रावधानित है कि राज्य शासन विधि द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वशासी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिये आवश्यक हों और ऐसी विधियों में नगरीय स्थानीय निकायों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण हेतु प्रावधान होने चाहिये।

4.1.1 राज्य की रूपरेखा

मध्यप्रदेश से 16 जिलों के विभाजन के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य, अपनी राजधानी रायपुर के साथ, 1 नवंबर 2000 के आस्तित्व में आया। वर्तमान में राज्य में 27 जिले हैं।

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ नगरपालिक अधिनियम, 1961 तत्कालीन अविभाजित मध्यप्रदेश द्वारा अधिनियमित किया गया था और इसे नगरपालिकाओं संबंधित नियम समेकित तथा संशोधित करने एवं नगरपालिकाओं के संगठन तथा प्रशासन के लिये बेहतर प्रावधान बनाने के उद्देश्य के साथ, छत्तीसगढ़ में अंगीकार (अगस्त 2001) किया गया था।

नगरपालिक निगम, नगरपालिक परिषद और नगर पंचायत, छत्तीसगढ़ के त्रि-स्तरीय नगरीय स्थानीय निकाय है। जुलाई 2014 की स्थिति में राज्य में 12 नगरपालिक निगम, 44 नगरपालिक परिषद एवं 113 नगर पंचायत थे। नगरपालिक परिषद भिलाई–चरोदा (दुर्ग) तथा नगर पंचायत सारंगढ़ (रायगढ़) को क्रमशः नगरपालिक निगम एवं नगरपालिक परिषद में परिवर्तित (जुन 2015 एवं अक्टुबर 2015) कर दिया गया था। नगर पंचायत विश्रामपुरी (कोंडागांव) को चार ग्राम पंचायतों में विघटित (सितंम्बर 2015) किया गया था। अतः, नवम्बर 2015 की स्थिति में राज्य में 13 नगरपालिक निगम, 44 नगरपालिक परिषद एवं 111 नगर पंचायत हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में सामान्य जानकारी **तालिका 4.1** में दी गयी है:

तालिका 4.1: राज्य के संबंध में सामान्य जानकारी

विवरण	इकाई	राज्य के आंकड़े	सम्पूर्ण देश के आंकड़े
जनसंख्या	करोड़	2.55	121.08
देश की जनसंख्या में हिस्सा	प्रतिशत	2.11	100
शहरी जनसंख्या	करोड़	0.59	37.71
शहरी जनसंख्या का हिस्सा	प्रतिशत	23.14	31.14
साक्षरता दर	प्रतिशत	70.3	73
शहरी साक्षरता दर	प्रतिशत	84	84.1
लिंगानुपात (स्त्री प्रति हजार पुरूष)	अनुपात	991/1000	943/1000
शहरी लिंगानुपात (स्त्री प्रति हजार पुरूष)	अनुपात	956/1000	929/1000
नगरपालिक निगम	संख्या	13	139
नगरपालिक परिषद	संख्या	44	1595
नगर पंचायत	संख्या	111	2108

स्रोतः जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े, 13वें वित्त आयोग एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े

नगरीय स्थानीय निकायों के लिये अंतिम निर्वाचन दिसंबर 2014 में कराया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार, राज्य की 168 नगरीय स्थानीय निकायों की कुल शहरी जनसंख्या 59 लाख है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 23.14 प्रतिशत है। जनसंख्यावार नगरीय स्थानीय निकायों का वर्गीकरण निम्नलिखित **तालिका 4.2** में दिया गया है:

तालिका 4.2: जनसंख्यावार नगरीय स्थानीय निकायों का वर्गीकरण

स.क्र.	जनसंख्या	नगरपालिक निगम की संख्या	नगरपालिक परिषद की संख्या	नगर पंचायत की संख्या
1	5,000 से कम	निरंक	01	10
2	5,001 से 10,000	निरंक	निरंक	65
3	10,001 से 20,000	निरंक	10	36
4	20,001 से 50,000	निरंक	31	निरंक
5	50,001 से 1,00,000	04	02	निरंक
6	1,00,000 से अधिक	09	निरंक	निरंक
योग		**13**	**44**	**111**

स्रोतः जनगणना 2011 अनुसार यू.ए.डी.डी., रायपुर द्वारा प्रदत्त एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े

4.1.2 नगरीय स्थानीय निकायों के उन्नयन के मापदंड

म.प्र./छ.ग. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 तथा म.प्र./छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 के अनुसार ऐसी विशिष्टियाँ, जिसे राज्यपाल उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व या ऐसी अन्य आधार को, जिसे उचित समझे, ध्यान में रखते हुए नगरपालिक निगम/नगरपालिक परिषद/नगर पंचायत का गठन करेंगें।

राज्य शासन के अधिसूचना (फरवरी 2003) के अनुसार, नगरपालिक निगम के लिए एक लाख या उससे अधिक, नगरपालिक परिषद के लिए 20,000 से एक लाख एवं नगर पंचायत के लिए 5,000 से 20,000 जनसंख्या होनी चाहिए।

अभिलेखों के जांच से विदित हुआ कि राज्य शासन द्वारा नगरीय स्थानीय निकाय क्षेत्र घोषित करने के लिए मापदंड के रूप में केवल क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या को लिया गया। शासन द्वारा प्रस्ताव में अन्य कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, व्यवसाय, राजस्व इत्यादि के संबंध में कुछ अनुमान एवं आंकलन किया जाता है। जबकि, इस संबंध में कोई द्वार–सीमा तय नहीं की गयी है। जनसंख्या मापदंड का कड़ाई से पालन नहीं

किये जाने के कारण 11 नगरीय स्थानीय निकायों में अधिसूचना के तहत् आवश्यक जनसंख्या 5,000 से कम है।

4.2 नगरीय स्थानीय निकायों का संगठनात्मक संरचना

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (यू.ए.डी.डी.) राज्य के विभिन्न नगरपालिक निगमों, नगरपालिक परिषदों एवं नगर पंचायतों का प्रशासनिक विभाग है। यू.ए.डी.डी. अंतर्गत संचालनालय स्थापित किया गया है, जिसके क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जगदलपुर और दुर्ग में स्थित है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिये यू.ए.डी.डी. अंतर्गत गठित (जून 2001) राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) उत्तरदायी है। नगरीय प्रशासन के प्रबंधन एवं दायित्वों के निर्वहन के लिये प्रत्येक यू.ए.डी.डी. हेतु चुनी गयी नगरपालिक निगम/नगरपालिक परिषद/नगर पंचायत की व्यवस्था है। यू.ए.डी.डी. का प्रशासकीय संरचना नीचे दिया गया है:

नगरीय स्थानीय निकायों का संगठनात्मक संरचना

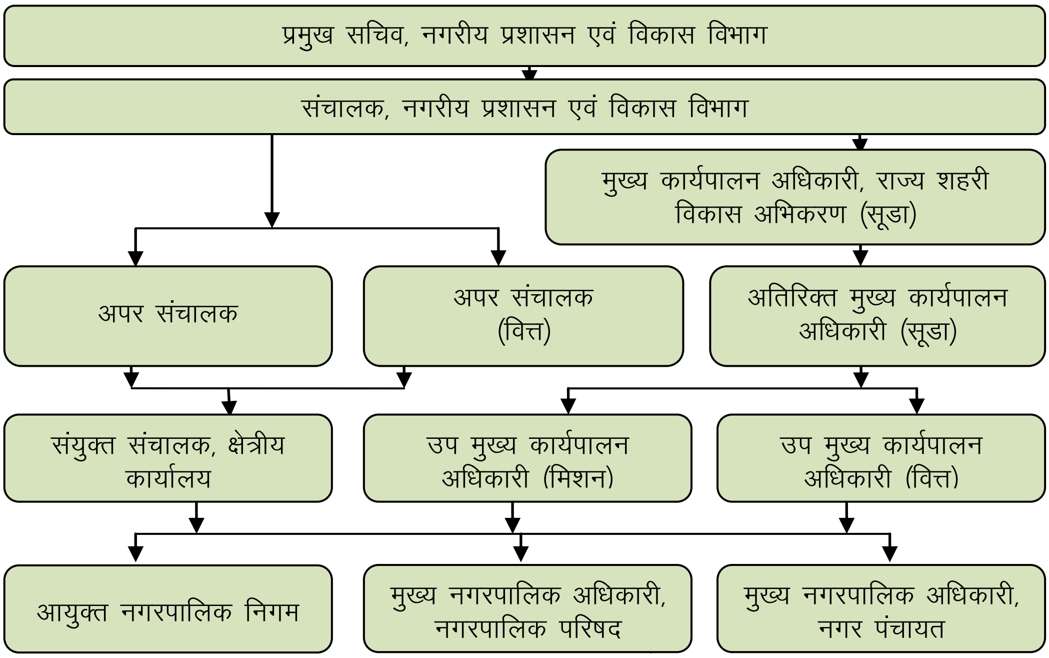

4.3 नगरीय स्थानीय निकायों की कार्यपद्धति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (एक्स) में प्रावधानित है कि राज्य विधानमंडल राजस्व वसूली हेतु विभिन्न करों के अधिरोपण का अधिकार विधि द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों में निहित कर सकता है। इस संवैधानिक प्रावधान को छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के उपधारा 132 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 के उपधारा 127 में शामिल किया गया है। नगरीय स्थानीय निकायों को शासन द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान तथा यात्रीकर विशेष अनुदान अंतर्गत भुगतान मासिक तौर पर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त नगरीय निकाय स्तर पर विभिन्न प्रकार के कर अधिरोपित किये जाते है, जिसमें कि संपत्ति कर, समेकित कर, जलकर, बाजार शुल्क, निर्यात कर आदि सम्मिलित है। नगरीय क्षेत्रों में शासन द्वारा संपत्ति कर के निर्धारण एवं वसूली की प्रक्रिया में कठिनाईओं को कम करने के लिये संपत्ति कर के स्व–निर्धारण की प्रक्रिया लागू की गयी है।

4.3.1 नगरपालिक निगम

छ.ग. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 9 के अनुसार, एक महापौर एवं नगरपालिक निगम क्षेत्र से सीधे निर्वाचित पार्षदों से मिलकर एक नगरपालिक निगम बनेगा। उक्त अधिनियम की धारा 37 के तहत् प्रत्येक नगरपालिक निगम के लिए एक मेयर–इन–कॉंसिल होगी, जो निर्वाचित पार्षदों में से महापौर द्वारा मेयर–इन–कॉंसिल के कृत्यों और उसके क्रियाकलापों के संचालन के लिए गठित की जाएगी, जैसा कि विहित किया जाए।

छ.ग. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 25 के अनुसार महापौर अपने कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखेगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन वर्णित किए गए हैं।

राज्य शासन निगम के आयुक्त की नियुक्ति करेगा जो निगम का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी होता है तथा उसे निगम के या उसकी किसी समिति के सम्मेलन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का स्वत्व प्राप्त होगा, किन्तु वह मत देने का या कोई प्रस्ताव रखने का पात्र नहीं होगा। आयुक्त के कार्यालय में कृत्यों एवं दायित्वों के लिए विहित नियमों के अंतर्गत प्रशासकीय कर्मचारी होंगें।

आयुक्त ऐसे समस्त आरोपित कर्त्तव्यों का संपादन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा उसको प्रदत्त किया जाए तथा समस्त नगरपालिक अधिकारियों के कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण भी रखेगा।

4.3.2 नगरपालिक परिषद एवं नगर पंचायत

छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 19 के अनुसार छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगरपालिक परिषद, शहरी क्षेत्रों की ओर बदलाव होते हुए क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत होगा, जिसमें एक प्रेसिडेंट एवं संबंधित क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए पार्षद होंगें। अधिनियम की धारा 70 के अनुसार प्रत्येक नगरपालिक परिषद/नगर पंचायत के लिए एक प्रेसिडेंट–इन–कॉंसिल (पी.आई.सी.) होगी, जो निर्वाचित पार्षदों में से प्रेसिडेंट द्वारा पी.आई.सी. के कृत्यों और उसके क्रियाकलापों के संचालन के लिए गठित की जाएगी, जैसा कि विहित किया जाए।

नगरपालिक परिषद/नगर पंचायत का प्रेसिडेंट, जो पी.आई.सी. का अध्यक्ष होता है, सभी बैठकों की अध्यक्षता, वित्तीय एवं कार्यकारी प्रशासन पर निगरानी तथा ऐसे कार्यकारी कृत्यों का पालन करेगा जैसा कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत विहित किया जाए।

अधिनियम की धारा 87 के अनुसार, परिषद के मुख्य नगरपालिक अधिकारी की नियुक्ति शासन करेगा जो नगरपालिक परिषद/नगर पंचायत का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी होगा और अपने कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखेगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन वर्णित किए गए हैं।

अधिनियम की धारा 92 के अनुसार नगरपालिक परिषद/नगर पंचायत का मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रेसिडेंट के सामान्य नियंत्रण के अधीन होगा, परिषद के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन पर निगरानी रखेगा और समस्त कर्त्तव्यों एवं विशेष रूप से आरोपित शक्तियों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त किया जाए या उसे प्रत्यायोजित किया जाए।

यू.ए.डी.डी. का अन्य दायित्वों में नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तंग बस्तियों में विकास योजनाओं का पर्यवेक्षण, शहरी गरीबों के उन्नयन के लिए विशिष्ट

योजनाओं का विकास करना तथा उनका पर्यवेक्षण, शहरी गरीबों के लिए आवास व्यवस्था का प्रावधान, चुंगी क्षतिपूर्ति कर निधि का प्रशासन आदि का देखरेख करना है।

4.4 लेखापरीक्षा व्यवस्था

4.4.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा (डी.एल.एफ.ए.) स्थानीय निकायों के लेखाओं का प्राथमिक लेखापरीक्षक (सांविधिक लेखापरीक्षक) होता है। राज्य में स्थानीय प्राधिकारियों के प्रबंधन अथवा नियंत्रण के तहत् स्थानीय निधियों का लेखापरीक्षा विनियमित करने एवं प्रावधान बनाने के लिए छत्तीसगढ़ स्थानीय संपरीक्षा अधिनियम 1973 अधिनियमित किया गया था।

अगस्त 2015 की स्थिति में नगरीय स्थानीय निकायों के वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि से संबंधित डी.एल.एफ.ए. की 60375 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ लंबित थी। लंबित आपत्तियों का विवरण निम्न **तालिका 4.3** में दिया गया है:

तालिका 4.3: डी.एल.एफ.ए. के लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों की कुल संख्या	संबंधित वर्ष में ली गयी आपत्तियां	निराकृत आपत्तियों की संख्या	लंबित रहे आपत्तियों की संख्या
1	2010–11	48811	2114	35	50890
2	2011–12	50890	3037	295	53632
3	2012–13	53632	2497	128	56001
4	2013–14	56001	2731	541	58191
5	2014–15	58191	4112	1928	60375

स्रोतः निदेशालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा प्रदत्त आंकड़े

डी.एल.एफ.ए. के लंबित लेखापरीक्षा आपंत्तियों के संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा कोई जवाब उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए डी.एल.एफ.ए. का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिसंम्बर 2014 में राज्य विधानमंडल में रखी गयी थी।

4.4.2 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा किया था कि पंचायतों के सभी स्तरों की लेखापरीक्षा एवं लेखाओं के उचित रखरखाव पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करने का दायित्व भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) को सौपें जाने चाहिए। तेरहवें वित्त आयोग ने भी अनुशंसा किया था कि समस्त स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर के लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण (टी.जी.एस.) का दायित्व सी.ए.जी. को सौंपी जानी चाहिए तथा उसके वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ–साथ संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा (डी.एल.एफ.ए.) का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष अवश्य रखी जानी चाहिए। चौदहवें वित्त आयोग ने भी अनुशंसा किया था कि सी.ए.जी. द्वारा स्थानीय निकायों के लेखाओं के रखरखाव में सुधार एवं उनके लेखापरीक्षा तथा टी.जी.एस. व्यवस्था के संबंध में पिछले वित्त आयोगों द्वारा की गयी पहल को जारी रखा जाए।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सी.ए.जी. (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा का दायित्व सौंपा (अक्टुबर 2011) गया था। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के विनियम 152 के साथ सौंपे गये दायित्व के अधीन स्थानीय निकायों में सुदृढ़ वित्तीय लोक प्रबंधन तथा जवाबदेही के प्रयोजन हेतु

स्थानीय निकायों के प्राथमिक लेखापरीक्षक नामतः डी.एल.एफ.ए. को उपयुक्त तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण उपलब्ध कराता है।

डी.एल.एफ.ए. वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करेगा, संविधियों के अनुसार लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया का पालन करेगा, निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.) की प्रतियाँ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित करेगा तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के विनियम 152 में निर्धारित अन्य शर्तों का पालन करेगा।

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा टी.जी.एस. के प्रभावकारिता पर पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा के संचालन के लिये लेखापरीक्षा योजना बनाने एवं लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली पर डी.एल.एफ.ए. के कर्मचारी वर्ग के लिये चार[1] सफल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। डी.एल.एफ.ए. ने जून 2014 से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.) की प्रतियाँ अग्रेषित करना आरम्भ किया था। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा नवम्बर 2015 तक 764 आई.आर. प्राप्त किये गये। आगे, टी.जी.एस. अंतर्गत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए डी.एल.एफ.ए. एवं महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के मध्य एक संयुक्त बैठक (अक्टुबर 2015) हुआ था। मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए डी.एल.एफ.ए. का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं वर्ष 2013–14 के लिए सी.ए.जी. का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल में क्रमशः दिसंम्बर 2014 एवं जुलाई 2015 रखी गयी।

4.5 लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया

महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों में मार्च 2015 की स्थिति में 365 लेखापरीक्षा आपत्तियां लंबित थी। चूंकि अक्टूबर 2011 में ही लेखापरीक्षा सौंपा गया था, महालेखाकार द्वारा 2012–13 तक नगरीय स्थानीय निकायों के 30 इकाईयों[2] का ही लेखापरीक्षण किया गया था। इनमें से नवम्बर 2015 की स्थिति में चार कंडिकाओं का ही निराकरण हुआ था तथा शेष 361 कंडिकाएं लंबित है।

जवाबदेही क्रियाविधि एवं वित्तीय प्रतिवेदित मामले

जवाबदेही क्रियाविधि

4.6 लोकपाल

तेरहवें वित्त आयोग के कंडिका 10.66 में संबंधित राज्य, पंचायत एवं नगरपालिका अधिनियम के संसोधन द्वारा स्थानीय निकायों के लिए एक अलग लोकपाल के गठन का प्रावधान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने मंत्रियों, संसदीय सचिवों, लोक सेवकों आदि एवं उनसे संबंधित मामलों के विरूद्ध आरोपों के जाँच हेतु कुछ प्राधिकारियों के नियुक्ति एवं कृत्यों के लिए प्रावधान करते हुए एक अध्यादेश 'छत्तीसगढ़ लोक आयोग अध्यादेश 2002' प्रस्थापित किया था। इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना नवम्बर 2002 में प्रकाशित हुआ था।

यह पाया गया कि स्थानीय निकायों को भी लोक आयोग के दायरे में लाया गया था।

---

[1] जूलाई 2013, मई 2014, नवंबर 2014 एवं मार्च 2015

[2] 2012–13 (22 इकाई), 2013–14 (06 इकाई) एवं 2014–15 (02 इकाई)

4.7 मुख्य लेखा अधिकारी की नियुक्ति

छत्तीसगढ़ नगरपालिक अधिनियम, 1961 की धारा 94 प्रत्येक नगरपालिक परिषद, जिसका वार्षिक आय 5 लाख या अधिक होगा, में एक मुख्य लेखा अधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है।

मौजुदा व्यवस्था में लेखाप्रबंधन के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए लेखा अधिकारियों के रूप में नगरीय स्थानीय निकायों में अधिकारी पदस्थापित किये गये हैं।

4.8 वित्तीय प्रतिवेदित मामले

4.8.1 राजस्व के स्रोत

स्थानीय निकायों के राजस्व प्राप्ति के मुख्यतः दो स्रोत, शासकीय अनुदान और स्वयं का राजस्व है। शासकीय अनुदानों में राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा क्रमशः राज्य वित्त तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा अंतर्गत जारी राशियाँ एवं विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त निधि सम्मिलित है। नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व स्रोतों में स्वयं के कर राजस्व और गैर–कर राजस्व सम्मिलित है। नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा विभिन्न प्रकार के करों, किरायों, शुल्क, लाइसेंस जारी करने आदि अपने स्वयं के स्रोतों से राजस्व अर्जित करते हैं। शहरी विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये नगरीय स्थानीय निकाय ऋण भी प्राप्त करते हैं। नगरीय स्थानीय निकायों के विगत पाँच वर्षों के राजस्व स्रोत का विवरण निम्नलिखित **तालिका 4.4** में दिया गया है:

तालिका 4.4: नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोत

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	वर्ष	अनुदान		स्वयं के राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	योग
		आयोजना	आयोजनेत्तर		
1	2010–11	515.06	734.98	217.61(15)	1467.65
2	2011–12	668.09	780.55	320.16(18)	1768.80
3	2012–13	1201.38	989.84	334.46(13)	2525.68
4	2013–14	1434.26	1139.21	379.60(13)	2953.07
5	2014–15	1171.90	1212.13	466.00(16)	2850.03
योग		**4990.69**	**4856.71**	**1717.83(15)**	**11565.23**

स्रोतः यू.ए.डी.डी. द्वारा प्रदत्त जानकारी

तालिका 4.4 से देखा जा सकता है कि 2010–11 से 2014–15 के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों को कुल राजस्व में से स्वयं के राजस्व का हिस्सा 13 से 18 प्रतिशत के मध्य रहता है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं के राजस्व के आंकड़ों का संधारण उचित प्रकार से नहीं किया गया। नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व प्राप्ति की जानकारियाँ निदेशालय को प्रेषित किया जाता है, जहां पर इनका संकलन होता है। जबकि, सभी नगरीय स्थानीय निकायों के मामले में लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये स्वयं के राजस्व के आंकड़ों से यह देखा गया कि पिछले वर्ष के बकाया राजस्व का अंतिम शेष आगामी वर्ष के प्रारंभिक शेष से मेल नहीं हो रहे थे। अतः अभिलेखों के अनुपयुक्त रखरखाव तथा खराब प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) के कारण यू.ए.डी.डी. नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व का आंकलन एवं संग्रहण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। इसके अतिरिक्त, चूंकि किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय में प्रोद्भवन लेखाप्रणाली सॉफ्टवेयर परिचालन में नहीं है, इसलिए यू.ए.डी.डी. योजना उद्देश्यों के लिए संकलित राजस्व आंकडों को आनॅलाइन नहीं रख पा रहा है।

इंगित किये जाने पर उपसंचालक यू.ए.डी.डी. ने बताया (नवम्बर 2015) कि नगरीय

स्थानीय निकायों से सही आंकड़े प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही किया गया है तथा संकलन पश्चात् आंकड़े प्रदान किये जायेंगे।

4.8.2 बजट आवंटन एवं व्यय

राज्य शासन द्वारा बजट के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकायों के लिये आवंटित निधियों (राज्य के कर राजस्व का हिस्सा, योजना निधि और अनुदान आदि), जिसमें केन्द्रीय योजनाओं के लिये राज्यांश और तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसानुरूप अनुदान शामिल है, का विवरण निम्न **तालिका 4.5** में दिया गया है:

तालिका 4.5: निधियों के आवंटन एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	वर्ष	बजटीय आवंटन			व्यय			बचत	बचत का प्रतिशत
		आयोजना	आयोजनेत्तर	योग	आयोजना	आयोजनेत्तर	योग		
1	2010–11	515.06	734.98	1250.04	291.91	711.71	1003.62	246.42	20
2	2011–12	668.09	780.55	1448.64	392.77	744.41	1137.18	311.46	22
3	2012–13	1201.38	989.84	2191.22	924.43	925.65	1850.08	341.14	16
4	2013–14	1434.26	1139.21	2573.47	672.83	1087.82	1760.65	812.82	32
5	2014–15	1171.90	1212.13	2384.03	589.28	1015.05	1604.33	779.70	33
योग		**4990.69**	**4856.71**	**9847.40**	**2871.22**	**4484.64**	**7355.86**	**2491.54**	

स्रोतः यू.ए.डी.डी. द्वारा प्रदत्त जानकारी

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि नगरीय स्थानीय निकाय क्षेत्र में वर्ष 2010–11 के मुकाबले वर्ष 2014–15 के बजट प्रावधान में 91 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। जबकि, नगरीय स्थानीय निकाय समूचे आवंटित बजट को खर्च नहीं कर सका और मुख्यतः आयोजना शीर्ष में पर्याप्त अव्ययीत राशि अवशेष होने के कारण वर्ष 2010–15 की अवधि के दौरान बचत 16 से 33 प्रतिशत तक रहा था।

4.8.3 छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निधि

राज्य में नगरीय स्थानीय निकायों अंतर्गत योजनाबद्ध विकास के लिये छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम 2003 बनाया गया। इस निधि के अंतर्गत दो तरह के खातों, नामतः न्यागमन खाता एवं अधोसंरचना खाता का संधारण किया जाता है। न्यागमन खाता अंतर्गत नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति, यात्रीकर, मुद्रांक शुल्क, बार लाइसेंस शुल्क एवं अन्य क्षतिपूर्ति अनुदान शामिल है, जिसे नगरीय स्थानीय निकाय अपने स्वविवेक से उपयोग करती है। अधोसंरचना खाता अंतर्गत राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा अनुरूप प्राप्त निधि एवं सड़क मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिये प्राप्त निधि शामिल है। इस निधि का उपयोग सड़क मरम्मत कार्य, पेयजल संबंधी योजनाओं, अग्निशमन सेवा सुधार, राज्य शासन की कोई विशेष योजना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और मुलभूत सुविधाओं के विकास जैसे कार्यों के लिये किया जाता है। छत्तीसगढ़ अधोसंरचना निधि अंतर्गत 2010–11 से 2014–15 के दौरान निधियों के आवंटन एवं व्यय नीचे **तालिका 4.6** में दिया गया है:

तालिका 4.6: निधियों के आवंटन/व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	न्यागमन खाता	अधोसंरचना खाता	योग
1	2010–11	205.32	606.17	811.49
2	2011–12	222.77	595.96	818.73
3	2012–13	255.03	1315.44	1570.47
4	2013–14	280.04	1102.65	1382.69
5	2014–15	295.59	1050.20	1345.79
योग		**1258.75**	**4670.42**	**5929.17**

स्रोतः यू.ए.डी.डी. द्वारा प्रदत्त आंकड़े

विभाग ने बताया कि आवंटित निधि नगरीय स्थानीय निकायों को जारी करने के पश्चात् व्यय के रूप में ले लिया जाता है।

4.8.4 तेरहवें वित्त आयोग अनुदान

तेरहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) के अनुशंसा पर भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा 2010–11 से 2014–15 के दौरान ₹ 355.37 करोड़ जारी किये गये, जिसमें से मार्च 2015 तक ₹ 209.07 करोड़ (59 प्रतिशत) खर्च किया गया था। टी.एफ.सी. अनुदान के पिछले पाँच वर्षों के आवंटन एवं व्यय का विवरण नीचे **तालिका 4.7** में दिया गया है:

तालिका 4.7: टी.एफ.सी. अनुदान के आवंटन एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वर्ष	आवंटन			व्यय
		मूल अनुदान	निष्पादन अनुदान	योग	
1	2010–11	42.57	00	42.57	1.95
2	2011–12	49.14	24.44	73.58	18.12
3	2012–13	55.29	51.59	106.88	30.52
4	2013–14	63.78	9.37	73.15	89.13
5	2014–15	38.51	20.68	59.19	69.35
योग		**249.29**	**106.08**	**355.37**	**209.07**

स्रोतः– यू.ए.डी.डी. द्वारा प्रदत्त जानकारी

निष्पादन अनुदान ₹ 106.08 करोड़ में से राशि ₹ 30.74 करोड़[3] 2011–12 से 2014–15 के दौरान बेहतर प्रदर्शन न करने वाले राज्यों के निष्पादन अनुदान जब्त कर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य होने के कारण जारी किया गया।

4.8.5 बजट अंगीकरण एवं लेखा प्रारूप

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के सहयोग से भारत सरकार द्वारा गठित कार्यदल द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए बजट एवं लेखा प्रारूप के अंगीकरण के पश्चात् यू.ए.डी.डी. छत्तीसगढ़ द्वारा प्रोद्भवन लेखा प्रणाली पाँच मॉड्यूलों में प्रांरभ (जुलाई 2010) किया गया। ये डबल एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बजट निगरानी प्रणाली, स्थाई परिसंपत्ति रजिस्टर प्रणाली, पेरॉल मैनेजमेंट सिस्टम एवं ऑनलाइन ग्रिवेंस रिड्रेसल ट्रेसिंग सिस्टम हैं।

आगे, यह पता चला कि वित्तीय वर्ष 2008–11 तक का सभी शिड्यूल में शामिल आय एवं व्यय लेखा, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तथा तुलन–पत्रक को जून 2014 में पूर्ण किया गया है। विभाग ने बताया कि सभी नगरपालिक निगम, 44 में से 37 नगरपालिक परिषद, 111 में से 61 नगर पंचायतों तथा यू.ए.डी.डी. के 20 प्रशासकीय कार्यालयों में प्रोद्भवन लेखा प्रणाली को लागू किया है। जबकि, विभाग ने प्रोद्भवन लेखा प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए एक निजि एजेंसी को लगाया था, जो कि केवल 2010–11 तक ही पूर्ण किया गया था। उपरोक्त वर्णित 131 कार्यालयों[4] में वर्ष 2011–12 के बाद के लेखाओं को प्रोद्भवन लेखा प्रणाली में पूर्ण नहीं किया गया था। शेष 57 नगरीय स्थानीय निकायों में यह 2008–09 से ही प्रारम्भ नहीं किया गया था।

प्रोद्भवन लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन का नमूना जाँच (नवम्बर 2015) छः नगरीय स्थानीय निकायों[5] में किया गया था। आयुक्त, नगरपालिक निगम रायपुर ने बताया कि

---

[3] 2011–12 – ₹ 7.67 करोड़, 2012–13 – ₹ 13.70 करोड़, 2014–15 – ₹ 9.37 करोड़

[4] 111 नगरीय स्थानीय निकायों तथा 20 प्रशासकीय कार्यालय

[5] नगरपालिक निगम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई–चरौदा, नगरपालिक परिषद आरंग और तखतपुर

लेखा प्रणाली सॉफ्टवेयर उपयोग में नहीं है, जबकि आयुक्त नगरपालिक निगम बिलासपुर, दुर्ग तथा भिलाई–चरौदा ने कहा कि वर्तमान में यह सॉफ्टवेयर उपयोग में नहीं है। आगे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सी.एम.ओ.), नगरपालिक परिषद आंरग ने बताया कि प्रोद्भवन प्रणाली उपयोग में नहीं है एवं वर्तमान में लेखांकन एकल प्रविष्टि प्रणाली में किया जा रहा है। यद्यपि सी.एम.ओ., नगरपालिक परिषद तखतपुर ने कहा कि अपेक्षित सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं है।

4.8.6 लंबित ऋणों की स्थिति

राज्य सरकार नगरीय स्थानीय निकायों को विभिन्न निर्माण कार्य हेतु ऋण प्रदान करती है। यू.ए.डी.डी. निदेशालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2014 की स्थिति में विभिन्न नगरीय स्थानीय निकायों के विरूद्ध ₹ 568.18 करोड़ का ऋण लंबित था। वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 47.06 करोड़ मूल तथा ₹ 25.40 करोड़ ब्याज की अदायगी की गयी थी। यद्यपि, वर्ष 2014–15 में नगरीय स्थानीय निकायों को राशि ₹ 1.80 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया था। अतः 31 मार्च 2015 की स्थिति में कुल लंबित ऋण ₹ 498.18 करोड़ हो गयी थी, जिसका विवरण निम्न **तालिका 4.8** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.8: लंबित ऋणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	01 अप्रैल 2014 को शेष (मूल + ब्याज)	2014–15 के दौरान ब्याज सहित नया ऋण	2014–15 के दौरान अदायगी		31 मार्च 2015 की स्थिति में लंबित राशि
				मूल	ब्याज	
1	नगरपालिक निगम रायपुर	27.16	–	6.89	1.75	18.52
2	नगरपालिक निगम दुर्ग	0.15	–	0.15	–	–
3	नगरपालिक निगम राजनांदगांव	1.36	–	0.37	0.09	0.90
4	नगरपालिक निगम जगदलपुर	191.02	–	0.30	1.54	189.18
5	नगरपालिक निगम बिलासपुर	0.99	–	0.80	0.05	0.14
6	नगरपालिक निगम अम्बिकापुर	0.81	–	0.66	0.04	0.11
7	अन्य नगरीय स्थानीय निकाय	346.69	2.46[6]	37.89	21.93	289.33
योग		**568.18**	**2.46**	**47.06**	**25.40**	**498.18**

स्रोतः यू.ए.डी.डी. द्वारा प्रदत्त आंकड़े

ऋणों पर ब्याज की अधिकता के परिणामस्वरूप नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

[6] मूल– ₹ 180,28,000 तथा ब्याज– ₹ 65,57,683

अध्याय – पाँच

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

5.1 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

5.1.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने स्व–रोजगार उद्यम स्थापना को प्रोत्साहित करने अथवा मजदूरी रोजगार के प्रावधान द्वारा शहरी बेरोजगार अथवा अल्प–रोजगार गरीब को लाभप्रद रोजगार प्रदाय करने 'स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना' (एस.जे.एस.आर.वाई.) प्रस्तुत (दिसम्बर 1997) किया। राज्य द्वारा सामना की गई कठिनाइयों तथा इसके क्रियान्वयन में कमियों को दूर करने योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित (अप्रैल 2009) किया गया था। एस.जे.एस.आर.वाई. के पाँच घटक नामतः शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूसेप), शहरी महिला स्व–सहायता कार्यक्रम (यू.डब्ल्यू.एस.पी.), शहरी गरीबों के मध्य रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (स्टेप–अप), शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू.डब्ल्यू.ई.पी.) एवं शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (यू.सी.डी.एन.) है।

संशोधित एस.जे.एस.आर.वाई. दिशानिर्देशों के मुख्य उद्देश्य थे:

- शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प–रोजगार गरीबों को उनके भरण–पोषण के लिए सहायता उपलब्ध कराकर स्व–रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करके लाभप्रद रोजगार के माध्यम से शहरी गरीबी उपशमन करना;

- बाजार द्वारा खोले गये रोजगार के अवसरों अथवा स्व–रोजगार स्थापित करने शहरी गरीब का कौशल विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सहायता देकर योग्यता देना है; और

- स्व–प्रबंधकीय समुदाय संरचनाओं के द्वारा गरीबी के मुद्दे का समाधान करने हेतु समुदाय को अधिकार देना।

एस.जे.एस.आर.वाई. केन्द्र एवं राज्य के मध्य 75:25 के वित्तीय प्रबंध के साथ एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है।

एस.जे.एस.आर.वाई. 2013–14 तक सभी 169 नगरीय स्थानीय निकायों में क्रियाशील थी। यद्यपि, भारत सरकार ने एस.जे.एस.आर.वाई. को बदलने के लिए सितम्बर 2013 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) प्रस्तुत किया परन्तु एन.यू.एल.एम. के अन्तर्गत आवंटन केवल वर्ष 2014–15 में प्रदाय किया गया तथा इसे 28 नगरीय स्थानीय निकायों में क्रियान्वित की गई थी। भारत सरकार ने एस.जे.एस.आर.वाई. हेतु 2014–15 के दौरान निधियाँ जारी नहीं की परन्तु योजना विद्यमान निधियों से 141 नगरीय स्थानीय निकाय में क्रियाशील थी।

5.1.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नेतृत्व में राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) राज्य स्तर पर एस.जे.एस.आर.वाई. क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) एस.जे.एस.आर.वाई. को नगरीय स्थानीय निकायों में क्रियान्वित करती है। योजना को नगरपालिक निगमों/परिषदों तथा नगर पंचायतों के द्वारा निष्पादित किया जाता है। **परिशिष्ट–5.1.1** में संगठनात्मक ढ़ाँचाचित्र दिया गया है।

5.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि:

- योजना का वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ था तथा निधियों को पर्याप्त मात्रा में और समय पर विमुक्त किया गया तथा उपयोगिता प्रकल्पना के अनुरूप थी;
- आयोजना पर्याप्त थी, हितग्राहियों की पहचान हेतु उचित सर्वेक्षण किये गये थे तथा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शहरी सामुदायिक नेटवर्क सुदृढ़ किये गये थे;
- शासन द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार लक्षित पात्र हितग्राहियों को स्व–रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण तथा अनुदान के द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी तथा महिला समूहों को पर्याप्त मात्रा में समावेशित किये गये थे;
- सभी पात्र चिन्हित हितग्राहियों को पर्याप्त संस्थाओं को नियोजित करके उभरते बाजार अवसरों के परिपेक्ष्य के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया था तथा प्रशिक्षित हितग्राहियों को रोजगार नियोजन कराना प्रभावी था; तथा
- प्रभावी सूचना, शिक्षा तथा संचार, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन तंत्र विद्यमान थे।

5.1.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड के स्रोत निम्नानुसार थे:

- एस.जे.एस.आर.वाई. के दिशानिर्देश;
- भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, सूडा तथा डूडा द्वारा जारी निर्देश/परिपत्र;
- वित्तीय नियम इत्यादि।

5.1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के साथ आगम बैठक (अगस्त 2015) की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा पद्धति पर चर्चा की गई थी। सूडा एवं 27 जिलों में से चयनित सात जिलों[1] की डूडाओं में लेखापरीक्षा जून और अगस्त 2015 के मध्य की गई थी तथा अवधि 2010–15 को समावेशित किया गया था। राज्य में 13 नगरपालिक निगम, 44 नगरपालिक परिषद तथा 111 नगर पंचायत है। चयनित जिलों के सभी आठ नगरपालिक निगमों, 10 नगरपालिक परिषदों तथा 23 नगर पंचायतों को समावेशित किया गया। प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के साथ निर्गम बैठक 30 दिसम्बर 2015 को किया गया जिसमें तथ्यों, आंकड़ों तथा लेखापरीक्षा द्वारा सुझाई गई अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया। निर्गम बैठक के परिणामों तथा छत्तीसगढ़ शासन के अभिमतों (दिसम्बर 2015) को उपर्युक्त ढ़ंग से सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.1.6 वित्तीय प्रबंधन

एस.जे.एस.आर.वाई. दिशानिर्देश के कंडिका 3 के अनुसार, अनुदान 75:25 के अनुपात में भारत सरकार और राज्य के बीच साझा किया जाना था। भारत सरकार द्वारा अनुवर्ती किश्तों को सूडा के द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुतिकरण तथा छत्तीसगढ शासन द्वारा सापेक्ष राज्यांश विमुक्त करने के पश्चात् ही जारी करना था।

5.1.6.1 निधियों का उपयोग एवं अवरूद्ध रहना

(i) वर्ष 2010–15 की अवधि में योजनान्तर्गत निधियों की कुल उपलब्धता ₹ 99.53 करोड़ थी। अवधि 2014–15 में कोई केन्द्रांश विमुक्त नहीं किया गया तथा केवल

[1] बस्तर, दुर्ग, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा तथा कोरिया

₹ 0.54 करोड़ गतवर्ष 2013–14 के राज्यांश के रूप में जारी की गई थी। विवरण नीचे **तालिका 5.1.1** में दर्शित हैः

तालिका 5.1.1: 2010–15 के दौरान निधियों की उपलब्धता एवं व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	विमुक्तियां			प्राप्तियों का योग	कुल उपलब्धता	व्यय (प्रतिशत में)	अंत शेष
		केन्द्र	राज्य	ब्याज				
2010–11	8.99	15.46	1.90	0.29	26.64*	26.64	12.16 (46)	14.48
2011–12	14.48	13.43	7.88	0.93	22.24	36.72	20.22 (55)	16.50
2012–13	16.50	19.29	4.18	1.02	24.49	40.99	22.02 (54)	18.97
2013–14	18.97	16.34	7.15	1.22	24.71	43.68	23.26 (53)	20.42
2014–15	20.42	0	0.54	0.91	1.45	21.87	13.18 (60)	8.69
योग		**64.52**	**21.65**	**4.37**	**99.53**		**90.84**	

स्रोतः– सी.ए. प्रतिवेदन तथा सूडा द्वारा अवधि 2010–15 के लिए प्रदाय किए गए वित्तीय आंकड़े

*कुल प्राप्तियां ₹ 17.65 करोड़ + वर्ष 2010–11 का प्रारंभिक शेष ₹ 8.99 करोड़

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2010–15 के मध्य प्रत्येक वर्ष निधियों की उपलब्धता के विपरीत व्यय 46 तथा 60 प्रतिशत के मध्य रहा। यद्यपि, नमूना जाँच वाले जिलों में व्यय पांच से 98 प्रतिशत के मध्य रहा (**परिशिष्ट 5.1.2**)। भारत सरकार द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को जारी करने में विलंब तथा राज्य शासन द्वारा सापेक्ष अंश को वित्तीय वर्ष के अंत में विमुक्त करना उपलब्ध निधियों की अल्प उपयोगिता के मुख्य कारण रहे।

(ii) दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय निधियाँ केवल उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने तथा गत विमुक्तियों हेतु सापेक्ष राज्यांश विमुक्त करने के पश्चात् जारी होगा। अभिलेखों की जाँच में प्रकट हुआ कि:

वर्ष 2010–15 के दौरान उपलब्ध निधियाँ ₹ 99.53 करोड़ के विरूद्ध, ₹ 37.79 करोड़ (44 प्रतिशत) उपयोग नहीं किया जा सका तथा सूडा एवं डूडाओं के बैंक खातों में रखी थी

सूडा ने वर्ष 2010–15 के दौरान भारत सरकार को समग्र केन्द्रांश ₹ 64.52 करोड़ के सापेक्ष में उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया। इस राशि में 31 मार्च 2015 (**परिशिष्ट 5.1.3**) की स्थिति अनुसार सूडा/डूडाओं के बैंक खातों में रखी अवशेष राशि ₹ 37.79[2] करोड़ तथा सावधि जमा (एफ.डी.) में रखी ₹ 3.78 करोड़[3] सम्मिलित था।

इसके आगे, अवधि 2010–15 के दौरान कर्मचारियों को एस.जे.एस.आर.वाई. निधि से दिये गये कुल ₹ 3.56 लाख[4] के समायोजन दिसंबर 2015 तक लंबित था। अस्थायी कर्मचारियों ने पहले ही अपनी नौकरियाँ छोड़ दिया है इस कारण अग्रिम का समायोजन कठिन प्रतित होता है।

उपरोक्त दर्शाता है कि भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र ₹ 37.79 करोड़ आधिक्य में दर्शाये गये थे जो लगातार बैंक खातों में तथा एफ.डी./असमायोजित अग्रिम के रूप में अवरूद्ध थी।

निर्गम बैठक में शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) एवं बताया कि चुनाव तथा बैंकों के द्वारा हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति में विलंब के कारण निधियों के उपयोग की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी। तथ्य यथावत है क्योंकि चुनाव बहुत अल्प अवधि के लिए थे तथा इसे पांच वर्षों की अवधि हेतु निधियों की अल्प उपयोगिता के लिए एक आधार नहीं माना जा सकता। इसके आगे, शासन ने एस.जे.एस.आर.वाई. हितग्राहियों की ऋण स्वीकृति को त्वरीत करने के लिए बैंकों के साथ समन्वय हेतु किसी भी रूपरेखा का उल्लेख नहीं किया था।

---

2 सूडा– ₹ 8.69 करोड़; नमूना जाँच के सात जिलों– ₹ 7.15 करोड़; अन्य 18 जिलों– ₹ 21.95 करोड़

3 सूडा ₹ 1.20 करोड़, डूडा, दूर्ग ₹ 2.10 करोड़ एवं डूडा, सरगुजा ₹ 0.48 करोड़

4 कोरिया ₹ 1.23 लाख, सरगुजा ₹ 0.81 लाख, सूडा ₹ 1.52 लाख

5.1.6.2 केन्द्रीय तथा राज्य निधियों के आवंटन में विलंब

योजना का प्रभावी क्रियान्वयन निधियों की समय में विमुक्ति पर निर्भर करती है।

केन्द्रांश एवं सापेक्ष राज्यांश 36 से 364 दिवस के विलंब से प्राप्त हुए जिससे निधियों का अल्प उपयोग हो पाया

सूडा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010–14 में केन्द्रांश 36 से 102 दिवस के विलंब उपरांत प्राप्त हुआ **(परिशिष्ट 5.1.4)**। इसी अवधि में राज्यांश 59 से 364 दिवस के विलंब उपरांत प्राप्त हुआ **(परिशिष्ट 5.1.5)**। 2013–14 के लिए ₹ 0.54 करोड़ का राज्यांश 16 माह के विलंब उपरांत विमुक्त (अगस्त 2014) किया गया था। कंडिका 5.1.6.1(ii) में की गई चर्चानुसार निधियों के आवंटन में विलंब के परिणामतः निधियाँ अवरूद्ध हुई थी।

यह देखा गया कि सूडा द्वारा निर्धारित समय के भीतर पिछले वर्ष के भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को जमा कराना सुनिश्चित नहीं करने के कारण केन्द्रांश राशि जारी करने में विलंब हुआ, साथ ही राज्य द्वारा सापेक्ष राशि की विमुक्ति में भी विलंब हुआ।

निर्गम बैठक में शासन ने तथ्य को स्वीकार किया (दिसंबर 2015) और बताया कि अल्प उपयोगिता का मुख्य कारण भारत सरकार द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की विलंब से विमुक्ति थी जिसके कारण राज्य द्वारा सापेक्ष राशि भी विलंब से विमुक्त की गयी।

5.1.6.3 राशि ₹ 3.63 करोड़ का दूसरी योजना में व्यपवर्तन

एस.जी.एस.आर.वाई. के दिशानिर्देश राज्यों को पूर्ण निधि बिना घटकों में विभाजित किए विमुक्त करने हेतु प्रवधान करती है, जिससे कि निधियों के उपयोग में लचीलापन बना रहे। योजना में फिर भी निधियों के व्यपवर्तन हेतु अनुमति नहीं दी गयी थी।

सूडा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अवधि 2010–15 में राशि ₹ 3.63 करोड़[5] का व्यपवर्तन सूडा द्वारा एस.जी.एस.आर.वाई. से भिन्न योजनाओं में 21 से 60 माह के अवधि के लिए किया गया था, जिसका समायोजन नहीं किया गया है (दिसम्बर 2015)।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (दिसंबर 2015) कि निधियों का दूसरी संस्थाओं को एस.जी.एस.आर.वाई. के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए हस्तांतरित की गयी थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निधियों का व्यपवर्तन एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.), शहरी निर्धन आवास योजना एवं जनशक्ति निवारण प्रणाली जैसी योजनाओं में किये गये थे, जो एस.जी.एस.आर.वाई. से पूर्णतया भिन्न थे।

अनुशंसा

हमारी अनुशंसा है कि उपयोगिता प्रमाण–पत्र वास्तविक खर्च के आधार पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए न कि सूडा द्वारा क्रियान्वयन संस्थाओं को जारी की गयी राशि के आधार पर। इसके आगे, योजना निधि का उपयोग योजना पर ही किया जाना चाहिए।

5.1.7 योजना

हितग्राहियों तथा मलिन बस्ती समूह का गृहस्वामियों के माध्यम से चिन्हांकन, मलिन बस्ती तथा आजीविका सर्वेक्षण तथा शहरी गरीबी उन्मूलन रणनीति, मलिन बस्ती विकास योजना और सामुदायिक स्तर पर लघु योजनाएं एवं सूक्ष्म योजनाओं को तैयार करना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक थे। इन सर्वेक्षणों को नगरीय स्थानीय निकायों के द्वारा उनके गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जाना था।

---

[5] आई.एच.एस.डी.पी. (₹ 0.34 करोड़) शहरी निर्धन आवास (₹ 0.61 करोड़), छत्तीसगढ निर्माण अकादमी (₹ 2 करोड़), वस्त्र प्रशिक्षण एवं रूपरेखा (₹ 0.62 करोड़) और जन शक्ति निवारण प्रणाली (₹ 0.06 करोड़)

गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ की देखरेख में सामुदायिक संगठनों जैसे पड़ोसी समूह, पड़ोसी समितियाँ और सामुदायिक विकास समितियों को हितग्राहियों को चिन्हित करने के कार्य में सम्मिलित किया जाना था। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई:

5.1.7.1 हितग्राहियों के चिन्हांकन हेतु सर्वेक्षण नहीं किया जाना

एस.जे.एस.आर.वाई. योजना के दिशानिर्देश अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों के द्वारा वास्तविक हितग्राहियों के चिन्हांकन हेतु घर–घर जाकर सर्वेक्षण करना था। शहरी गरीबी रेखा के आर्थिक मापदंडों के अतिरिक्त, शहरी गरीबों के चिन्हांकन हेतु गैर–आर्थिक मापदंड जैसे रिहायशी इकाईयों की छत/फर्श, जल की सुविधा, सफाई की सुविधा, शैक्षणिक स्तर, रोजगार इत्यादि के प्रकार का भी उपयोग किया जाना था।

नगरीय स्थानीय निकायों ने हितग्राहियों के चिन्हांकन हेतु घर–घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया था

नमूना जाँच के जिलों में अभिलेखों की जाँच में प्रकट हुआ कि वर्ष 2010–15 के दौरान घर–घर जाकर वास्तविक हितग्राहियों के चिन्हांकन हेतु सर्वेक्षण नहीं किया गया तथा बीपीएल सूची (2007–08) के आधार पर चयन किया गया था। इस प्रकार, हितग्राहियों के चयन संबंधी योजना के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किये गये थे।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (दिसम्बर 2015) कि विद्यमान बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता दी गई क्योंकि इनकी संख्या अधिक (नगरीय स्थानीय इकाईयों में 5.83 लाख) थी।

इस प्रकार, केवल बीपीएल सूची के आधार पर हितग्राहियों का चयन करने से गैर–बीपीएल परिवारों के जरूरतमंद हितग्राहियों की समावेशन नहीं हुआ और इस कारण योजना के दिशानिर्देशों की अवहेलना है।

5.1.7.2 योजना तैयार नहीं करना

योजना के दिशानिर्देशों के कंडिका 8.5 में प्रावधान है कि राज्य में मलिन बस्तियों के समग्र विकास हेतु समुदाय स्तर पर लघु योजनाएं, जिला में मलिन बस्ती विकास योजना तथा समुदाय स्तरीय सुक्ष्म योजनाएं तथा सूडा स्तर पर शहरी गरीबी उपशमन कार्ययोजना (परिपेक्ष्य योजना) तैयार किया जाए।

शहरी गरीब उपशमन येाजना तथा मलिन बस्ती विकास योजनाएं क्रमशः सूडा तथा डूडाओं द्वारा नहीं बनाये गये थे

हमनें पाया कि 2010–15 के दौरान सूडा तथा नमूना जाँच के डूडाओं में समुदाय स्तर पर लघु योजनाएं, जिला में मलिन बस्ती विकास योजना तथा समुदाय स्तरीय सुक्ष्म योजनाएं तथा सूडा स्तर पर शहरी गरीबी उपशमन कार्ययोजना (परिपेक्ष्य योजना) तैयार नहीं की गई थी। भारत सरकार द्वारा दिए गए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार योजना क्रियान्वित की गई थी। लक्ष्यों के निर्धारण का आधार अभिलेखों में नहीं पाया गया।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (दिसम्बर 2015) कि राज्य को भारत सरकार ने लक्ष्य आवंटित किए थे तथा बीपीएल जनसंख्या के अनुसार सूडा द्वारा इन लक्ष्यों को विभक्त कर वितरित किया गया था। तथ्य यथावत है क्योंकि योजना नहीं बनाने के वास्तविक कारण को उत्तर उद्बोधित नहीं करता है।

अनुशंसा

हम अनुशंसा करते है कि योजना के उचित क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त योजना तथा हितग्राहियों के चिन्हांकन के लिए सर्वेक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5.1.8 घटकवार निष्पादन

हमने योजना के सभी पाँच घटकों के निष्पादन की समीक्षा की तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

5.1.8.1 शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम (यूसेप)

शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम (यूसेप) व्यक्तिगत शहरी गरीब हितग्राहियों को लाभप्रद रोजगार उद्यम (सूक्ष्म उद्यम), स्व–रोजगार के लिए समर्थन देने तथा उनकी स्वयं की सुक्ष्म रोजगार स्थापित करने के लिए सहायता देने पर केन्द्रित करता है। यूसेप के अधीन परियोजना का अधिकतम लागत ₹ दो लाख होगा। इसमें से 25 प्रतिशत अधिकतम ₹ 50,000 शासन की ओर से अनुदान अथवा छूट के रूप में होगा, पाँच प्रतिशत हितग्राही के अंशदान तथा शेष 70 प्रतिशत बैंक ऋण से मिलेगा। हमने निम्नलिखित कमियाँ देखी:

(i) हितग्राही समावेशन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होना

स्व–रोजगार के उद्देश्य के लिए, उद्यमों जैसे धुलाई पावडर, अगरबत्ती, चुड़ियां इत्यादि बनाने की स्थापना हेतु लोगों के समूह को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस घटक के अर्न्तगत, राज्य को भारत सरकार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रदाय करती है। इन लक्ष्यों को छत्तीसगढ़ शासन 20 प्रतिशत तक बढ़ा कर जिलों को प्रदाय करती है। जिलों हेतु लक्ष्यों के निर्धारण के लिए राज्य शासन द्वारा कोई भी मापदण्ड नियत नहीं किया गया था।

वर्ष 2010–15 के दौरान सूक्ष्म उद्यम हेतु राज्य शासन द्वारा नियत लक्ष्य 12,353 हितग्राहियों को ₹ 25.34 करोड़ का अनुदान देना था। इस लक्ष्य के विरूद्ध, कुल 29,351 आवेदन बैंकों को प्रस्तुत की गई थी जिसमें से केवल 10,938 हितग्राहियों (37 प्रतिशत) को ऋण स्वीकृत किए गए जो लक्ष्य का 89 प्रतिशत था (**परिशिष्ट 5.1.6**)।

चयनित जिलों में 5,297 हितग्राही को समावेश करके ₹ 12.63 करोड़ अनुदान देने के लक्ष्य के विपरीत केवल 4,456 (84 प्रतिशत) हितग्राही समावेशित की जा सकी तथा कुल ₹ 12.92 करोड़ का अनुदान विमुक्त किए गए (**परिशिष्ट 5.1.7**)। इसके आगे, दिशानिर्देश के अनुसार अपेक्षित 30 प्रतिशत महिलाओं की समावेशन के विपरीत, राज्य में केवल 19–27 प्रतिशत समावेशन प्रकट हुए तथा चयनित जिलों में यह 18–27 प्रतिशत था।

निर्गम बैठक में शासन ने तथ्यों को स्वीकार (दिसम्बर 2015) किया तथा उत्तर में बताया कि बैंक के असहयोग के कारण अनुदान भुगतान कम हुआ। इसके आगे, यह बताया गया कि जागरूकता की कमी, आदिवासी बाहुल्य जिलों तथा समाज में महिला उद्यमी की कमी के कारण महिलाओं की समावेशन अल्प था। तथ्य यथावत है क्योंकि शासन के उद्देश्यों के समर्थन में हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत कराने के लिए या तो बैंकों के साथ समन्वय करने या योजना के अंर्तगत एक उद्यमी के तरह पंजीयन हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शासन ने कोई भी रूपरेखा विनिर्दिष्ट नहीं की थी।

(ii) पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर हितग्राहियों का चयन

बैंकों ने सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण उन हितग्राहियों को दिए, जिनके पास पहले से स्वयं की व्यवसाय तथा ऋण पुनर्भुगतान की क्षमता थी

योजना के दिशानिर्देश (4.2.5) के अनुसार आर्थिक मापदंड तथा गैर–आर्थिक मानकों जैसे घर के छत/फर्श का प्रकार, सफाई की सुविधा, शिक्षा, रोजगार के प्रकार इत्यादि को गरीबों के मध्य से सबसे गरीब हितग्राहियों की चिन्हांकन हेतु विचार किए जाने थे। सूडा के निर्देशों (जुलाई 2010) के अनुसार, आवेदनों की जाँच तथा बैंक को प्रकरणों की अनुशंसा करने जिला स्तर पर सहायक परियोजना अधिकारी, समुदाय समन्वयक तथा बैंक के प्रतिनिधि को मिला कर एक कार्य बल समिति (टी.एफ.सी.) गठित किया जाना था।

चयनित जिलों के लेखापरीक्षा तथा 52 हितग्राहियों के साथ स्थल सर्वेक्षण के दौरान यह प्रकट हुआ कि हितग्राहियों का चयन पूर्णतः बैंकों की मर्जी पर था। आगे यह प्रकट

हुआ कि बैंकों ने उन हितग्राहियों को ऋण दिए जिनकी अपनी स्वयं की पहले से व्यवसाय था तथा ऋण पुनर्भुगतान करने की क्षमता थी।

सर्वेक्षण किये गए 52 प्रकरणों में, बैंकों ने केवल तीन नए हितग्राहियों को ऋण दिए, जबकि 49 प्रकरण विद्यमान व्यवसायों वाले उद्यमियों को ऋण स्वीकृति से संबंधित था। टी.एफ.सी. के अनुशंसाओं के बाद भी जहां बैंकों ने प्रतिनिधित्व किए थे, केवल 37 प्रतिशत हितग्राहियों को ऋण प्राप्त हुए। यह दर्शाता है कि हितग्राही के चयन से संबंधित टी.एफ.सी. की अनुशंसाओं पर बैंकों द्वारा कार्यवाही नहीं किए गए थे।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (दिसम्बर 2015) कि लघु उद्यमियों के साथ बैंक अपनी गत अनुभव के आधार पर कार्य कर रहे थे, केवल अनिष्पादित परिसंपत्तियों (एन.पी.ए.) में वृद्धि की जोखिम को टालने हेतु विद्यमान उद्यमियों को ऋण दिए गये थे।

अभिमत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना का लाभ केवल विद्यमान उद्यमियों को देने से वास्तविक जरूरतमंद हितग्राही योजना के लाभों से वंचित रह सकते हैं।

(iii) यूसेप के अन्तर्गत हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदाय नहीं कराना

दिशानिर्देशों के कंडिका 4.2.4 के अनुसार, जहां लघु उद्यम विकास हेतु चिन्हांकित क्रियाकलापों में कौशल प्रशिक्षण जैसे कि रेडियो/टीवी/रेफ्रीजरेटर/डीजल इंजन के मरम्मत इत्यादि के प्रशिक्षण आवश्यक है, वहां वित्तीय सहायता दिए जाने से पूर्व हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिलाया जाना है।

चयनित जिलों के अभिलेखों की जाँच में प्रकट हुआ कि 2010–15 के दौरान यूसेप के अर्न्तगत कुल 4,456 हितग्राहियों को कुल ₹ 12.92 करोड़ का अनुदान दिए गए थे। तथापि, इनमें से किसी भी हितग्राहियों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

सूडा ने प्रशिक्षण देने के लिए न तो कोई एजेंसी निर्धारित किए थे न ही प्रशिक्षण की अवधि, शुल्क की भुगतान इत्यादि से संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों को कोई दिशानिर्देश प्रदाय किए थे।

निर्गम बैठक में शासन ने तथ्यों को स्वीकार (दिसम्बर 2015) किया तथा बताया कि अधिकांश हितग्राहियों ने जैसे कि किराना दुकान, मसाला उद्योग इत्यादि लघु व्यवसाय के लिए आवेदन दिए थे, जिसमें कौशल प्रशिक्षण आवश्यक नहीं था।

तथ्य यथावत है क्योंकि सूडा ने इन प्रशिक्षणों के लिए मार्गदर्शन तथा निर्देश नहीं दिए थे।

(iv) नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सेवा/सुविधा केन्द्रों की स्थापना नहीं कराना

यूसेप दिशानिर्देशों (कंडिका 4.2.11) में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सेवा क्षेत्रों के लिए समुचित संचार तथा स्थान सुविधा के साथ सेवा/सुविधा केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रावधान है। इन केन्द्रों में कामगार स्वयं का पंजीकृत कराएंगे, जो पंजीकृत कुशल कामगारों को सक्रिय व्यवसायों तथा कार्यों/कार्यभारों हेतु ग्राहकों से मांग के आधार पर पूर्व निर्धारित दरों पर गृह दौरा करके सेवा देने हेतु केन्द्र बिन्दु के रूप में काम करेगा।

तथापि, चयनित जिलों में यह प्रकट हुआ कि नगरीय स्थानीय निकायों में कोई भी सेवा/सुविधा केन्द्र स्थापित नहीं किए गए थे। यह कुशल हितग्राहियों की सेवाओं को उपयोग करके उनकी आजीवका उन्नयन हेतु शासन के तरफ से पहल करने में हुई कमी को दर्शाता है।

निर्गम बैठक में शासन ने तथ्यों को स्वीकार (दिसम्बर 2015) किया तथा बताया कि उपयुक्त संचार सेवा तथा स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण सेवा/सुविधा केन्द्रों को

स्थापित नहीं किए गए थे। तथ्य यथावत है क्योंकि यह यूसेप के दिशानिर्देश, जिसमें इन केन्द्रों की स्थापना आवश्यक किया है, का एक अवहेलना था।

(v) हितग्राही सर्वेक्षण का परिणाम

लेखापरीक्षा के दौरान चयनित सात में से छः जिलों में इस घटक हेतु 52 हितग्राहियों से सर्वेक्षण की गई थी। सर्वेक्षण में प्रकट हुआ कि केवल छः प्रतिशत हितग्राहियों को जो किसी विद्यमान व्यापार या व्यवसाय में सम्मिलित नहीं थे को योजना के अंतर्गत समावेशित किए थे तथा सर्वेक्षण किए गए हितग्राहियों के 98 प्रतिशत को किसी भी तरह के प्रशिक्षण नहीं दिए गए थे।

5.1.8.2 शहरी महिला स्व–सहायता कार्यक्रम (यू.डब्ल्यु.एस.पी.)

यू.डब्ल्यु.एस.पी. के दो घटक है, एक यू.डब्ल्यु.एस.पी. (ऋण/अनुदान) जिसमें शहरी गरीब महिलाओं की स्व–सहायता समूहों को लाभप्रद स्व–रोजगार उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता दिया जाना है तथा दुसरा, अनुवर्ती निधि (आर.एफ.) जिसमें गरीब महिलाओं के द्वारा स्व–सहायता समूहों/थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी[6] (टी एंड सी एस) बनाया जाना है।

- **यू.डब्ल्यु.एस.पी. (ऋण/अनुदान)**

योजना शहरी गरीब महिलाओं को, जो समूह में (कम से कम पाँच शहरी गरीब महिला) स्व–रोजगार उद्यम स्थापित करते है, को विशिष्ट प्रोत्साहन देता है। यू.डब्ल्यु.एस.पी. समूह ₹ तीन लाख या परियोजना लागत का 35 प्रतिशत या ₹ 60,000 समूह के प्रति सदस्य के आधार पर, इनमें से जो भी न्युनतम हो, उस राशि की अनुदान के लिए पात्रता होगी। शेष राशि बैंक ऋण तथा मार्जिन मनी (परियोजना लागत का पाँच प्रतिशत हितग्राही अंशदान) के रूप में गतिशील किया जायेगा।

महिलाओं के 6,096 स्व–सहायता समूहों के लक्ष्य के विपरीत, केवल 973 को स्व–रोजगार उद्यम स्थापना हेतु अनुदान दिए गए थे

वर्ष 2010–15 के दौरान यू.डब्ल्यु.एस.पी. (ऋण/अनुदान) के अन्तर्गत, शहरी गरीब महिलाओं की 6,096 स्व–सहायता समूहों को कुल ₹ 15.93 करोड़ की अनुदान दिए जाने थे। इसके विपरीत, डूडाओं के द्वारा बैंकों को 1,696 प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे तथा इसमें से केवल 973 स्व–सहायता समूहों (6,096 लक्ष्य के 16 प्रतिशत) को कुल ₹ 6.31 करोड़ **(परिशिष्ट 5.1.8)** अनुदान दिए गए थे। नमूना जाँच के जिलों में 2,688 में से 617 स्व–सहायता समूहों (23 प्रतिशत) को मूल्यांकित ₹ 4.38 करोड़ **(परिशिष्ट 5.1.9)** अनुदान दिए गए थे।

निर्गम बैठक में शासन ने तथ्यों को स्वीकार (दिसम्बर 2015) किया तथा बताया कि बैंकरों को समूह ऋणों को स्वीकृत करने की अनुभव नहीं है। तथ्य यथावत है क्योंकि योजना के उद्देश्यों को समर्थन देने हेतु शासन ने बैंकों के साथ समन्वय करके एस.जे.एस.आर.वाई. हितग्राहियों के समूह ऋणों को स्वीकृत करने के लिए कोई भी कार्यवृत विनिर्दिष्ट नहीं किए थे।

- **यू.डब्ल्यु.एस.पी. के अन्तर्गत आवर्ती निधि**

उपघटक के अन्तर्गत स्व–सहायता समूह को इसकी गठन के केवल एक वर्ष उपरान्त ₹ 2,000 अधिकतम प्रति सदस्य की दर से ₹ 25,000 की एक मुश्त अनुदान आवर्ती निधि के रूप में पाने की पात्रता होगी। निधि का आशय स्व–सहायता समूह के लिए कच्चे सामग्रियों के क्रय, विपणन, संरचना सहायता तथा अन्य समूह गतिविधियों हेतु है।

7,530 स्व–सहायता समूहों को समावेशित करने के लक्ष्य (वर्ष 2010–15) के विपरीत, केवल 2,479 स्व–सहायता समूहों (33 प्रतिशत) को समावेशित **(परिशिष्ट 5.1.8)** किए

[6] टी एंड सी एस अन्य उद्यम के साथ–साथ गतिशील, बचत एवं जमा इत्यादि गतिविधियों में नियोजित महिलायों का समुह है

गये थे। चयनित जिलों में 3,486 स्व–सहायता समूहों को समावेशित करने के लक्ष्य के विपरीत, 969 स्व–सहायता समूहों (28 प्रतिशत) को समावेशित **(परिशिष्ट 5.1.9)** किए गए थे।

जांच में पुनः प्रकट हुआ कि वर्ष 2006–14 के दौरान, चयनित सात में से चार जिलों में 837[7] स्व–सहायता समूहों को गठित किए गए परन्तु एक वर्ष उपरान्त भी आवर्ती निधि कुल ₹ 2.09 करोड़[8] नहीं दिए गए, जिसका प्रतिकुल प्रभाव योजना में प्रावधानित गतिविधियों पर पड़ा।

हमने डूडा, कोरबा में देखा कि 4,700 सदस्यों के साथ 347 स्व–सहायता समूह गठित किए गए थे। जबकि इन सदस्यों ने खाता खोलने हेतु स्वयं की कुल धन राशि ₹ 0.45 करोड़ बैंक में जमा कराए थे तथा आंतरिक वित्तीय गतिविधियाँ प्रारंभ किए थे, इनके गठन के एक वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त भी डूडा द्वारा इनको आवर्ती निधि नहीं दी गई थी।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (दिसम्बर 2015) कि मात्र स्व–सहायता समूहों का गठन तथा बैंक खाता का खोलना समूहों को आवर्ती निधि हेतु पात्र नहीं बनाती थी। तथापि, शासन ने आवर्ती निधि की मापदंड पूरा करने के बाद भी स्व–सहायता समूहों को आवर्ती निधि नहीं देने के कोई भी कारण नहीं दिए।

5.1.8.3 शहरी गरीबों के मध्य रोजगार वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण (स्टेप–अप)

एस.जे.एस.आर.वाई. में स्टेप–अप घटक का प्रावधान है जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों को विभिन्न प्रकार की सेवाओं, व्यापार और उत्पादन गतिविधियों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। जिससे वे स्व–रोजगार उद्यम लगा सके या बेहतर पारिश्रमिक सहित वेतनभोगी रोजगार पा सकें। कौशल प्रशिक्षण हेतु संस्थानों जैसे आई.टी.आई./पॉलिटेक्निकों एवं अन्य उपयुक्त संस्थानों जिन्हे शासन, निजी या ऐच्छिक संगठन द्वारा चलाया जा रहा है का उपयोग उनकी ब्रांड की साख एवं दिये जा रहे शिक्षणों की गुणवत्ता सत्यापन की शर्त के साथ किया जा सकता है।

अवधि 2010–15 के दौरान राज्य में ₹ 27.54 करोड़ का व्यय करके 74,790 हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण दिये जाने के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 48,966 (65 प्रतिशत) हितग्राहियों को विभिन्न व्यवसायों में ₹ 14.36 करोड़ **(परिशिष्ट 5.1.10)** का व्यय करके प्रशिक्षित किया। चयनित जिलों मे समावेशन श्रेष्ठतर था और यह 26,623 हितग्राहियों के **(परिशिष्ट 5.1.11)** लक्ष्य के विरूद्ध 24,135 (91 प्रतिशत) रहा था।

इसके आगे, यह भी देखा गया कि 2012–13 तक कौशल विकास प्रशिक्षण सिर्फ शासकीय एजेन्सियों के माध्यम से प्रदाय किया गया एवं 2012–13 के बाद ही निजी एजेन्सियों को सम्मिलित किया गया। स्टेप–अप घटक के अंर्तगत लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होने का मुख्य कारण व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं की कमी एंव निजी एजेन्सियों को विलम्ब से नियोजित किया जाना था।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (दिसंबर 2015) कि स्पष्ट प्रावधानों की कमी के कारण 2012–13 से पूर्व केवल शासकीय एजेन्सियों को वी.टी.पी के तौर पर नियोजित किया गया था। दिशानिर्देशों में निजी एवं स्वैच्छिक संगठनों को नियोजित करने के प्रावधान पूर्व से होने के कारण उत्तर मान्य नहीं था।

- **प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त रोजगार नियोजन का अभाव**

छत्तीसगढ़ शासन ने वी.टी.पी. के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन को अनुमोदित (मई 2012) किया जिसमें वी.टी.पी. को प्रशिक्षण लागत के 85 प्रतिशत

---

[7] मुंगेली 58, कोरबा 347, बस्तर 187 तथा रायगढ़ 245

[8] 837 x ₹ 25,000

राशि प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों में तथा शेष 15 प्रतिशत नियुक्ति के उपरान्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विमुक्त किया जाना था।

स्टेप–अप घटक के अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों में ₹ 6.94 करोड़ का व्यय 24,135 हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदाय करने के लिए किया गया परंतु नियोजन प्रदाय नहीं किया जा सका

जाँच में देखा गया कि चयनित जिलों में 2010–15 की अवधि में 24,135 हितग्राहियों को वी.टी.पी. के माध्यम से प्रशिक्षण ₹ 6.94 करोड़ का व्यय करके दिया गया। हालांकि हितग्राहियों को न तो कोई रोजगार प्रदाय किया गया न ही सूक्ष्म उद्यमिता के लिए कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी। इस तरह प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार नहीं मिल पाने के कारण प्रशिक्षण पर उत्पन्न व्यय ₹ 6.12 करोड़ फलीभूत नहीं हो पाया था। डूडा/सूडा ने वी.टी.पी. के द्वारा कराये गये रोजगार नियोजन से संबंधित अभिलेख संधारित नहीं किया था।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (दिसंबर 2015) कि राज्य आदिवासी बाहुल्य होने एवं लगभग 10 जिले वामपंथी उग्रवाद (एल.डब्ल्यू.ई.) से प्रभावित होने के कारण हितग्राही समीपवर्ती जिलों में भी नौकरी के लिए पलायन करने के इच्छुक नहीं थे।

तथ्य यह है कि आदिवासी बहुल्यता और वामपंथी उग्रवाद की बाधाएं सरकार को भलीभांति ज्ञात था एवं रोजगार नियोजन इन बाधाओं के विरूद्ध उपलब्ध कराया जाना था। यद्यपि, शासन ने प्रशिक्षित लोगों को रोजगार दिलाने के लिए वी.टी.पी. से समन्वय स्थापित नहीं किया था।

- **उच्च दरों पर भुगतान के कारण ₹ 0.26 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान**

छत्तीसगढ़ शासन ने वी.टी.पी. के माध्यम से कौशल उन्नयन के लिए दर ₹ 15 प्रति हितग्राही प्रति घंटा अनुमोदित (मई 2012) किया था जिसे भारत सरकार ने अनुलग्नक–1 और 2 में सूचीबद्ध सभी व्यवसायों के लिए क्रमशः ₹ 25 प्रति घंटा एवं ₹ 20 प्रति घंटा प्रति प्रशिक्षु संशोधित (सितंबर 2013) कर दिया था। तदुपरांत, छत्तीसगढ़ शासन ने भी दरों को भारत सरकार के दरों के बराबर संशोधित (नवंबर 2014) किया था।

हमने देखा कि डूडा, कोरिया ने (जुलाई 2014) दो वी.टी.पी. को 750 हितग्राहियों के कौशल उन्नयन हेतु ₹ 0.75 करोड़[9] के लागत पर कार्यादेश जारी किए। वी.टी.पी. ने प्रशिक्षण प्रदाय किया और डूडा ने कुल मूल्य का 85 प्रतिशत राशि (₹ 63.75 लाख) भुगतान कर दी। चूंकि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दरों के संशोधन (नवंबर 2014) से पूर्व में कार्यादेश (जुलाई 2014) जारी किये गये थे, इसलिए भुगतान योग्य दरें ₹ 15 प्रति घंटा प्रति प्रशिक्षु था।

हालांकि, डूडा कोरिया ने दरों को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित करते हुए अंगीकृत किया था, फलस्वरूप ₹ 0.26 करोड़[10] का अतिरिक्त भुगतान हुआ। प्रसंगवश, नूमना जाँच के बाकी जिलों में संशोधन से पहले के दरों पर भुगतान किया गया था।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (दिसंबर 2015) कि वी.टी.पी. को किये गये अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जाएगी।

5.1.8.4 शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू.डब्ल्यू.ई.पी.)

यू.डब्ल्यू.ई.पी. के अंतर्गत सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण जैसे सामुदायिक केन्द्रों, सड़कों इत्यादि के लिए हितग्राहियों को श्रम रोजगार दिया जाना था। दिशानिर्देश में प्रावधान है कि सामग्री एवं श्रम का अनुपात 60:40 होना चाहिए।

चयनित जिलों में अवधि 2010–15 के दौरान हमने देखा कि सामग्री लागत सहित ₹ 4.99 करोड़ व्यय करके 3.29 लाख मानवदिवस का श्रम रोजगार सृजित किये जाने

---

[9] 750 प्रशिक्षुओं x 400 घंटा x ₹ 25

[10] भुगतान की गई राशि ₹ 0.64 करोड़ (750 x 400 x ₹ 25 का 85 प्रतिशत) – भुगतान योग्य राशि ₹ 0.38 करोड़ (750 x 400 x ₹ 15 का 85 प्रतिशत)

थे। इसके विरूद्ध ₹ 3.06 करोड़ **(परिशिष्ट 5.1.12)** व्यय कर के मात्र 0.37 लाख मानव दिवस (11 प्रतिशत) के श्रम रोजगार वास्तव में सृजित किये गये थे।

चयनित जिलों ने सामग्री एवं श्रम घटकों पर व्यय का विवरण अलग से नही रखा है और इसलिए अनुपात को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। हालांकि, अवधि 2010–15 में अनुमानित मूल्य में से 61 प्रतिशत का व्यय करने के उपरांत भी मात्र 11 प्रतिशत मानव दिवस ही सृजित किए गये थे, इस बात की पूरी संभावना थी कि व्यय का बड़ा हिस्सा निर्धारित अनुपात सुनिश्चित किये बिना सामग्री पर किया गया। इस तरह, श्रम रोजगार सृजित करने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई थी।

हमने देखा कि चयनित जिलों में यू.डब्ल्यू.ई.पी. के अंतर्गत हितग्राहियों के समावेशन के प्रतिशत में व्यापक भिन्नताएं थी। वर्ष 2010–15 की अवधि में देखा गया कि दुर्ग, मुंगेली एवं बस्तर में निरंक समावेशन पंजीकृत था जबकि कोरबा (0–17 प्रतिशत), रायगढ़ (0–99 प्रतिशत), सरगुजा (0–छः प्रतिशत), और कोरिया (0–59 प्रतिशत) में निम्न से मध्यम समावेशन देखा गया।

निर्गम बैठक में शासन ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (दिसंबर 2015) कि सामग्री घटकों की मूल्यों में वृद्धि के कारण निर्धारित अनुपात को बनाये रखना कठिन था। तथ्य यथावत है कि योजना में दिये गये निर्धारित अनुपात का पालन नहीं किया गया था।

5.1.8.5 शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क (यू.सी.डी.एन.)

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार एस.जी.एस.आर.वाई. सामुदायिक विकास और सशक्तिकरण की नींव पर आधारित होगा। इसके आगे, यह निर्भर करता है सामुदायिक संगठनों और संरचनाओं के गठन में जिनसे शहरी निर्धनता का उन्मूलन होता है। इस परिपेक्ष्य में, पड़ोस समितियों (एन.एच.सी.) और सामुदायिक विकास समितियों (सी.डी.एस.) जैसे सामुदायिक संगठनों की लक्षित क्षेत्र में स्थापना की जायेगी।

अवधि 2010–15 में राज्य ने यू.सी.डी.एन. घटक पर राशि ₹ 5.67 करोड़ के उपयोग के लक्ष्य के विरूद्ध ₹ 6 करोड़ (106 प्रतिशत) व्यय किया जैसा कि **परिशिष्ट 5.1.13** में दर्शाया गया है। चयनित जिलों में सामुदायिक समन्वयकों की नियुक्ति एवं उनकी गतिविधियों पर ₹ 2.36 करोड़ में से ₹ 1.81 करोड़ (77 प्रतिशत) का व्यय हुआ **(परिशिष्ट 5.1.14)**। व्यवस्था में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गयी:

- **निर्धन समुदाय और कार्यान्वयन एजेन्सियों के बीच अपर्याप्त संयोजन**

दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 8.3 सामुदायिक स्तर पर 2000 चिन्हित परिवारों पर एक सामुदायिक समन्वयक (सी.ओ.) को नियोजित किये जाने का प्रावधान करती है। शहरी गरीब समुदाय और कार्यान्वयन तंत्र के मध्य सामुदायिक समन्वयक मुख्य कड़ी होगी।

यू.सी.डी.एन. अंतर्गत 292 सी.ओ. के विरूद्ध 114 सी.ओ. को नियोजित किया गया। इसलिए गरीब समुदाय और कार्यान्वयन एजेन्सियों के मध्य पर्याप्त तालमेल सुनिश्चित नही किया जा सका

वर्ष 2007–08 में राज्य द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य में शहरी बीपीएल परिवारों की संख्या 5.83 लाख थी। बीपीएल परिवारों के उपलब्ध आंकडों को ध्यान में रखते हुए शहरी गरीब समुदाय और कार्यान्वयन तंत्र में संयोजन बैठाने हेतु 292 सी.ओ. की आवश्यकता थी। यद्यपि, डूडाओं द्वारा मार्च 2015 तक मात्र 114 सी.ओ. (39 प्रतिशत) को ही नियोजित किये गये थे। पिछली कंडिकाओं में बताये अनुसार सी.ओ. के अपर्याप्त संख्या ने योजना की उपलब्धि को प्रभावित किया।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (दिसंबर 2015) कि डूडाओं को सी.ओ. के रिक्त पद की तत्काल पूर्ति करने के लिए दिशानिर्देश दिये गये हैं।

5.1.8.6 प्रशासन एवं कार्यालय स्थापना (ए. एण्ड ओ.ई.)

दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 9.1 के अनुसार एस.जे.एस.आर.वाई. के राज्यांश के पाँच प्रतिशत के बराबर राशि का उपयोग प्रशासनिक घटक पर करना होगा। योजना हेतु

भारत सरकार के आवंटन आदेशों में दर्शाया गया है कि प्रशासनिक एवं कार्यालय स्थापना व्यय की गणना के लिए कुल उपलब्ध राशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश दोनों) को ध्यान मे रखा जायेगा।

जाँच मे देखा गया कि अवधि 2010–15 के दौरान कुल आंवटन (केन्द्रांश एवं राज्यांश) ₹ 86.17 करोड़ थी और प्रशासन एवं कार्यालय स्थापना मद पर स्वीकार्य राशि ₹ 4.31 करोड़ थी। तथापि, सूडा ने कुल ₹ 4.66 करोड़ प्रशासन एवं कार्यालय स्थापना पर उपयोग किया था जो कि भारत सरकार के आदेश में दी गयी अनुमेय सीमा से ₹ 35 लाख अधिक थी।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (दिसंबर 2015) कि भारत सरकार के आवंटन आदेशों और योजना के दिशानिर्देशों में विरोधाभासी प्रावधान था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अनुमेय सीमा से अधिक व्यय किया गया था।

5.1.8.7 सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.)

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, कुल आवंटन का तीन प्रतिशत अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, मलिन बस्ती/बीपीएल/आजिविका सर्वेक्षण सहित सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों पर उपयोग करना था।

अवधि 2010–15 में सूडा को कुल ₹ 86.17 करोड़ (केन्द्रांश ₹ 64.52 करोड़, राज्यांश ₹ 21.65 करोड़) की निधियाँ प्राप्त हुई थी। सूचना, शिक्षा एवं संचार घटक के लिए ₹ 2.59 करोड़ (तीन प्रतिशत) आवंटित किए जाने थे। नमूना जाँच किए गए जिलों में हमने पाया कि न तो जिलों को निधि दी गयी थी, न ही राज्य द्वारा सबसे निचले स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई भी सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का आयोजन किया गया था। इस तरह सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के अभाव के कारण योजना के सुचारू क्रियान्वयन प्रभावित हुई थी।

निर्गम बैठक में शासन ने तथ्यों को स्वीकार (दिसम्बर 2015) किया तथा उत्तर दिया कि सूचना, शिक्षा एवं संचार घटक का प्रबंधन केन्द्रीयकृत रूप से सूडा स्तर पर किया गया था। तथापि, शासन ने नमूना जाँच के जिलों को निधियाँ नहीं देने हेतु कोई कारण नहीं बताया था।

अनुशंसा

हम अनुशंसा करते हैं कि योजना की परिधि में अधिकतम हितग्राहियों को लाने के लिए बैंकों के साथ समन्वय द्वारा योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास करना चाहिए तथा प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के लाभों का विस्तारीकरण रोजगार के अवसरों के लिए करना चाहिए।

5.1.9 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

5.1.9.1 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र का अभाव

एस.जी.एस.आर.वाई. दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 13 दर्शाता है कि राज्य उचित अनुश्रवण तंत्र की स्थापना एवं ऑनलाईन अनुश्रवण व्यवस्था स्थापित करेगा तथा प्रगति प्रतिवेदन एवं अन्य वांछित जानकारियाँ भारत सरकार को ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा।

योजना के अंतर्गत ऑनलाइन प्रतिवेदन एवं अनुश्रवण व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकी

जाँच में पाया गया कि अवधि 2010–15 में राज्य ऑनलाईन अनुश्रवण व्यवस्था स्थापित नहीं कर सका क्योंकि डूडाओं और सूडा ने अपने भौतिक एवं वित्तीय प्रगतियाँ सूडा और भारत सरकार को हस्तनिर्मित रूप में प्रस्तुत किया था। यह भी देखा गया कि डूडाओं द्वारा प्राप्त हुए भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन को सूडा द्वारा न तो संकलन किया गया न ही आंकड़ों की विशुद्धता को सत्यापित किया गया था। इसके परिणामतः, सूडा और डूडा के आंकड़ों में विसंगतियाँ थी।

इसके आगे, यह भी देखा गया कि राज्य शासन द्वारा एस.जी.एस.आर.वाई. की उपलब्धियों का मूल्यांकन नहीं किया गया हालांकि इसे एन.यू.एल.एम. द्वारा सितम्बर 2013 से बदल दिया गया था।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (दिसम्बर 2015) कि भारत सरकार ने कोई ऑनलाईन पोर्टल विकसित नहीं किया और विशेषज्ञ अमला के अभाव में आंकड़ों का उपयुक्त संकलन, प्रतिवेदन एवं आगे की कार्यवाही नहीं की गयी थी।

तथ्य यथावत है कि ऑनलाइन अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी थी।

अनुशंसा

हम योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्रियान्वयन प्रणाली को मुख्यधारा में लाने हेतु अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली के सुदृढ़िकरण की अनुशंसा करते हैं।

5.1.10 निष्कर्ष एवं अनुशंसा

- सूडा के पास 2010–15 के अवधि में कुल उपलब्ध निधियाँ ₹ 99.53 करोड़ थी जिसमें से ₹ 90.84 करोड़ को अंतिम व्यय के रूप में दर्शाया गया था। यद्यपि, निधियों की 44 प्रतिशत राशि ₹ 37.79 करोड़ का उपयोग नहीं किया तथा यह वास्तव में सूडा और डूडाओं के बैंक खातों में रखी गई थी। इसके अलावा केन्द्रांश एवं राज्यांश के प्राप्ति में 36 से 364 दिवसों का विलंब था। एस.जे.एस.आर.वाई. निधियाँ में से राशि ₹ 3.63 करोड़ दूसरी योजनाओं में व्यपवर्तन भी देखा गया।

शासन योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निधियों का प्रभावी उपयोग तथा व्यपवर्तन को रोकना सुनिश्चित करना चाहिए।

- हितग्राहियों को चिन्हित करने के लिए घर–घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था। शहरी गरीबी उन्मूलन कार्ययोजना एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम नहीं बनाये गये थे। योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति 11 से 89 प्रतिशत था।

बचे हुए हितग्राहियों को चिन्हित करके उन्हें योजना की परिधि में लाने के लिए पर्याप्त सर्वेक्षण एवं योजनाएं बनाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- यूसेप घटक के अंतर्गत बैंको के द्वारा उन हितग्राहियों को ऋण प्रदाय किया गया, जिनकी ऋण भुगतान की क्षमता थी। यू.डब्ल्यू.एस.पी. (ऋण/अनुदान) घटक के अंतर्गत 6096 लक्ष्य के विरूद्ध केवल 973 (16 प्रतिशत) स्व–सहायता समुहों को समावेश किये गये थे। इसके अतिरिक्त स्टेप–अप घटक के अंतर्गत यद्यपि हितग्राहियों को प्रशिक्षित किया गया, परंतु उनको न तो रोजगार नियोजन न ही वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी थी। इस तरह योजना के घटकों की मूल उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई थी।

शासन के द्वारा योजना के समस्त घटकों का उचित क्रियान्वयन और इसके सभी साझेदारों जैसे बैंक, वी.टी.पी. इत्यादि के साथ समन्वय हेतु उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना चाहिए।

- राज्य द्वारा सबसे निचले स्तर पर शहरी गरीबों के मध्य जागरूकता लाने के लिए न तो सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का आयोजन न ही प्रभावी अनुश्रवण तंत्र की स्थापना कर सका था।

योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियाँ, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र का सुदृढ़िकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

अध्याय – छः
अनुपालन लेखापरीक्षा

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

6.1 नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं किया जाना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुरूप हो। यह न केवल अनियमितताओं, दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी से बचाता है, बल्कि अच्छे वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में मदद भी करता है। नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं किये जाने के लेखापरीक्षा में पाये गये कुछ मामले नीचे दिये गये हैं।

6.1.1 विशिष्टियों से कम मानक के कार्य का क्रियान्वयन

रायपुर नगरपालिक निगम के मेयर–इन–कॉंसिल द्वारा प्राक्कलन तैयार करने के लिए न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड का पालन न करने की स्थिति में नाला निर्माण पर लागत ₹ 50.70 लाख के कार्य विशिष्टियों से कम मानक का क्रियान्वयन किया जाना

रायपुर नगरपालिक निगम (आर.एम.सी.) के जोन–5 अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के वार्ड क्रमांक 69 में केन्द्रीय विद्यालय से विनायक विहार कॉलोनी होते हुए रिंग रोड तक नाला निर्माण के लिए मेयर–इन–कॉंसिल, आर.एम.सी. द्वारा प्रेषित (जुलाई 2011) राशि ₹ 190.61 लाख के प्राक्कलन के आधार पर जिला कलेक्टर, रायपुर द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन किया गया था। निविदा (अगस्त 2011) पश्चात् न्यूनतम निविदाकर्त्ता मेसर्स संतोष उइके को प्राक्कलित राशि से 12.96 प्रतिशत कम दर राशि ₹ 165.91 लाख का कार्य प्रदान (नवम्बर 2011) किया गया था।

इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456 (आई.एस. कोड 456) के अनुसार रिइंफोर्सड सीमेंट कंक्रीट (आर.सी.सी) कार्य के लिए न्यूनतम ग्रेड कंक्रीट M-20 (1 भाग सीमेंटः 1.5 भाग कोर्स सैंडः 3 भाग 20 एम.एम. नोमिनल साइज के ग्रेडेड स्टोन) से कम नहीं होना चाहिए। इसके विरूद्ध आर.सी.सी. कार्य के क्रियान्वयन के लिए M-15 विशिष्टि (1 भाग सीमेंटः 2 भाग कोर्स सैंडः 4 भाग 20 एम.एम. नोमिनल साइज के ग्रेडेड स्टोन) से प्राक्कलन अनुमोदित कराये गये थे। आई.एस. कोड 456, जिसमें न्यूनतम विशिष्टि M-20 निर्धारित था, का उल्लंघन करते हुए आर.सी.सी. कार्य का क्रियान्वयन M-15 विशिष्टि से करवाया गया था। यह दर्शाता है कि अनुमोदित प्राक्कलन में कमी थी क्योंकि यह न्यूनतम निर्धारित मापदंड की पुष्टि नहीं करता था।

आर.एम.सी. के अभिलेखों से हमने पाया कि नाले के दीवार एवं तल (बेस) निर्माण के लिए 2001.289 घनमीटर में लागत राशि ₹ 50.70 लाख[1] का आर.सी.सी. कार्य का क्रियान्वयन किया गया था। ठेकेदार ने कार्य पूर्ण किया एवं राशि ₹ 164.93 लाख प्राप्त (फरवरी 2014) किया। अतः लागत राशि ₹ 50.70 लाख का आर.सी.सी. कार्य न्यूनतम निर्धारित कोडल विशिष्टि से कम था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अप्रैल 2015) कि कार्य का क्रियान्वयन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के अनुसार करवाया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लोक निमार्ण विभाग (सड़क) के दर अनुसूची में एक मीटर गुणा एक मीटर साइज के आर.सी.सी. खुला नाला निर्माण के लिए आर.सी.सी. M-20

[1] M-15 का क्रियान्वित मात्रा = 2001.289 घनमीटर @ ₹ 2910.90 प्रति घनमीटर (–) 12.96%

कार्य के प्रावधान होने के बावजूद आई.एस. कोड 456 के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया गया था। जिससे विशिष्टियों से कम मानक के कार्य का क्रियान्वयन हुआ।

6.1.2 अनियमित व्यय

तकनीकी स्वीकृति एवं अतिक्रमण रहित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना मॉडल नाला निर्माण पर राशि ₹ 28.32 लाख का अनियमित व्यय

नगरपालिक परिषद, बलौदा बाजार में मॉडल नाला के निर्माण हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (यू.ए.डी.डी.), छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राशि ₹ 55.40 लाख की स्वीकृति (फरवरी 2007) प्रदान की गयी थी। नगरपालिक परिषद द्वारा तकनीकी स्वीकृति (टी.एस.) एवं प्रशासकीय स्वीकृति (ए.ए.) प्राप्त किये जाने के शर्त पर राशि स्वीकृत की गयी थी।

मुख्य नगरपालिक अधिकारी (सी.एम.ओ.), बलौदा बाजार द्वारा कार्य को दो माह (वर्षा ऋतु सहित) में पूर्ण करने हेतु एक ठेकेदार के साथ ₹ 56.35 लाख का अनुबंध निष्पादित (जुलाई 2007) किया गया था। यद्यपि, परिषद के सामान्य सभा द्वारा मॉडल नाला के निर्माण के लिए अतिक्रमण रहित भूमि के अनुपलब्धता के कारण निर्माण स्थल के परिवर्तन का संकल्प (नवम्बर 2007) पारित किया गया था। ठेकेदार ने फरवरी 2008 में नये निर्माण स्थल पर कार्य प्रारंभ किया। हालांकि सी.एम.ओ. द्वारा पूर्व विवादित स्थल के कार्य का प्राक्कलन कार्यपालन अभियंता, रायपुर नगरपालिक निगम से टी.एस. प्राप्त करने हेतु प्रेषित (फरवरी 2008) किया गया, जो कि राशि ₹ 45.80 लाख का मार्च 2008 में प्रदान किया गया था। अतः नये स्थल पर मॉडल नाला के निर्माण के लिए टी.एस. प्राप्त नहीं किया गया था।

हमने पाया कि ठेकेदार को नये स्थल पर कार्य निष्पादन के लिए तृतीय चल देयक तक राशि ₹ 28.32 लाख[2] का भुगतान (अगस्त 2008) किया गया था। उसके बाद ठेकेदार ने निर्माण स्थल पर कार्य के ले–आउट की अनुपलब्धता के आधार पर कार्य रोक दिया गया। लेखापरीक्षा के साथ नगरपालिक परिषद, बलौदा बाजार के अधिकारियों द्वारा स्थल के संयुक्त भौतिक सत्यापन (अगस्त 2013) के दौरान भी इसकी पुष्टि की गयी थी।

अतः, यू.ए.डी.डी. द्वारा निर्धारित शर्त का उल्लंघन करते हुए टी.एस. प्राप्त किये बिना मॉडल नाला के निर्माण पर राशि ₹ 28.32 लाख का व्यय किया जाना अनियमित था।

इंगित किये जाने पर सी.एम.ओ. ने बताया (जुलाई 2015) कि कार्य पूर्व स्थल के टी.एस. के आधार पर प्रारंम्भ किया गया था, क्योंकि कार्य के स्वरूप एवं विशिष्टियों में कोई अंतर नहीं था। जनता की माँग के कारण प्रेसिडेंट–इन–काँसिल से स्वीकृति (नवम्बर 2006) पश्चात् कार्य प्रारम्भ करवाया गया था। वर्तमान में स्थल के अनुपलब्धता के कारण कार्य को पूर्ण समझा जाये।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यू.ए.डी.डी. ने टी.एस. एवं अतिक्रमण रहित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्य प्रारम्भ किया था, जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 28.32 लाख का व्यय स्वीकृति समर्थित न होने से अनियमित रहने के अलावा उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा।

[2] प्रथम चल देयक – ₹ 5.50 लाख (मार्च 2008), द्वितीय चल देयक – ₹ 17.75 लाख (जून 2008), तृतीय चल देयक – ₹ 5.07 लाख (अगस्त 2008)

6.1.3 कार्यों का अनियमित विखंडन

आयुक्त, रायपुर नगरपालिक निगम द्वारा लागत ₹ 8.72 करोड़ के पाँच निर्माण कार्यों को सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति से बचने के लिए 57 कार्यों प्रत्येक ₹ 20 लाख से कम में अनियमित विखंडन किया जाना

राज्य शासन के अधिसूचना (जून 2011) के अनुसार तीन लाख से ज्यादा आबादी वाले नगरपालिक निगम के लिए राशि ₹ 50 लाख तक के कार्य के स्वीकृति की शक्तियाँ आयुक्त, नगरपालिक निगम, राशि ₹ 50 लाख से राशि ₹ 1.50 करोड़ तक मेयर–इन–कॉंसिल (एम.आई.सी.), राशि ₹ 1.50 करोड़ से राशि ₹ 5 करोड़ तक नगरपालिक निगम (एम.सी.) एवं राशि ₹ 5 करोड़ से अधिक के कार्य के लिए राज्य शासन का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है। यह भी उल्लेखित था कि कार्य का विखंडन नहीं किया जाएगा एवं यदि जहाँ कार्य का विखंडन किया जाना अनिवार्य है, तो प्रशासनिक अनुमोदन की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी विखंडन की स्वीकृति के लिए सक्षम होगा। आगे, आयुक्त आर.एम.सी. के आदेशानुसार (फरवरी 2012), जोन आयुक्त को राशि ₹ 20 लाख तक के कार्य की स्वीकृति के लिए समर्थ किया गया। इसके ऊपर के व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव आयुक्त को प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि इसके व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति आयुक्त के पास होती है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (यू.ए.डी.डी.) द्वारा जोन–5, रायपुर नगरपालिक निगम अंतर्गत पंडित दीन दयाल उपाध्याय हॉउसिंग बोर्ड (पी.डी.डी.यू.एच.बी.) कॉलोनी के विकास के लिए 11 कार्यों के निर्माण लागत ₹ 10.42 करोड़ की स्वीकृति (मई 2014) दिया गया। इसमें पाईपलाईन बिछाने, सीवरेज एवं चैंबर्स, सड़क कार्य, सीमेंट कंक्रीट सड़क इत्यादि का कार्य शामिल था।

आर.एम.सी. के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2015) से विदित हुआ कि शासन के अधिसूचना (जून 2011) का उल्लंघन करते हुए आयुक्त, आर.एम.सी. द्वारा 11 कार्यों में से राशि ₹ 8.72 करोड़ के पाँच कार्यों, प्रत्येक की लागत ₹ 50 लाख से अधिक (₹ 68 लाख और ₹ 2.57 करोड़ के मध्य), को बिना कोई कारण दर्ज किये 57 कार्यों प्रत्येक की लागत राशि ₹ 20 लाख से कम में विखंडित किये गये थे। ये कार्य समान स्वरूप जैसे पाईपलाईन बिछाने, नाली एवं मरम्मत कार्य के थे और एक ही वार्ड में कार्यान्वित किये जाने थे। सक्षम प्राधिकार जैसे एम.आई.सी./एम.सी. से स्वीकृति प्राप्त नहीं कराये जाने के परिणामस्वरूप अनियमित विखंडन किया गया था और कार्यों का टी.एस. कार्यपालन अभियंता, जो कि अन्यथा इस स्वीकृति के लिए सक्षम नहीं थे, द्वारा अनियमित रूप से दिया गया था।

अतः सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षित स्वीकृति से बचने के लिए लागत ₹ 8.72 करोड़ **(परिशिष्ट 6.1)** के कुल कार्यों को विखंडित किया जाना अनियमित था।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2015) कि कॉलोनी में पीलिया फैलने एवं जल दूषित होने के कारण आयुक्त, आर.एम.सी. से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कार्यों को विखंडित कर निविदा आमंत्रित की गयी थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आयुक्त, आर.एम.सी. ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सक्षम प्राधिकारी, जैसा कि जून 2011 के अधिसूचना में परिकल्पित है, के स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए कार्यों को विखंडित किया था। आगे, अपशिष्ट जल के प्रवाह, दूषित जल और पीलिया के फैलाव से बचने के लिए कार्यों को जल्दी पूर्ण किये जाने के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि कार्यपूर्णता अवधि के नौ माह व्यतित हो जाने के पश्चात् भी 57 कार्यों में से 44 कार्य को पूर्ण किये गये थे एवं 13 कार्य प्रगति (अगस्त 2015) पर थे।

6.2 दूरदर्शिता/प्रशासनिक नियंत्रण की विफलता

जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना सरकार का एक उत्तरदायित्व है, जिसके लिए वह स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना एवं लोक सेवा इत्यादि के विकास एवं उन्नयन के क्षेत्र में निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करता है। फिर भी, लेखापरीक्षा के ध्यान में ऐसे उदाहरण आये हैं जहाँ दुविधा, प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं विभिन्न स्तर पर मिली–जुली कार्यवाही के अभाव के कारण समुदाय के लाभ के लिए परिसम्पत्ति के निर्माण के लिए सरकार द्वारा जारी राशि अप्रयुक्त/अवरूद्ध और/अथवा निष्फल/अनुत्पादक रही, जैसा कि नीचे चर्चा किया गया है:

6.2.1 निष्फल व्यय

नगरपालिकाओं द्वारा उपयोग की व्यवहार्यता का पता लगाये बिना ट्रक मॉउंटेड रोड स्वीपींग मशीन के क्रय के लिए यू.ए.डी.डी. के एकतरफा निर्णय लेने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 2.38 करोड़ का निष्फल व्यय

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (यू.ए.डी.डी.) द्वारा सड़कों की सफाई के लिए ट्रक मॉउंटेड रोड स्वीपींग (टी.एम.एस.) मशीन खरीदने का निर्णय लिया गया। तदानुसार, पाँच नगरपालिक निगमों[3] को न्यूनतम निविदाकर्ता मेसर्स टी.एस.पी. इन्फ्रास्ट्रकचर लिमिटेड, नई दिल्ली से टी.एम.एस. मशीन खरीदने हेतु निर्देशित (मार्च 2008) किया गया था। तत्पश्चात् प्रत्येक नगरपालिक निगम को राशि ₹ 60 लाख आवंटित किये गये थे।

आयुक्त नगरपालिक निगम जगदलपुर (एम.सी.जे.), रायगढ़ (एम.सी.आर.), राजनंदगांव (एम.सी.आर.जे.) और चिरमिरी (एम.सी.सी.) के अभिलेखों की जाँच से विदित हुआ कि आपूर्तिकर्ता के साथ चार नगरपालिक निगमों के लिए चार टी.एम.एस. मशीनों की आपूर्ति हेतु राशि ₹ 238 लाख के चार अनुबंध (मार्च 2008 और मई 2008 के मध्य) निष्पादित किये गये थे। टी.एम.एस. मशीनों की आपूर्ति जून 2008 एवं अगस्त 2008 के मध्य की गयी थी और राशि ₹ 237.80 लाख का भुगतान जुलाई 2008 एवं नवम्बर 2011 के मध्य किया गया था। हालांकि, एम.सी.जे. में आपूर्ति पश्चात् शरूआत में ट्रायल रन के लिए एक माह के अलावा, एम.सी.आर. में आपूर्ति पश्चात्, एम.सी.आर.जे. में दिसम्बर 2009 से और एम.सी.सी. में अक्टुबर 2009 से मशीन का उपयोग नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर आयुक्त, एम.सी.जे. ने तथ्य को स्वीकार किया एवं बताया (जून 2015) कि मशीन का उपयोग केवल एक माह के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा किया गया और उसके बाद उपयोग नहीं किया गया। इसी प्रकार, आयुक्त एम.सी.आर. ने बताया (जुलाई 2015) कि टी.एम.एस. मशीन चालू स्थिति में नहीं है एवं उपयोग नहीं किया गया है। आयुक्त एम.सी.आर.जे. और एम.सी.सी. ने भी बताया (सितम्बर 2015) कि इस प्रकार के मशीनों के उपयोग के लिए सड़क की स्थिति अनुपयुक्त होने के कारण टी.एम.एस. मशीनों का उपयोग नहीं किया गया था एवं वर्तमान में मशीनें चालू स्थिति में नहीं हैं।

यू.ए.डी.डी. द्वारा न तो वास्तविक स्थिति जानने के लिए नगरपालिक निगमों से कोई प्रस्ताव मंगाया गया था न ही इसके परिचालन के लिए कोई रोड मैप तैयार किया गया था जिसके कारण यह हुआ।

---

[3] नगरपालिक निगम राजनंदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और चिरमिरी

अतः नगरपालिकाओं द्वारा उपयोग की व्यवहार्यता का पता लगाये बिना टी.एम.एस. मशीन के क्रय के लिए यू.ए.डी.डी. के एकतरफा निर्णय लेने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 2.38 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ था।

रायपुर	**(बिजय कुमार मोहन्ती)**
दिनांक	**महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली	**(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक	**भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट 2.1.1

(संदर्भ कंडिका 2.1.1, 2.1.4; पृष्ठ क्र. 12 एवं 13)

योजनाओं के वार्षिक आवंटन एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना का नाम	2010–11		2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		योग	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	13 वें वित्त आयोग अनुदान	170.55	151.82	322.89	261.55	369.49	274.55	519.09	279.47	138.30	90.71	1520.32	1058.10
2	ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों हेतु अनुदान	150.00	150.00	150.00	150.00	233.00	233.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1133.00	1133.00
3	मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना	75.00	55.72	105.00	70.53	104.71	53.98	104.75	35.48	0.00	0.00	389.46	215.71
4	मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
5	मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	86.57	146.00	107.33	146.00	54.73	438.00	248.63
6	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	49.55	52.00	27.13	60.00	59.98	162.00	136.66
7	छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना	15.00	14.98	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00	49.98	0.00	0.00	115.00	114.96
8	ग्राम विकास योजना	15.00	14.85	25.00	25.00	25.00	24.97	25.00	24.95	0.00	0.00	90.00	89.77
9	छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़	15.00	14.99	25.00	25.00	25.00	18.14	25.00	24.79	0.00	0.00	90.00	82.92
10	एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम	14.36	11.02	15.57	11.95	39.37	2.47	27.40	3.44	19.44	3.69	116.14	32.57
11	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	510.15	510.15	560.15	540.17	637.52	529.13	600.26	336.20	833.26	596.67	3141.34	2512.32
12	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	255.00	183.68	255.00	178.69	255.00	190.94	255.00	135.92	275.00	179.36	1295.00	868.59
13	इंदिरा आवास योजना	40.03	39.24	90.83	90.83	58.44	58.27	160.97	160.63	540.19	539.53	890.46	888.5
महायोग		**1260.09**	**1146.45**	**1574.44**	**1378.72**	**1968.53**	**1546.57**	**2265.47**	**1485.32**	**2612.19**	**2124.67**	**9680.72**	**7681.73**

परिशिष्ट 2.1.2

(संदर्भ कंडिका 2.1.4; पृष्ठ क्र. 13)

चयनित जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों का विवरण

स. क्र.	जिला पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	रायपुर	आरंग	मुनगी, कोसरंगी, कुसमुंद, कागदेही, गिधवा, अमसेना
		धरसीवां	गिरौद, बरौदा, पवनी, पथरी
2	दुर्ग	पाटन	अमलेश्वर, केसरा, रूही, झीठ, जामगांव (एम)
3	जांजगीर–चांपा	जैजैपुर	देवघटा, ठठारी, हसौद
4	सरगुजा	अंबिकापुर	घघरी, कंचनपुर, कलगसा, सरगवां
		सूरजपुर	सतपता, तिलसिवां, लांची, चन्द्रपुर, चंपकनगर
5	बस्तर	कोण्डागांव	सातगांव, कुसमा, संबलपुर, डोंगरीगुड़ा

परिशिष्ट 2.1.3

(संदर्भ कंडिका 2.1.7.1; पृष्ठ क्र. 16)

टी.एफ.सी.जी. योजना के अंतर्गत आवंटन एवं आवंटन से स्वीकृत कार्यों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंवटन	स्वीकृत कार्यों की कुल प्रशासकीय स्वीकृति	अनुपयोगी एवं अवरोधित राशि	अवधि जिस हेतु राशि अवरोधित रही
2010–11	170.55	155.13	15.42	04 वर्ष
2011–12	322.89	270.36	52.53	03 वर्ष
2012–13	369.49	396.19	(–) 26.70	–
2013–14	519.09	319.74	199.35	01 वर्ष
2014–15	138.30	116.29	22.01	06 माह
योग	**1520.32**	**1257.71**	**262.61 (17%)**	

परिशिष्ट 2.1.4

(संदर्भ कंडिका 2.1.7.1; पृष्ठ क्र. 16)

नमूना जाँच जिलों में टी.एफ.सी.जी. योजना के कार्यों हेतु उपयोग न किए जाने के कारण राशि के अवरोधन का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल प्राप्त राशि	जिस राशि की प्रशासकीय स्वीकृत जारी की गई	शेष राशि जिसका कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया
2010—11	63.29	58.51	4.78
2011—12	117.05	102.96	14.09
2012—13	129.35	108.35	21.00
2013—14	165.64	119.34	46.30
2014—15	89.10	40.95	48.15
योग	**564.43**	**430.11**	**134.32**

परिशिष्ट 2.1.5

(संदर्भ कंडिका 2.1.8.1, 2.1.8.3; पृष्ठ क्र. 19 एवं 24)

कार्यों के अप्रारंभ रहने के कारण एम.जी.यू. योजना की निधि के अवरोधन का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति/ दिनांक	स्वीकृत राशि
	रायपुर				
1	मुक्तिधाम (शवदाह एवं प्रतीक्षालय)	मौहागांव	धरसीवां	13590/01.03.12	2.65
2	मुक्तिधाम (शवदाह एवं प्रतीक्षालय)	तर्रा	धरसीवां	13590/01.03.12	2.65
3	निर्मलाघाट पचरी निर्माण	मुजगहन	धरसीवां	1442/31.05.14	1.83
4	सामुदायिक भवन निर्माण	धनेली (भट्ठ)	धरसीवां	2111/12.06.14	4.84
	योग (धरसीवां)				**11.97**
	जांजगीर–चांपा				
5	सी.सी.सड़क का निर्माण कन्हैया घर	अकलसरा	जैजेपुर	2949/22.03.12	3.00
6	मुक्तिधाम (शवदाह एवं प्रतीक्षालय)	पेन्ड्री	जैजेपुर	2949/22.03.12	2.65
7	सामुदायिक भवन निर्माण	जर्वे	जैजेपुर	2949/22.03.12	3.30
8	आंगनबाड़ी भवन निर्माण (बाउंड्रीवाल सहित)	अकलसरा	जैजेपुर	5454/12.06.12	3.00
9	आंगनबाड़ी भवन निर्माण (बाउंड्रीवाल सहित)	ठठारी	जैजेपुर	6415/21.7.12	3.00
10	आंगनबाड़ी भवन निर्माण (बाउंड्रीवाल सहित)	ठठारी	जैजेपुर	6415/21.7.12	3.00
11	प्राथमिक शाला से बाबूलाल घर तक सी.सी. सड़क का निर्माण	सिरली	जैजेपुर	10176/26.11.12	2.40
12	कश्यप गली साहू मोहल्ला में सी.सी. सड़क का निर्माण	हरेठीकला	जैजेपुर	10176/26.11.12	2.40
13	मुक्तिधाम (शवदाह एवं प्रतीक्षालय)	अकलसरा	जैजेपुर	6415/21.7.12	2.65
14	सामुदायिक भवन निर्माण	अकलसरा	जैजेपुर	5454/12.06.12	3.30
15	सामुदायिक भवन निर्माण	घिवरा	जैजेपुर	6415/21.07.12	3.30
16	सामुदायिक भवन निर्माण	नगरीडीह	जैजेपुर	6415/21.07.12	3.00
	योग (जैजैपुर)				**35.00**
17	आंगनबाड़ी भवन निर्माण (बाउंड्रीवाल सहित)	कंसदा	नवागढ़	5108/27.06.11	3.00
18	सी.सी.सड़क का निर्माण (सीताराम गली)	तेन्दुआ	नवागढ़	2951/22.03.12	3.00
19	गुड़ी से लक्ष्मण घर तक सी.सी. सड़क का निर्माण	तेन्दुआ	नवागढ़	2951/22.03.12	3.00
20	मुक्तिधाम (शवदाह एवं प्रतीक्षालय)	पुटपुरा	नवागढ़	2951/22.03.12	2.65
21	भागवत घर से धर्मा तिवारी तक सी.सी. सड़क का निर्माण	पुटपुरा	नवागढ़	2951/22.03.12	3.00

22	सामुदायिक भवन (बाउंड्रीवाल सहित)	पुटपुरा	नवागढ़	2951 / 22.03.12	3.30
23	आंगनबाड़ी भवन निर्माण (बाउंड्रीवाल सहित)	मरकाडीह	नवागढ़	2951 / 22.03.12	3.00
24	आंगनबाड़ी भवन निर्माण (बाउंड्रीवाल सहित)	मौहाडीह	नवागढ़	2951 / 22.03.12	3.00
25	आंगनबाड़ी भवन निर्माण (बाउंड्रीवाल सहित) बाजारपारा	महन्त	नवागढ़	2951 / 22.03.12	3.00
26	आंगनबाड़ी भवन निर्माण (बाउंड्रीवाल सहित) तालाबपारा	महन्त	नवागढ़	2951 / 22.03.12	3.00
27	सामुदायिक भवन निर्माण	महन्त	नवागढ़	2951 / 22.03.12	3.30
28	सामुदायिक भवन निर्माण	तेन्दुआ	नवागढ़	2951 / 22.03.12	3.30
29	चंद्रभान घर से महामाया मंदिर तक सी.सी. सड़क का निर्माण	तेन्दुआ	नवागढ़	5164 / 01.06.12	4.80
30	महामाया मंदिर से चंद्रभान घर तक सी.सी. सड़क का निर्माण	तेन्दुआ	नवागढ़	5164 / 01.06.12	4.80
31	सरजू घर से प्राथमिक शाला तक सी.सी. सड़क का निर्माण	ठाकुरदिया	नवागढ़	5164 / 01.06.12	1.50
32	निर्मलाघाट निर्माण (बंधवा तालाब)	मुनुन्द	नवागढ़	5164 / 01.06.12	0.75
33	सामुदायिक भवन निर्माण	तेन्दुआ	नवागढ़	2951 / 22.03.12	3.30
34	सामुदायिक भवन निर्माण (भाटापारा)	बुडेना	नवागढ़	6415 / 21.07.12	3.30
35	सामुदायिक भवन निर्माण (स्कूल के समीप)	बुडेना	नवागढ़	6415 / 21.07.12	3.30
36	सामुदायिक भवन निर्माण	धाराशिव (खो)	नवागढ़	6359 / 20.07.12	4.85
37	सामुदायिक भवन निर्माण	धाराशिव (खो)	नवागढ़	6359 / 20.07.12	4.85
38	सी.सी. सड़क का निर्माण	नगरीडीह	नवागढ़	10178 / 26.11.12	2.40
39	सी.सी. सड़क का निर्माण	हाथीटिकरा	नवागढ़	10178 / 26.11.12	9.60
40	सी.सी. सड़क का निर्माण	पेन्ड्री	नवागढ़	04 / 03.01.14	2.40
41	सामुदायिक भवन निर्माण	सिउद	नवागढ़	1026 / 28.02.14	4.85
42	मुक्तिधाम निमार्ण	कंसदा	नवागढ़	1028 / 28.02.14	2.65
43	सामुदायिक भवन निर्माण	सिंघुल	नवागढ़	1028 / 28.02.14	4.85
44	सामुदायिक भवन निर्माण	बनारी	नवागढ़	6415 / 21.07.12	3.30
45	निर्मला घाट	धराशिव (खो)	नवागढ़	6359 / 20.07.12	1.83
46	निर्मला घाट	धराशिव (खो)	नवागढ़	6359 / 20.07.12	1.83
47	सामुदायिक भवन निर्माण	मरकडीह	नवागढ़	1026 / 28.02.14	4.85
योग (नवागढ़)					**106.56**
महायोग (जांजगीर–चांपा)					**141.56**

परिशिष्ट 2.1.6

(संदर्भ कंडिका 2.1.8.1, 2.1.8.4, 2.1.8.5; पृष्ठ क्र. 19, 26 एवं 28)

तेरहवें वित्त आयोग अनुदान योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	जिला पंचायत का नाम (जनपद पंचायत)	ग्राम पंचायत का नाम	आवंटन	व्यय	निष्पादित कार्य
जिला रायपुर					
1	रायपुर (आंरग)	कागदेही	11.51	11.51	42
2		कोसरंगी	15.64	15.64	43
3		मुनगी	7.85	7.82	26
4		गिधवा	5.22	5.22	10
5		अमसेना	2.66	2.66	09
योग (रायपुर)			**42.88**	**42.85**	**130**
जिला बस्तर					
6	बस्तर (कोण्डागांव)	डोंगरीगुड़ा	11.53	11.53	38
7		सातगांव	9.16	3.02	08
8		सम्बलपुर	18.48	17.07	41
योग (बस्तर)			**39.17**	**31.62**	**87**
जिला सरगुजा					
9	सरगुजा (सूरजपुर)	सतपता	18.25	11.76	अनुपलब्ध
10		तिलसिवां	7.35	5.89	अनुपलब्ध
11		चंपकनगर	3.22	2.17	09
12		चंद्रपुर	10.88	10.85	अनुपलब्ध
13		लांची	8.15	7.14	अनुपलब्ध
योग (सरगुजा)			**47.85**	**37.81**	**09**

परिशिष्ट 2.1.7

(संदर्भ कंडिका 2.1.8.1; पृष्ठ क्र. 20)

जी.जी.पी.एफ.डब्ल्यू. योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधि तथा ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

स.क्र.	जिला का नाम (जनपद पंचायत)	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष	वर्ष में उपलब्ध राशि	व्यय	बचत
1	रायपुर (आंरग)	मुनगी	2010—11	1.31	0.82	0.49
			2011—12	1.31	1.69	—0.38
			2012—13	2.28	1.36	0.92
			2013—14	3.43	4.00	—0.57
			2014—15	2.13	2.49	—0.36
योग				**10.46**	**10.36**	**0.10**
2	रायपुर (आंरग)	कुसमुंद	2010—11	1.08	0.75	0.33
			2011—12	—	—	—
			2012—13	1.92	1.75	0.17
			2013—14	2.72	2.22	0.50
			2014—15	1.77	1.45	0.32
योग				**7.49**	**6.17**	**1.32**
3	रायपुर (आंरग)	कागदेही	2010—11	1.69	1.68	0.01
			2011—12	1.92	1.96	—0.04
			2012—13	3.33	3.15	0.18
			2013—14	3.69	2.49	1.20
			2014—15	4.48	4.48	0
योग				**15.11**	**13.76**	**1.35**
4	रायपुर (आंरग)	कोसरंगी	2010—11	5.66	3.30	2.36
			2011—12	4.90	2.38	2.52
			2012—13	7.06	3.51	3.55
			2013—14	9.88	6.68	3.20
			2014—15	7.48	7.41	0.07
योग				**34.98**	**23.28**	**11.70**
महायोग				**68.04**	**53.57**	**14.47**

परिशिष्ट 2.1.8

(संदर्भ कंडिका 2.1.8.2, 2.1.8.3, 2.1.8.4, 2.1.8.5; पृष्ठ क्र. 22, 24, 27 एवं 28)

एम.जे.एस. योजना के अंतर्गत पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों का विवरण

जनपद पंचायत का नाम	2012–13			2013–14			योग		
	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य
जिला दुर्ग									
पाटन	96	92	04	93	72	21	189	164	25 (13)
जिला जांजगीर–चांपा									
जैजैपुर	25	20	05	41	33	08	66	53	13 (20)
जिला बस्तर									
कोण्डागांव	53	24	29	46	17	29	99	41	58 (59)
जिला सरगुजा									
अंबिकापुर	49	41	08	25	22	03	74	63	11 (15)
सूरजपुर	60	56	02[1]	52	42	10	112	98	12 (11)
योग (सरगुजा)	**109**	**97**	**10**	**77**	**64**	**13**	**186**	**161**	**23 (12)**

परिशिष्ट 2.1.9

(संदर्भ कंडिका 2.1.8.3; पृष्ठ क्र. 25)

कार्यों हेतु उपयोग न किए जाने के कारण एम.जे.एस. योजना की निधि के अवरोधन का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	प्राप्त आवंटन	स्वीकृत कार्यों की कुल प्रशासकीय स्वीकृति	अनुपयोगी राशि जिसके कोई कार्य स्वीकृत नहीं किए गए
जिला जांजगीर चांपा			
जनपद पंचायत जैजैपुर			
2012–13	100.00	99.87	0.13
2013–14	100.00	95.83	4.17
2014–15	100.00	13.81	86.19
योग	**300.00**	**209.51**	**90.49 (30%)**

[1] दो कार्य निरस्त किया गया

परिशिष्ट 2.2.1

(संदर्भ कंडिका 2.2.5; पृष्ठ क्र. 33)

चयनित ग्राम पंचायतों की सूची

स.क्र.	जिले का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4
1	रायपुर	आरंग	फरफौद, गोढ़ी, परसदा (सिमरिया)
		अभनपुर	पटेवा
2	बलौदा बाजार	कसडोल	बरेली
3	रायगढ़	सारंगढ़	मुरवाभाठा, खम्हारडीह, कनकबीरा, बरदुला, तिलईदादर, दहिदा
4	दुर्ग	दुर्ग	रिसामा, जांजगिरी, घुघसीडीह, खोपली, आमटी
5	महासमुन्द	बागबहरा	सुखरीडबरी, कोसमर्रा, कमरौद, घोयनाबहरा, मुनगासेर
		बसना	कुरचुन्दी, रंगमटिया, चनाट, गणेशपुर, मेदनीपुर
6	कोरिया	भरतपुर	जामथन, बडगांवखुर्द, शेरी, लखनटोला, डोम्हरा, घाघरा, मडीसराई, नौडिया, सेमरिहा
7	बालोद	गुरूर	भुलनडबरी, कुलिया, छेरिया, ओझागहन, कोचवाही
8	कांकेर	कांकेर	पुसवाड़ा, बेवरती, मटवड़ालाल, किरगोली, अलबेड़ा, कोंडागांव, तालाकुर्रा, मर्दापोटी, अण्डी, पटौद

परिशिष्ट 2.2.2

(संदर्भ कंडिका 2.2.8.5; पृष्ठ क्र. 37)

सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा सत्यापित नहीं किए गए कार्यों/व्ययों का विवरण

स.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	विकासखंड का नाम	जिले का नाम	किया गया कुल व्यय (₹ लाख में)	कार्यों की की कुल संख्या	समाजिक अंकेक्षण इकाई दल द्वारा सत्यापित किये गये कार्यो की कुल संख्या
1	पटेवा	अभनपुर	रायपुर	67.38	13	13
2	परसदा (सिमरिया)	आरंग	रायपुर	0.00	8	8
3	बरेली	कसडोल	बलौदा बाजार	46.51	8	8
4	मुरवाभाठा	सारंगढ़	रायगढ़	56.67	9	9
5	खम्हारडीह	सारंगढ़	रायगढ़	33.04	10	10
6	बरदुला	सारंगढ़	रायगढ़	173.80	9	9
7	दहिदा	सारंगढ़	रायगढ़	40.57	7	7
8	घोयनाबहरा	बागबहरा	महासमुन्द	0.00	50	50
9	बडगांवखुर्द	भरतपुर	कोरिया	61.99	35	35
10	लखनटोला	भरतपुर	कोरिया	48.89	43	43
11	डोम्हरा	भरतपुर	कोरिया	55.25	31	31
12	घाघरा	भरतपुर	कोरिया	36.93	24	24
13	छेरिया	गुरूर	बालोद	120.00	23	23
14	ओझागहन	गुरूर	बालोद	69.70	13	13
15	कोचवाही	गुरूर	बालोद	148.81	30	30
16	बेवरती	कांकेर	कांकेर	114.30	38	38
17	किरगोली	कांकेर	कांकेर	19.70	30	30
योग				**1093.54**	**381**	**381**
18	फरफौद	आरंग	रायपुर	265.24	30	15
19	गोढ़ी	आरंग	रायपुर	58.05	10	3
20	कनकबीरा	सारंगढ़	रायगढ़	121.62	19	16
21	तिलईदादर	सारंगढ़	रायगढ़	34.74	6	5
22	रिसामा	दुर्ग	दुर्ग	78.04	16	10
23	जांजगिरी	दुर्ग	दुर्ग	46.03	12	7
24	घुघसीडीह	दुर्ग	दुर्ग	125.61	0	56
25	खोपली	दुर्ग	दुर्ग	115.73	23	21
26	आमटी	दुर्ग	दुर्ग	76.44	13	10
27	सुखरीडबरी	बागबहरा	महासमुन्द	65.40	40	16
28	कोसमर्रा	बागबहरा	महासमुन्द	65.15	31	25
29	कमरौद	बागबहरा	महासमुन्द	41.83	17	13
30	मुनगासेर	बागबहरा	महासमुन्द	57.12	26	25
31	कुरचुन्दी	बसना	महासमुन्द	89.30	18	7
32	रंगमटिया	बसना	महासमुन्द	78.99	32	0
33	चनाट	बसना	महासमुन्द	40.61	28	3
34	गणेशपुर	बसना	महासमुन्द	77.65	32	10
35	मेदनीपुर	बसना	महासमुन्द	49.74	49	11
36	जामथन	भरतपुर	कोरिया	50.46	50	15
37	शेरी	भरतपुर	कोरिया	91.14	69	43
38	मडीसराई	भरतपुर	कोरिया	36.19	29	17
39	नौडिया	भरतपुर	कोरिया	56.20	36	21
40	सेमरिहा	भरतपुर	कोरिया	71.82	39	35
41	भुलनडबरी	गुरूर	बालोद	69.96	26	18
42	कुलिया	गुरूर	बालोद	74.38	16	11
43	पुसवाड़ा	कांकेर	कांकेर	192.01	102	7
44	मटवड़ालाल	कांकेर	कांकेर	48.74	41	0
45	अलबेड़ा	कांकेर	कांकेर	46.29	122	5
46	कोड़ागांव	कांकेर	कांकेर	264.83	411	अनुपलब्ध
47	तालाकुर्रा	कांकेर	कांकेर	75.62	89	56
48	मर्दापोटी	कांकेर	कांकेर	42.84	39	38
49	अण्डी	कांकेर	कांकेर	0.00	99	अनुपलब्ध
50	पटौद	कांकेर	कांकेर	96.03	0	20
योग				**2703.80**	**1570**	**539**
कुल योग				**3797.34**	**1951**	**920**

परिशिष्ट 2.2.3

(संदर्भ कंडिका 2.2.8.6; पृष्ठ क्र. 38)

ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा देयक/बीजक सत्यापित नहीं किये गये ग्राम पंचायतों का विवरण

स.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	विकासखंड का नाम	जिले का नाम
1	2	3	4
1	कुरचुन्दी	बसना	महासमुन्द
2	रंगमटिया	बसना	महासमुन्द
3	चनाट	बसना	महासमुन्द
4	गणेशपुर	बसना	महासमुन्द
5	मेदनीपुर	बसना	महासमुन्द
6	पुसवाड़ा	कांकेर	कांकेर
7	बेवरती	कांकेर	कांकेर
8	मटवड़ालाल	कांकेर	कांकेर
9	किरगोली	कांकेर	कांकेर
10	अलबेड़ा	कांकेर	कांकेर
11	कोड़ागांव	कांकेर	कांकेर
12	तालाकुर्रा	कांकेर	कांकेर
13	मर्दापोटी	कांकेर	कांकेर
14	अण्डी	कांकेर	कांकेर
15	पटौद	कांकेर	कांकेर

टीपः सामग्री क्रय हेतु आपूर्तिकर्ता से कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया

परिशिष्ट 2.2.4

(संदर्भ कंडिका 2.2.9.1; पृष्ठ क्र. 39)

सामाजिक लेखापरीक्षा की सूचना के संबंध में साक्ष्य संधारित नहीं किये गये ग्राम पंचायतों का विवरण

स.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	विकासखंड का नाम	जिले का नाम	समाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की तिथि
1	परसदा (सिमरिया)	आरंग	रायपुर	05.12.14
2	पटेवा	अभनपुर	रायपुर	01.04.15
3	बरेली	कसडोल	बलौदा बाजार	21.10.14
4	मुरवाभाठा	सारंगढ़	रायगढ़	23.12.14
5	खम्हारडीह	सारंगढ़	रायगढ़	07.04.15
6	कनकबीरा	सारंगढ़	रायगढ़	10.04.15
7	बरदुला	सारंगढ़	रायगढ़	23.12.14
8	तिलईदादर	सारंगढ़	रायगढ़	10.04.15
9	दहिदा	सारंगढ़	रायगढ़	07.04.15
10	जांजगिरी	दुर्ग	दुर्ग	28.02.15
11	घुघसीडीह	दुर्ग	दुर्ग	01.03.15
12	खोपली	दुर्ग	दुर्ग	01.03.15
13	आमटी	दुर्ग	दुर्ग	27.02.15
14	सुखरीडबरी	बागबहरा	महासमुन्द	23.12.14
15	कोसमर्रा	बागबहरा	महासमुन्द	24.12.14
16	कमरौद	बागबहरा	महासमुन्द	23.12.14
17	घोयनाबहरा	बागबहरा	महासमुन्द	22.12.14
18	कुरचुन्दी	बसना	महासमुन्द	23.02.15
19	रंगमटिया	बसना	महासमुन्द	04.03.15
20	चनाट	बसना	महासमुन्द	04.03.15
21	गणेशपुर	बसना	महासमुन्द	15.03.15
22	मेदनीपुर	बसना	महासमुन्द	15.03.15
23	जामथन	भरतपुर	कोरिया	19.03.15
24	बडगांवखुर्द	भरतपुर	कोरिया	30.03.15
25	शेरी	भरतपुर	कोरिया	28.03.15
26	लखनटोला	भरतपुर	कोरिया	27.03.15
27	डोम्हरा	भरतपुर	कोरिया	27.03.15
28	घाघरा	भरतपुर	कोरिया	25.03.15
29	मडीसराई	भरतपुर	कोरिया	29.03.15
30	नौडिया	भरतपुर	कोरिया	28.03.15
31	सेमरिहा	भरतपुर	कोरिया	28.03.15
32	भुलनडबरी	गुरूर	बालोद	04.03.15
33	कुलिया	गुरूर	बालोद	28.02.15
34	छेरिया	गुरूर	बालोद	03.03.15
35	ओझागहन	गुरूर	बालोद	01.03.15
36	कोचवाही	गुरूर	बालोद	20.03.15
37	पुसवाड़ा	कांकेर	कांकेर	12.12.14
38	बेवरती	कांकेर	कांकेर	12.12.14
39	मटवड़ालाल	कांकेर	कांकेर	17.12.14
40	किरगोली	कांकेर	कांकेर	22.12.14
41	अलबेड़ा	कांकेर	कांकेर	22.12.14
42	कोड़ागांव	कांकेर	कांकेर	17.12.14
43	तालाकुर्रा	कांकेर	कांकेर	31.12.14
44	मर्दापोटी	कांकेर	कांकेर	20.12.14
45	अण्डी	कांकेर	कांकेर	17.12.14

परिशिष्ट 2.2.5

(संदर्भ कंडिका 2.2.9.2; पृष्ठ क्र. 39)

अपर्याप्त कोरम के साथ सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा संचालित किये गये ग्राम पंचायतों का विवरण

स.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	विकासखंड का नाम	जिले का नाम	व्यक्तियों की कुल सख्या	कोरम के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या अर्थात् 1/10	ग्राम सभा में उपस्थित व्यक्तियों की वास्तविक संख्या	उपस्थिति में कमी (कॉलम 6–7)	उपस्थिति में कमी (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	फरफौद	आरंग	रायपुर	1906	191	64	127	66.49
2	परसदा (सिमरिया)	आरंग	रायपुर	1400	140	75	65	46.43
3	पटेवा	अभनपुर	रायपुर	3733	373	60	313	83.91
4	बरेली	कसडोल	बलौदा बाजार	1636	164	121	43	26.22
5	मुरवाभाठा	सारंगढ़	रायगढ़	1250	125	65	60	48.00
6	खम्हारडीह	सारंगढ़	रायगढ़	1196	120	37	83	69.17
7	बरदुला	सारंगढ़	रायगढ़	1946	195	79	116	59.49
8	तिलईदादर	सारंगढ़	रायगढ़	1194	119	21	98	82.35
9	दहिदा	सारंगढ़	रायगढ़	2280	228	59	169	74.12
10	रिसामा	दुर्ग	दुर्ग	1830	183	45	138	75.41
11	जांजगिरी	दुर्ग	दुर्ग	2784	278	25	253	91.00
12	घुघसीडीह	दुर्ग	दुर्ग	1350	135	40	95	70.37
13	खोपली	दुर्ग	दुर्ग	3300	330	30	300	90.91
14	आमटी	दुर्ग	दुर्ग	1138	114	20	94	82.46
15	सुखरीडबरी	बागबहरा	महासमुन्द	1213	121	75	46	38.02
16	कमरौद	बागबहरा	महासमुन्द	1094	109	38	71	65.14
17	मुनगासेर	बागबहरा	महासमुन्द	1182	118	25	93	78.81
18	कुरचुन्दी	बसना	महासमुन्द	1731	173	54	119	68.79
19	रंगमटिया	बसना	महासमुन्द	1432	143	44	99	69.23
20	चनाट	बसना	महासमुन्द	1307	131	45	86	65.65
21	बडगांवखुर्द	भरतपुर	कोरिया	828	83	57	26	31.33
22	लखनटोला	भरतपुर	कोरिया	1184	118	32	86	72.88
23	डोम्हरा	भरतपुर	कोरिया	2358	236	19	217	91.95
24	नौडिया	भरतपुर	कोरिया	2100	210	75	135	64.29
25	सेमरिहा	भरतपुर	कोरिया	1014	101	63	38	37.62
26	भुलनडबरी	गुरूर	बालोद	1174	117	15	102	87.18
27	कुलिया	गुरूर	बालोद	1606	161	101	60	37.27
28	ओझागहन	गुरूर	बालोद	1150	115	65	50	43.48
29	कोचवाही	गुरूर	बालोद	742	74	32	42	56.76
30	कोड़ागांव	कांकेर	कांकेर	3672	367	210	157	42.78
31	अण्डी	कांकेर	कांकेर	837	84	76	8	9.52
32	मर्दापोटी	कांकेर	कांकेर	1960	196	15	181	92.35
33	पटौद	कांकेर	कांकेर	1517	152	92	60	39.47

परिशिष्ट 2.2.6

(संदर्भ कंडिका 2.2.9.6; पृष्ठ क्र. 41)

सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा में पंचायत सदस्यों के भाग नहीं लिए जाने का विवरण

स.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	विकासखंड का नाम	जिले का नाम	सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा की तिथि
1	फरफौद	आरंग	रायपुर	14.11.14
2	गोढ़ी	आरंग	रायपुर	04.12.14
3	परसदा (सिमरिया)	आरंग	रायपुर	05.12.14
4	खम्हारडीह	सारंगढ़	रायगढ़	07.04.15
5	बरदुला	सारंगढ़	रायगढ़	23.12.14
6	तिलईदादर	सारंगढ़	रायगढ़	10.04.15
7	दहिदा	सारंगढ़	रायगढ़	07.04.15
8	जांजगिरी	दुर्ग	दुर्ग	28.02.15
9	खोपली	दुर्ग	दुर्ग	01.03.15
10	आमटी	दुर्ग	दुर्ग	27.02.15
11	सुखरीडबरी	बागबहरा	महासमुन्द	23.12.14
12	कमरौद	बागबहरा	महासमुन्द	23.12.14
13	मुनगासेर	बागबहरा	महासमुन्द	23.12.14
14	कुरचुन्दी	बसना	महासमुन्द	23.02.15
15	रंगमटिया	बसना	महासमुन्द	04.03.15
16	चनाट	बसना	महासमुन्द	04.03.15
17	लखनटोला	भरतपुर	कोरिया	27.03.15
18	नौडिया	भरतपुर	कोरिया	28.03.15
19	भुलनडबरी	गुरूर	बालोद	04.03.15
20	कुलिया	गुरूर	बालोद	03.03.15
21	ओझागहन	गुरूर	बालोद	01.03.15
22	कोचवाही	गुरूर	बालोद	20.03.15
23	पटौद	कांकेर	कांकेर	13.12.14
24	कोड़ागांव	कांकेर	कांकेर	17.12.14
25	मर्दापोटी	कांकेर	कांकेर	20.12.14

परिशिष्ट 2.2.7

(संदर्भ कंडिका 2.2.9.6; पृष्ठ क्र. 41)

सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा में उपस्थित पंचायत सदस्यों का विवरण

स. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	विकासखंड का नाम	जिले का नाम	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा की तिथि	सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा में उपस्थित पंचायत सदस्यों की संख्या
1	पटेवा	अभनपुर	रायपुर	25.03.15 से 30.03.15	01.04.15	1
2	बरेली	कसडोल	बलौदा बाजार	18.10.14 से 21.10.14	21.10.14	3
3	मुरवाभाठा	सारंगढ़	रायगढ़	20.12.14 से 22.12.14	23.12.14	7
4	रिसामा	दुर्ग	दुर्ग	17.02.15 से 23.02.15	28.02.15	11
5	घुघसीडीह	दुर्ग	दुर्ग	23.02.15 से 01.03.15	01.03.15	1
6	बडगांवखुर्द	भरतपुर	कोरिया	26.03.15 से 30.03.15	30.03.15	1
7	डोम्हरा	भरतपुर	कोरिया	03.03.15 से 12.03.15	27.03.15	2
8	शेरी	भरतपुर	कोरिया	03.03.15 से 12.03.15	28.03.15	1
9	सेमरिहा	भरतपुर	कोरिया	13.03.15 से 17.03.15	28.03.15	6
10	अण्डी	कांकेर	कांकेर	14.12.14 से 17.12.14	17.12.14	3

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ कंडिका 3.1.1; पृष्ठ क्र. 45)

सरपंचों के लंबित अग्रिम राशि के असमायोजित रहने को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

स. क्र.	जनपद पंचायत का नाम	अवधि	समायोजन हेतु लंबित अग्रिम राशि		समायोजित अग्रिम राशि		लंबित राशि	
			व्यक्तियों की संख्या	राशि	व्यक्तियों की संख्या	राशि	व्यक्तियों की संख्या	राशि
1	डोंगरगढ़	2004–05 से 2012–13	9	1902184	4	244900	8	1657284
2	चारामा	1993–94 से 2007–08	11	315107	3	52470	10	262637
3	मोहला	2004–05 से 2009–10	21	1409634	0	0	21	1409634
4	दुर्ग	2010–11	1	101210	0	0	1	101210
योग			**42**	**3728135**	**7**	**297370**	**40**	**3430765**

परिशिष्ट 5.1.1

(संदर्भ कंडिका 5.1.2; पृष्ठ क्र. 57)

संगठनात्मक संरचना पर ढ़ाँचाचित्र

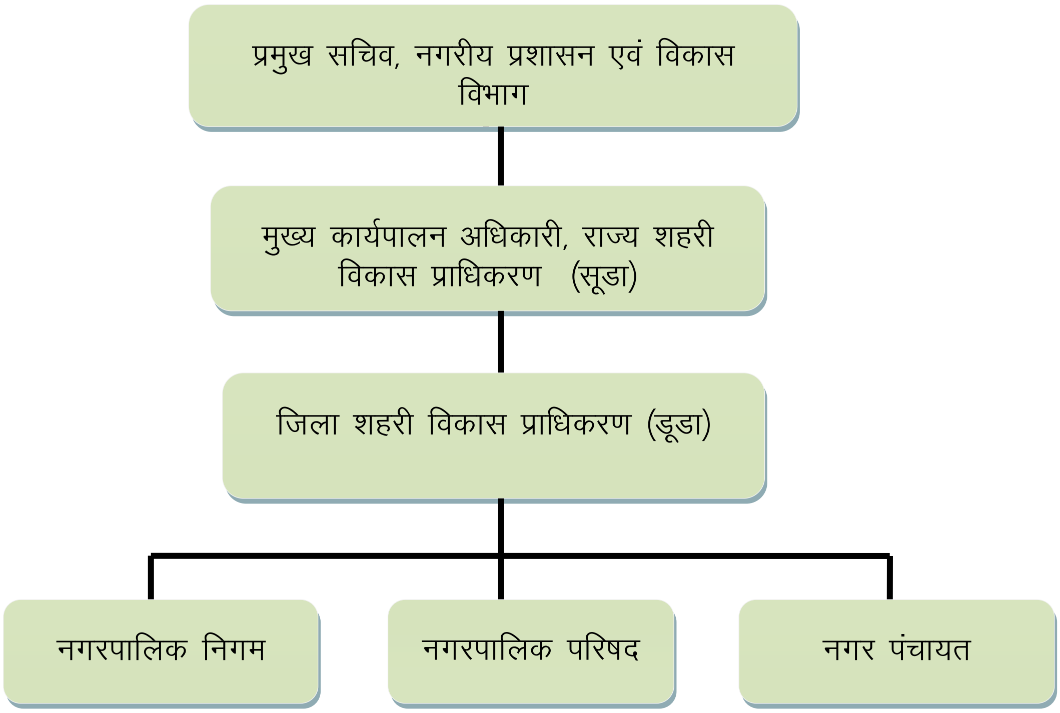

परिशिष्ट 5.1.2

(संदर्भ कंडिका 5.1.6.1; पृष्ठ क्र. 59)

नमूना जांच के सात जिलों में अवधि 2010–15 के दौरान निधि की उपलब्धता एवं व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियां	योग	व्यय (प्रतिशत)	अंतशेष
2010–11	दुर्ग	2.22	1.00	3.22	1.87(50)	1.87
	कोरबा	0.43	0.61	1.04	0.43(41)	0.73
	रायगढ़	0.40	0.82	1.22	1.10(95)	0.12
	सरगुजा	0.45	1.02	1.47	1.01(68)	0.46
	कोरिया	0.20	0.33	0.54	0.41(76)	0.13
	बस्तर	0.63	0.51	1.14	0.58(51)	0.57
2011–12	दुर्ग	1.87	3.57	5.44	2.71(50)	2.73
	कोरबा	0.73	0.78	1.51	0.60(40)	0.91
	रायगढ़	0.12	1.59	1.71	1.05(65)	0.66
	सरगुजा	0.46	1.08	1.54	0.73(48)	0.78
	कोरिया	0.13	1.59	1.72	0.73(42)	0.99
	बस्तर	0.57	0	0.57	0.27(48)	0.30
2012–13	दुर्ग	2.73	2.19	4.92	2.87(58)	2.05
	कोरबा	0.92	0.93	1.85	0.29(16)	0.96
	रायगढ़	0.66	2.65	3.31	1.81(56)	1.50
	सरगुजा	0.78	0.88	1.66	0.98(59)	0.68
	कोरिया	0.99	0.90	1.89	0.65(34)	1.24
	बस्तर	0.30	1.02	1.32	0.83(63)	0.49
2013–14	दुर्ग	2.05	3.16	5.21	3.94(76)	1.27
	कोरबा	0.96	0.62	1.58	1.00(63)	0.58
	रायगढ़	1.50	1.53	3.03	2.47(83)	0.56
	सरगुजा	0.68	0.89	1.57	0.53(34)	1.04
	कोरिया	1.24	0.62	1.86	1.28(69)	0.58
	बस्तर	0.49	1.17	1.66	1.08(65)	0.58
	मुंगेली	0.22	0.14	0.36	0.18(53)	0.18
2014–15	दुर्ग	1.27	1.81	3.08	2.97(96)	0.11
	कोरबा	0.58	0.03	0.61	0.12(20)	0.49
	रायगढ़	0.56	0.89	1.45	0.51(42)	0.94
	सरगुजा	1.04	0.60	1.64	0.39(24)	1.25
	कोरिया	0.73	1.21	1.94	1.25(64)	0.69
	बस्तर	0.58	0	0.58	0.56(98)	0.02
	मुंगेली	0.18	0.27	0.45	0.03(5)	0.42
योग			**34.41**	**61.09**	**35.22**	

परिशिष्ट 5.1.3

(संदर्भ कंडिका 5.1.6.1; पृष्ठ क्र. 59)

31.3.2015 की स्थिति में डूडावार अंतशेष की विवरण

(राशि ₹ में)

स.क्र.	डूडा का नाम	राशि	स.क्र.	डूडा का नाम	राशि
1	बलोदा बाजार	17207041	2	बलरामपुर	4509998
3	बेमेतरा	3546500	4	बीजापुर	3415923
5	दंतेवाड़ा	4783310	6	धमतरी	6408000
7	गरीयाबंद	3669610	8	जगदलपुर	203595
9	जांजगीर	18409727	10	जशपुर	6097766
11	कांकेर	611764	12	कवर्धा	25043000
13	कोंडागांव	6161667	14	कोरबा	26404747
15	कोरबा	7472316	16	मुंगेली	4199000
17	नारायणपुर	253757	18	रायगढ़	9374800
19	रायपुर	55537875	20	राजनंदगांव	6496000
21	सरगुजा	12339588	22	सुकमा	3779679
23	सुरजपुर	2059022	24	दूर्ग	21732000
25	बिलासपुर	25069183	26	बलोद	6637650
27	महासमुंद	9611973			
योग		166733333			124302158
सकल		₹ 291035491 अर्थात ₹ 29.10 करोड़			
कुल		₹ 37.79 करोड़ (सूडा ₹ 8.69 करोड़ + ₹ 29.10 करोड़)			

स्रोतः– सूडा एवं डूडाओं द्वारा दिए गए आंकडे

परिशिष्ट 5.1.4

(संदर्भ कंडिका 5.1.6.2; पृष्ठ क्र. 60)

वर्ष 2010–15 के दौरान केन्द्रीय अंश जारी करने में विलंब की विवरण

स.क्र.	वर्ष	अनुमोदन का संदर्भ	राशि (₹ लाख में)	विलंब (दिन में)
1	2010–11	क्र. जी–24011/3/2010–यूपीए दिनांक 07.06.2010	1201.95	68
2	2011–12	क्र. जी–24011/1/2011–यूपीए दिनांक 11.07.2011	1342.71	102
3	2012–13	क्र. जी–24011/4/2012–यूपीए दिनांक 07.05.2012	1349.54	36
4	2013–14	क्र. जी–24011/6/2013–यूपीए/ एफटीएस:8279 दिनांक 14.06.2013	1421.00	73

स्रोतः–अवधि 2010–15 हेतु सूडा द्वारा दिए गए आंकड़ें

परिशिष्ट 5.1.5

(संदर्भ कंडिका 5.1.6.2; पृष्ठ क्र. 60)

वर्ष 2010–15 के दौरान राज्यांश जारी करने में विलंब की विवरण

स.क्र.	वर्ष	राज्यांश जारी करने के संदर्भ धनादेश क्रमांक/दिनांक	राशि (₹ लाख में)	विलंब (दिन में)
1	2010–11	धनादेश क्र 042792 दि 21.6.2010 धनादेश क्र 700184 दि 28.3.2011	114.58 75.00	82 361
2	2011–12	700247 दिनांक 5.4.2011 05.04.2011 04.02.2012 31.03.2012	200.32 125.35 223.78 223.78	 309 364
3	2012–13	26.06.2012 17.12.2012 31.03.2013	193.08 224.92 224.92	86 256 364
4	2013–14	29.06.2013 19.07.2013 14.11.2013	98.92 100.98 265.28	59 109 223
5	2014–15	28.08.2014	54.45	150

स्रोतः–अवधि 2010–15 हेतु सूडा द्वारा दिए गए आंकड़े

परिशिष्ट 5.1.6

(संदर्भ कंडिका 5.1.8.1; पृष्ठ क्र. 62)

वर्ष 2010–15 के दौरान हितग्राही समावेशन हेतु यूसेप के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भौतिक		वित्तीय		अनुमोदन हेतु बैंक को भेजे गए प्रकरणों की संख्या
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
2010–11	1200	1862	3.00	3.62	5005
2011–12	3000	2687	15.00	5.72	7338
2012–13	5000	3068	3.00	8.46	7056
2013–14	2249	2797	2.08	10.32	8673
2014–15	904	524	2.26	1.60	1279
योग	**12353**	**10938**	**25.34**	**29.72**	**29351**

स्रोतः– वर्ष 2010–15 हेतु सूडा का वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों प्रगति प्रतिवेदन

परिशिष्ट 5.1.7

(संदर्भ कंडिका 5.1.8.1; पृष्ठ क्र. 62)

यूसेप के अन्तर्गत वर्ष 2010–15 हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धि

(₹ लाख में)

वर्ष	जिला का नाम	भौतिक		वित्तीय	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2010–11	दुर्ग	120	271	84.75	53.28
	कोरबा	120	103	20.46	21.20
	रायगढ़	120	147	14.91	34.95
	सरगुजा	120	183	8.49	24.67
	कोरिया	48	4	9.87	17.52
	बस्तर	48	99	10.44	18.62
2011–12	दुर्ग	850	361	425.00	98.08
	कोरबा	205	157	102.30	31.50
	रायगढ़	150	278	175.00	53.38
	सरगुजा	85	241	42.45	48.06
	कोरिया	85	124	42.50	38.93
	बस्तर	70	70	35.00	91.03
2012–13	दुर्ग	1250	408	85.00	121.05
	कोरबा	250	237	20.50	49.91
	रायगढ़	250	432	15.00	110.56
	सरगुजा	100	143	8.50	55.67
	कोरिया	146	148	8.50	53.89
	बस्तर	100	100	7.00	6.52
2013–14	दुर्ग	508	199	47.01	49.89
	कोरबा	147	118	13.57	23.17
	रायगढ़	94	191	8.71	59.00
	सरगुजा	36	53	3.37	20.48
	कोरिया	55	69	4.79	26.56
	बस्तर	56	81	5.15	113.27
	मुंगेली	38	31	3.52	2.44
2014–15	दुर्ग	83	86	20.75	35.32
	कोरबा	21	16	5.25	2.08
	रायगढ़	45	65	11.25	20.16
	सरगुजा	9	0	2.25	0
	कोरिया	69	41	17.25	10.76
	बस्तर	4	0	1.00	0
	मुंगेली	15	0	3.75	0
योग		**5297**	**4456**	**1263.29**	**1291.95**

स्रोतः– डूडाओं द्वारा दिए गए आंकडे

परिशिष्ट 5.1.8

(संदर्भ कंडिका 5.1.8.2; पृष्ठ क्र. 64)

यू.डब्ल्यु.एस.पी. (लक्ष्य एवं उपलब्धि)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान				आवर्ति निधि			
	भौतिक		वित्तीय		भौतिक		वित्तीय	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2010–11	1200	138	3.00	1.20	2400	399	0.48	0.42
2011–12	1200	323	7.20	1.57	2400	551	0.48	0.46
2012–13	600	191	3.00	1.73	1200	420	0.48	0.43
2013–14	2832	245	1.81	1.51	1342	782	0.27	0.75
2014–15	264	76	0.92	0.30	188	327	0.19	0.06
योग	**6096**	**973**	**15.93**	**6.31**	**7530**	**2479**	**1.90**	**2.12**

स्रोतः– सूडा एवं डूडाओं द्वारा दिए गए आंकड़े

परिशिष्ट 5.1.9

(संदर्भ कंडिका 5.1.8.2; पृष्ठ क्र. 64 एवं 65)

यू.डब्ल्यु.एस.पी. के अन्तर्गत वर्ष 2010–15 हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धि

(₹ लाख में)

वर्ष	जिला का नाम	अनुदान				आवर्ति निधि			
		भौतिक		वित्तीय		भौतिक		वित्तीय	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2010–11	दुर्ग	120	18	84.75	20.15	240	42	4.80	7.15
	कोरबा	120	30	20.46	3.75	240	37	4.80	4.87
	रायगढ़	120	36	14.91	41.13	240	46	4.80	5.78
	सरगुजा	120	2	8.49	3.50	240	23	4.80	4.36
	कोरिया	48	9	9.87	19.35	96	2	1.92	0.40
	बस्तर	48	65	10.44	5.95	96	12	1.92	2.48
2011–12	दुर्ग	120	35	72.00	25.72	240	157	4.80	28.84
	कोरबा	120	19	72.00	16.63	240	41	4.80	8.51
	रायगढ़	120	33	72.00	54.74	240	41	4.80	7.00
	सरगुजा	120	3	72.00	2.63	240	39	4.80	7.66
	कोरिया	48	15	28.80	21.70	96	19	1.92	3.80
	बस्तर	48	0	28.80	0	96	60	1.92	1.68
2012–13	दुर्ग	60	31	30.00	44.54	120	138	4.80	27.58
	कोरबा	60	30	30.00	32.64	120	35	4.80	6.48
	रायगढ़	60	26	30.00	30.10	120	20	4.80	7.50
	सरगुजा	60	3	30.00	2.10	120	9	4.80	1.86
	कोरिया	24	13	12.00	16.45	48	24	1.92	4.80
	बस्तर	24	52	12.00	7.00	48	17	1.92	7.69
2013–14	दुर्ग	640	25	13.97	25.75	303	127	6.98	16.70
	कोरबा	185	30	3.67	3.67	88	0	1.84	13.04
	रायगढ़	119	23	7.84	25.55	56	25	0	6.36
	सरगुजा	46	10	0.93	1.75	22	6	0.46	1.14
	कोरिया	65	6	1.32	5.25	31	16	0.66	3.36
	बस्तर	70	70	1.41	9.45	33	15	0.71	6.45
	मुंगेली	48	16	1.01	2.89	23	0	0.51	0
2014–15	दुर्ग	28	7	9.80	9.80	16	2	1.60	0.16
	कोरबा	6	1	2.10	0.35	5	2	0.50	0.20
	रायगढ़	14	7	4.90	4.73	11	10	1.10	1.50
	सरगुजा	2	0	0.70	0	2	2	0.20	0.00
	कोरिया	19	2	6.65	0.70	12	2	1.20	0.50
	बस्तर	2	0	0.70	0	1	0	0.10	0
	मुंगेली	4	0	1.40	0	3	0	0.30	0
योग		**2688**	**617**	**694.92**	**437.97**	**3486**	**969**	**85.28**	**187.85**

स्रोतः– डूडाओं द्वारा दिए गए आंकडें

परिशिष्ट 5.1.10

(संदर्भ कंडिका 5.1.8.3; पृष्ठ क्र. 65)

स्टेप–अप के अन्तर्गत वर्ष 2010–15 हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भौतिक		वित्तीय	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2010–11	5500	3701	2.75	0.65
2011–12	5500	8227	2.75	0.76
2012–13	9400	16908	4.50	0.75
2013–14	42000	14890	4.16	8.45
2014–15	12390	5240	13.38	3.75
योग	**74790**	**48966**	**27.54**	**14.36**

स्रोतः– सूडा एवं डूडाओं द्वारा दिए गए आंकडे

परिशिष्ट 5.1.11

(संदर्भ कंडिका 5.1.8.3; पृष्ठ क्र. 65)

चयनित सात जिलों में स्टेप–अप के अन्तर्गत वर्ष 2010–15 हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(₹ लाख में)

वर्ष	जिलों का नाम	भौतिक		वित्तीय	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2010–11	दुर्ग	1200	1051	60.00	31.57
	कोरबा	400	120	20.00	7.10
	रायगढ़	400	174	20.00	9.08
	सरगुजा	300	193	50.00	8.83
	कोरिया	200	160	10.00	2.78
	बस्तर	200	88	10.00	6.36
2011–12	दुर्ग	1200	2377	60.00	35.91
	कोरबा	500	325	20.00	9.20
	रायगढ़	500	1403	20.00	2.37
	सरगुजा	300	151	50.00	2.47
	कोरिया	200	216	10.00	5.32
	बस्तर	200	0	10.00	0
2012–13	दुर्ग	250	1476	98.20	52.01
	कोरबा	1000	1196	40.90	0.30
	रायगढ़	1500	1649	40.90	10.39
	सरगुजा	500	433	24.54	4.93
	कोरिया	500	1717	16.36	1.53
	बस्तर	500	670	16.36	5.55
2013–14	दुर्ग	2800	2350	47.01	104.99
	कोरबा	2548	1355	27.14	17.52
	रायगढ़	2548	466	17.41	66.32
	सरगुजा	1029	937	6.73	24.64
	कोरिया	1619	1505	9.59	90.78
	बस्तर	1999	2549	10.29	52..21
	मुंगेली	800	30	7.04	1.02
2014–15	दुर्ग	1340	382	144.76	0
	कोरबा	225	210	24.25	5.64
	रायगढ़	630	0	68.03	12.32
	सरगुजा	120	0	12.96	6.29
	कोरिया	860	780	92.88	110.43
	बस्तर	90	117	9.72	4.70
	मुंगेली	165	55	17.82	1.61
योग		**26623**	**24135**	**1072.89**	**694.17**

स्रोतः डूडाओं द्वारा प्रदाय किए गए आंकड़ें

परिशिष्ट 5.1.12

(संदर्भ कंडिका 5.1.8.4; पृष्ठ क्र. 67)

यू.डब्ल्यु.ई.पी. के अन्तर्गत वर्ष 2010–15 हेतु चयनित सात जिलों की लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(₹ लाख में)

वर्ष	जिलों का नाम	भौतिक		वित्तीय	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2010–11	दुर्ग	36375	2968(0.07)	84.75	30.55
	कोरबा	8781	1497(17.00)	20.46	14.97
	रायगढ़	6399	5400(84.00)	14.91	14.85
	सरगुजा	3644	208(6.00)	8.49	14.00
	कोरिया	4236	2500(59.00)	9.87	15.00
	बस्तर	4481	0(0)	10.44	0
2011–12	दुर्ग	84750	0(0)	101.70	41.31
	कोरबा	20460	0(0)	24.55	0
	रायगढ़	14910	12510(84.00)	17.99	15.64
	सरगुजा	8490	0(0)	10.19	0
	कोरिया	7870	0(0)	11.84	0
	बस्तर	10440	0(0)	12.53	0
2012–13	दुर्ग	42375	0(0)	84.75	3.07
	कोरबा	10230	0(0)	20.45	0
	रायगढ़	7455	7300(98.00)	14.99	53.74
	सरगुजा	4245	0(0)	8.49	20.00
	कोरिया	3935	0(0)	9.86	0
	बस्तर	5220	0(0)	10.44	0
2013–14	दुर्ग	24413	0(0)	2.35	0
	कोरबा	7047	0(0)	6.78	0
	रायगढ़	4521	4510(99)	4.35	74.22
	सरगुजा	1748	0(0)	1.68	0
	कोरिया	2489	0(0)	2.40	0
	बस्तर	2674	0(0)	2.57	0
	मुंगेली	1827	0(0)	1.76	0
2014–15	दुर्ग	0	0(0)	0	0
	कोरबा	0	0(0)	0	0
	रायगढ़	0	0(0)	0	9.00
	सरगुजा	0	0(0)	0	0
	कोरिया	0	0(0)	0	0
	बस्तर	0	0(0)	0	0
	मुंगेली	0	0(0)	0	0
योग		**329015**	**36893**	**498.59**	**306.35**

स्रोतः डूडाओं द्वारा प्रदाय किए गए आंकड़े (2014–15 में यू.डब्ल्यु.ई.पी. समाप्त किया गया था)

जिलों का प्रतिशत सीमाः

(1) दुर्ग– 0 से एक (2) कोरबा– 0 से 17 (3) रायगढ़– 84 से 99 (4) सरगुजा– 0 से 6 (5) कोरिया– 0 से 59 (6) बस्तर– 0 (7) मुंगेली–0

परिशिष्ट 5.1.13

(संदर्भ कंडिका 5.1.8.5; पृष्ठ क्र. 67)

यू.सी.डी.एन. घटक के अधीन वर्ष 2010–15 के दौरान लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(₹ लाख में)

स.क्र.	वर्ष	वित्तीय	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1	2010–11	149.99	105.74
2	2011–12	149.99	52.17
3	2012–13	150.00	185.36
4	2013–14	103.98	227.37
5	2014–15	12.80	29.04
योग		**566.76**	**599.68**

स्रोतः सूडा एवं डूडा द्वारा प्रदाय किए गए आंकड़े

परिशिष्ट 5.1.14

(संदर्भ कंडिका 5.1.8.5; पृष्ठ क्र. 67)

चयनित सात जिलों में यू.सी.डी.एन. के अन्तर्गत वर्ष 2010–15 हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धि

(₹ लाख में)

वर्ष	जिलों का नाम	वित्तीय	
		लक्ष्य	उपलब्धि
2010–11	दुर्ग	32.38	18.47
	कोरबा	10.23	2..76
	रायगढ़	7.46	4.37
	सरगुजा	4.25	5.64
	कोरिया	4.94	0.80
	बस्तर	5.22	2.94
2011–12	दुर्ग	32.38	27.42
	कोरबा	10.23	2..20
	रायगढ़	7.46	6.72
	सरगुजा	4.25	10.02
	कोरिया	4.94	0.76
	बस्तर	5.22	2.94
2012–13	दुर्ग	32.38	22.81
	कोरबा	10.23	3.21
	रायगढ़	7.46	13.90
	सरगुजा	4.25	4.40
	कोरिया	4.94	0.80
	बस्तर	5.22	2.94
2013–14	दुर्ग	23.05	12.04
	कोरबा	6.79	17.39
	रायगढ़	4.35	9.98
	सरगुजा	1.68	0
	कोरिया	2.40	0.55
	बस्तर	2.57	1.76
	मुंगेली	1.76	0.00
2014–15	दुर्ग	0.0	0
	कोरबा	0.0	1.76
	रायगढ़	0.0	0.68
	सरगुजा	0.0	0
	कोरिया	0.0	0.00
	बस्तर	0.0	3.60
	मुंगेली	0.0	0
योग		**236.04**	**180.86**

स्रोतः डूडाओं द्वारा प्रदाय किए गए आंकडे

परिशिष्ट 6.1

(संदर्भ कंडिका 6.1.3; पृष्ठ क्र. 73)

निर्माण कार्यों के विखंडन का विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	कार्य का नाम	कार्य का प्रारम्भिक लागत	विखंडित कार्यों की संख्या	निविदा लागत	विखंडन पश्चात् कार्य की लागत
1	जी.आई. पाईपलाईन बिछाने	245.96	15	245.96	3.96 से 18.00
2	सीवरेज लाईन एवं चैंबर निर्माण	68.00	08	146.32	17.00 से 19.58
3	पाईप बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मतें	105.10	05	73.01	7.22 से 18.45
4	सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण	196.14	14	267.48	16.00 से 19.71
5	नालों का निर्माण	256.58	15	256.58	14.41 से 19.18
योग		**871.78**	**57**	**989.35**	–
6	उद्यान का नवीनीकरण एवं विकास	72.40	–	–	–
7	पुलिया निर्माण	44.49	3	44.49	11.03 से 18.06
8	गतिविधि केंद्र का निर्माण	7.27	–	–	–
9	सेप्टिक टैंक का निर्माण	19.00	1	17.00	17.00
10	चाहरदीवारी का निर्माण	15.00	1	15.00	15.00
11	स्ट्रीट लाईट का अनुरक्षण	11.79	–	–	–
महायोग		**1041.73**	**62**	**1065.84**	–